सीटू का आठवां महाधिवेशन
पटना, 3-7 मार्च, 1994

आयोग के दस्तावेज़

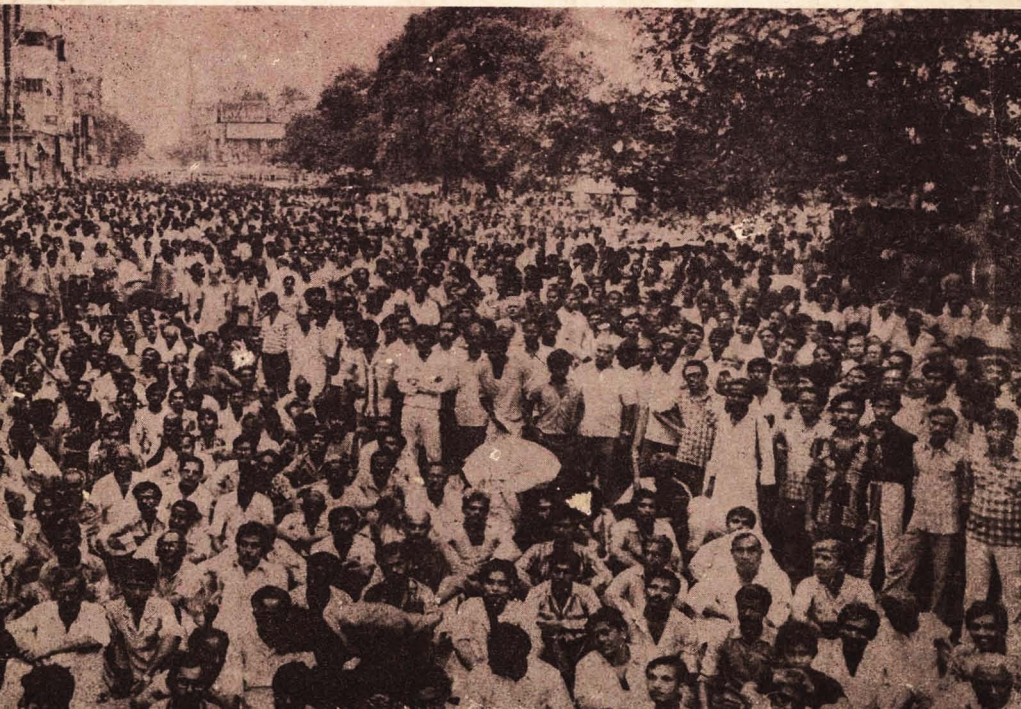

प्रस्तावना

इस पुस्तक में नौ आयोगों के दस्तावेज़ प्रकाशित किये गये हैं। सी आइ टी यू के 3-7 मार्च 1994 को पटना में आयोजित आठवें महाधिवेशन में इन विषयों पर विचार किया गया था। इस महाधिवेशन की यही एक विशेषता रही कि उसे इस प्रकार के नौ आयोगों में विभक्त किया गया ज़हाँ प्रत्येक विषय पर गम्भीर एवं गहरा विचार विमर्श हुआ और इन पर सही रुख अपनाया गया। महासचिव की रिपोर्ट पर जो सामान्य बहस हुई, वह इससे अलग है।

इस महाधिवेशन में आयोग बनाने सम्बन्धी निर्णय दिसम्बर 13-15, 1993 को गुवाहाटी में आयोजित सी आइ टी यू कार्य समिति की बैठक में लिया गया था। यह निर्णय इस तथ्य के दृष्टिगत भी महत्वपूर्ण था क्योंकि 1991 को कलकत्ता में आयोजित सी आइ टी यू के सातवें महाधिवेशन के पश्चात् राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अभूतपूर्व घटनाएं घटीं थी और परिवर्तन हुए थे। साम्राज्यवादी दबाव के अन्तर्गत अर्थ व्यवस्था का 'उदारीकरण तथा वैश्वीकरण' किये जाने के परिणामस्वरूप देश तथा श्रमिकों के प्रत्येक वर्ग पर इसका विषम प्रभाव पड़ा है। श्रमिक वर्ग के लिये नयी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।

प्रत्येक आयोग में 200-250 के अनुपात में प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने प्रत्येक विषय पर विस्तृत विचार विमर्श किया।

महाधिवेशन ने रिपोर्टरों की रिपोर्टें सुनने के पश्चात् सी आइ टी यू सचिव मण्डल (सैक्रेटेरिएट) को अधिकार दिया कि वह बहस तथा प्रतिनिधियों के सुझावों के प्रकाश में आयोग के दस्तावेज़ों को अंतिम रूप दे। सी आइ टी यू के पूर्ण सचिव मण्डल की बैठक में इन दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया।

सचिव मंडल,

सी आइ टी यू

विषय सूची

साम्राज्यवाद के नये हमले और ट्रेड यूनियनें	1
नयी आर्थिक नीतियां तथा हमारे कार्य	10
प्रौद्योगिकी सम्बन्धी आयोग	20
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का आयोग	29
'काम के अधिकार' सम्बन्धी आयोग में विचारार्थ दस्तावेज़	37
साम्प्रदायिकता सम्बन्धी आयोग का दस्तावेज़	45
भारत में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर आयोग का दस्तावेज़	52
कामकाजी महिलाओं सम्बन्धी आयोग का दस्तावेज़	61
संगठन सम्बन्धी आयोग का दस्तावेज़	68

साम्राज्यवाद के नये हमले और ट्रेड यूनियनें

I सोवियत संघ का अभ्युदय एवं विखण्डन

हमारे युग में साम्राज्यवाद सभी महाद्वीपों में पूंजीवाद एवं बुर्जुआ समाज के असमान विकास का प्रत्यक्ष परिणाम है। व्यापार सम्बन्धी टकरावों, उपनिवेशवादी युद्धों, दूसरे देशों को सेना के माध्यम से दासत्व स्वीकार करने पर बाध्य करने तथा पूरे विश्व की साम्राज्यवादी बंदरबांट, परभक्षी पूंजीवाद की अपने लिये बाजार को और विस्तृत करने की कभी समाप्त न होने वाली ललक का अवश्यंभावी परिणाम था। उसका राजनीतिक कार्यक्रम, उसकी विचारधारा और उसके विश्व दृष्टिकोण की अपनी स्वाभाविक सीमाएं थीं और ये वास्तव में ही समन्वित विश्व बाजार के उसके अपने स्वप्न को साकार करने के मार्ग की अवरोधक बन गईं।

सोवियत संघ की स्थापना विश्व भर में साम्राज्यवादी सरदारी के लिये पहली गम्भीर चुनौती थी, इससे मानवता की मुक्ति के लिये मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी अन्तः शक्ति का परिचय मिलता था। विश्व भर में मजदूर वर्ग, सर्वसाधारण तथा बुद्धिजीवी जो असंख्य साम्राज्यवादी विजय युद्धों तथा प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न दुखों-तकलीफों से त्रस्त थे, ने भारी आशाओं एवं अपेक्षाओं से रूसी क्रांति की ओर देखा था। उनके भावनात्मक समर्थन तथा खुली सहानुभूति का आर्थिक नाकाबंदी का प्रतिकार कर रही रूस की मजदूर-किसान गठबंधन सरकार के लिये भारी मोल था। उस ऐतिहासिक क्रांति को बनाए रखने के संघर्ष में साम्राज्यवादी हथकण्डों तथा हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा।

रूसी क्रांति थोड़े समय के भीतर ही अपनी ही प्रकार की औद्योगिक क्रांति के माध्यम से पिछड़े देश रूस की सामंती अर्थव्यवस्था को बदलने में सफल रही थी। भारी मशीन निर्माता उद्योग की आधारशिला रखी गई ताकि कृषि तथा फार्मों का तेजी के साथ आधुनिकीकरण किया जा सके। अनेक छोटी एवं बड़ी राष्ट्रीयताओं को जिनका जार शासकों ने दमन एवं शोषण किया था, मुक्त कराया गया। उन्हें अपने पिछड़ेपन को तेजी के साथ दूर करने के लिये रूस की अन्य राष्ट्रीयताओं के साथ मिलकर चलने को प्रोत्साहित किया गया।

सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण में अभूतपूर्व सफलता के फलस्वरूप समूह जनता के जीवन का रंग-ढंग बदल गया, उसकी दरिद्रता दूर हुई, पूंजीवाद से विरासत में मिली जबरदस्त बेरोजगारी का उन्मूलन हुआ और इसका प्रभाव पूरे विश्व अर्थात साम्राज्यवादी देशों तथा उपनिवेशवादी शासन से उत्पीड़ित एवं शोषित देशों दोनों पर पड़ा था। नाजीवादी अधिनायकत्व तथा सर्वव्यापी कम्युनिस्ट विरोधी उन्माद इन उत्साहवर्धक घटनाओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी।

साम्राज्यवादी शिविर में व्याप्त व्यापार तनावों तथा कभी समाप्त न होने वाले आर्थिक संकट ने अन्ततः एक और विश्व युद्ध को जन्म दिया जिसका मानवता पर बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ा

था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जिसमें सोवियत संघ ने नाजीवाद को परास्त करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी, के पश्चात अनेक और देशों को साम्राज्यवादी उत्पीड़न से मुक्ति मिली थी। विश्व युद्ध बाद के वर्षों में समाजवादी शिविर तथा उपनिवेशवादी शोषण से पीड़ित राष्ट्रों का एक बड़ा समूह युद्धोत्तर अवधि में एक-दूसरे के स्वाभाविक सहयोगी बन गया।

समाजवादी शिविर तथा विशेष रूप से सोवियत संघ के विरुद्ध आर्थिक, राजनीतिक, विचारधारक तथा सैनिक आक्रमण जोरदार ढंग से किये गये। साम्राज्यवादियों द्वारा समाजवादी शिविर पर लादे गए शीत युद्ध का यही सार था। नाभिकीय बम बनाना, नाटो तथा सियाटो जैसे सैनिक गठजोड़ और नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सामरिक महत्व की प्रतिरक्षात्मक पहल (एस डी आई) या तारा जंग (स्टार वार) जैसे कार्यक्रम बनाना और इन सब का निशाना साम्यवाद से रक्षा करने के नाम पर समाजवादी शक्तियों को बनाया जाता रहा है। मानव इतिहास में मजदूर वर्ग की पहली सत्ता द्वारा किये गए ठोस प्रतिरक्षात्मक उपायों के चलते साम्राज्यवादी आक्रमणों को मुंह तोड़ प्रत्युत्तर दिया जा सका।

समाजवाद के निर्माण तथा समाजवादी लोकतंत्र में आई विसंगतियों, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 80वें दशक के मध्य नाटकीय प्रगति होने से साम्राज्यवादी शिविर का दुःसाहस बढ़ गया। वह समाजवादी शिविर के भीतर आई इन विसंगतियों एवं भटकावों का अपने लाभार्थ सफलतापूर्वक प्रयोग कर सका है। 80 वें दशक के अंत तक समाजवादी शिविर का विध्वंस एवं विखण्डन हो गया। इसके परिणामस्वरूप विश्व वर्तमान शताब्दी के अंतिम दशक में इतिहास के एक और दौर में प्रविष्ट हुआ। इन भारी परिवर्तनों के दृष्टिगत सामयिक रूप से शक्तियों का संतुलन साम्राज्यवाद के पक्ष में हुआ है। वे दावा कर रहे हैं कि समाजवाद मर चुका है। पूंजीवाद ही निरंतर बनी रहने वाली व्यवस्था है। इस प्रकार साम्राज्यवादी एक "नयी विश्व व्यवस्था" का निर्माण कर रहे हैं।

II युद्धपोत कूटनीति बढ़ी

साम्राज्यवादी जो स्वयं को मुक्त व्यापार, लोकतंत्र, मानव अधिकारों तथा विश्व पर्यावरण के सच्चे ध्वजवाहक कहते हैं, पूर्वत; अपनी पुरानी युद्धपोत कूटनीति पर चल रहे हैं। वास्तव में वे विश्व पुलिसमैन की उच्च नैतिकता की धरती पर पांव रख कर इस प्रकार की शिक्षाएं दे रहे हैं। उनके पास नाभिकीय शस्त्रों का इतना भारी अम्बार लगा है कि पूरी की पूरी धरती को सात बार जला कर राख कर दें। अमरीका तथा उसके सहयोगी राष्ट्र इस बात पर बल दे रहे हैं कि प्रत्येक छोटे या बड़े राष्ट्र को उनके संकेतों पर चलते हुए परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर देने चाहियें। वे इस बात पर भी बार-बार बल दे रहे हैं कि भारत जैसे देश के द्वारा दूरसंचार उपग्रहों को छोड़ने हेतु राकेट प्रौद्योगिकी का विकास करना अन्तर्राष्ट्रीय अपराध है।

फारस की खाड़ी एवं दक्षिण अफ्रीका का संकट तथा खतरनाक युद्ध, पूर्व युगोस्लाविया में गृह युद्ध, अफगानिस्तान का संकट, सोमालिया में हस्तक्षेप इत्यादि तथा संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का अमरीकी कठपुतलियां बन जाना, विकासशील राष्ट्रों के दुखों-तकलीफों पर सहानुभूति का अभाव, इन सब से विश्व के समक्ष यह स्पष्ट हो गया है कि भविष्य में साम्राज्यवाद कितना खतरनाक मोड़ काटने जा रहा है। विशेष रूप से अमरीका आज सभी राष्ट्रों

के राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन के सभी पक्षों पर अपनी शर्तें लाद रहा है। उसका सदा एक ही उद्देश्य रहता है 'अमरीका के वृहत हितों की रक्षा करने के नाम पर' अपने नग्न व्यापारिक एवं सैनिक हितों को आगे बढ़ाना।

अमरीकी साम्राज्यवादियों ने विश्व भर में अपने एक सौ से अधिक छोटे-बड़े सैनिक अड्डों की श्रृंखला स्थापित की है। उसके अधिकांश अड्डों पर नवीनतम नाभीकीय या न्यूट्रोन बम एवं प्रक्षेपास्त्र लगाए या रखे गए हैं और यह सब सोवियत विस्तार के विरुद्ध अपने रक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ करने के दावे के अन्तर्गत किया गया है। किन्तु पूर्व सोवियत संघ तथा पूर्वी युरोप में समाजवाद का पराभव हो जाने पर भी इन अड्डों को समाप्त करने के लिये एक प्रयास भी नहीं किया गया। यही नहीं, उन अड्डों को बनाए रखने और उनका विस्तार करने के लिये अत्याधुनिक शस्त्रास्त वहां रखे जा रहे हैं। उसने अपने घातक शस्त्रों के भण्डार जो पहले ही बहुत विशाल है, में वृद्धि करने के लिये पूर्व सोवियत संघ के सदस्य देशों के पास विद्यमान प्लूटोनियम के पूरे के पूरे स्टाक को खरीद लिया है या खरीदने के लिये सहमत हो गया है। शीत युद्ध समाप्त हो जाने पर भी अमरीकी साम्राज्यवाद तथा उसके सहयोगी देश पूर्वतः इन घातक एवं विनाशकारी शस्त्रों के भण्डार के ऊपर बैठे हैं और उनकी उंगली उनके सुरक्षा तालक पर बनी रहती है। वे इन शस्त्रों का त्याग करने की इच्छा नहीं रखते। वे विश्व पुलिस मैन की भूमिका निभाने पर तुले हुए हैं और दरिद्र देशों को झूठे मामलों में उलझा कर उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। वे विश्व समुदाय के साथ यह वादा करने से निरंतर इन्कार कर रहे हैं कि वे कभी भी परमाणु आक्रमण करने की पहल नहीं करेंगे।

III सूचना प्रौद्योगिकी और नये हमले

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अन्ततः मूलभूत सामाजिक कार्य व्यापार को सम्पादित करती है। यह न केवल अपना अस्तित्व बनाए रखने और जीवित रहने के मानव संघर्ष को कम करती है अपितु उसकी बौद्धिक क्षमताओं, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक जीवन को और प्रौद्योगिकी को सर्वथा भिन्न दृष्टिकोण से देखती है।

वह प्रौद्योगिकीय विकास को केवल अपना लाभ बढ़ाने तथा समाज पर अपनी सरदारी थोपने के साधन के रूप में देखती है। पिछली दो शताब्दियों में वाष्प ऊर्जा तथा नयी प्रौद्योगिकियों के विकसित होने से इजारेदारियों का विकास हुआ है और साम्राज्यवादियों का आधिपत्य स्थापित हुआ है। विश्व युद्ध के पश्चात इलेक्ट्रानिक्स का विकास होने तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आइ टी) में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाने से विश्व स्तर पर साम्राज्यवादियों का दूसरा हमला हो रहा है।

वाष्प एवं यांत्रिक ऊर्जा के प्रयोग से मनुष्य के शारीरिक श्रम की आवश्यकता बढ़ी है, कम्प्यूटर शक्ति ने उसकी बौद्धिक क्षमताओं को कई गुणा बढ़ा दिया है। इन क्षमताओं के साथ-साथ उपग्रह संचार प्रणाली में तीव्र विकास होने से एक नयी प्रकार की प्रौद्योगिकी ने जन्म लिया है जिसे प्रायः सूचना प्रौद्योगिकी (आइ टी) के रूप में उद्धृत किया जाता है। भारी संख्या में आंकड़ों

तथा सूचनाओं को अब सुनियोजित ढंग से स्टोर करके रखा जाता है, विश्व के किसी भी भाग में द्रुत गति से उसका संक्षेपण किया जा सकता है और नयी सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से उसका विश्लेषण किया जा सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति से उत्पादन प्रक्रिया को और तीव्रतर करने में सहायता मिली है। इससे उत्पादन क्षमताओं में पर्याप्त वृद्धि हुई है और बेहतर समन्वय तथा उत्पादन प्रणाली को आशातीत बनाकर, उस पर उसने आने वाली श्रम लागत को कम करके किसी व्यवसायिक संगठन की कार्य कुशलता में भारी सुधार आया है। साम्राज्यवादी इजारेदारों की सरदारी में विश्व उत्पादन प्रणाली अब निश्चित सम्भावना बन गई है। विदेशी बहुराष्ट्रीय इजारेदारी के नीति निर्धारक निश्चलता की स्थिति को झेल रहे बाजार को तीव्र विकास के लिये दबाव मात्र ही मानते हैं। राष्ट्रीय आर्थिक अवरोधों को वे अपनी सरदारी के अन्तर्गत उत्पादन प्रणाली के वैश्वीकरण के मार्ग में प्रमुख बाधाएं मानते हैं।

साम्राज्यवादी राष्ट्रों के मध्य बढ़ रहे नये तनाव हमें इस शताब्दी के शुरू के वर्षों जैसी स्थिति की याद दिलाते हैं। इन्हें उत्पादन क्षमताओं में अत्याधिक वृद्धि की पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है, इसके कारण ही ये तनाव उत्पन्न हुए हैं और इसका श्रेय सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति को ही जाता है। नयी परिस्थितियों में गैट के पिछले प्रावधान अत्यंत अपर्याप्त हो गये थे। जी-सात में शामिल प्रत्येक देश अपने बाजार को विस्तृत करने और सभी की सीमाओं में प्रवेश पाने के लिये सौदेबाजी कर रहा है। इजारेदार पूंजी के तीन बड़े केन्द्र अमरीका, यूरोपीय समुदाय तथा जापान अपने-अपने विशेष नियंत्रण वाले व्यापार खण्डों का गठन करने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। वे गरीब राष्ट्रों से यह मांग करने में एकजुट हैं कि वे अपने सभी व्यापार अवरोधों को समाप्त कर दें तथा मुक्त व्यापार के नाम पर अपनी अर्थव्यवस्था के द्वार बाजार सम्बन्धी नये हमलों के लिये खोल दें। नया गैट करार सार रूप में नव-औपनिवेशिक सम्बन्धों जो तृतीय विश्व के देशों तथा साम्राज्यवादी देशों के मध्य तेजी से विकसित हो रहे हैं, को बनाने का प्रयास मात्र है।

मानवता अपने अस्तित्व के एक नये चरण में प्रवेश कर गई है। अपने इतिहास में पहली बार उसने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उच्च स्तरों को छुआ है, विश्व समुदाय के महत्वपूर्ण कार्यों की सभी प्रशाखाओं पर उसका व्यावहारिक केन्द्रीयकृत नियंत्रण स्थापित हुआ है, सभी लोगों एवं राष्ट्रों में सौद्देश्यपूर्ण विचारधारक "कार्यक्रम" बनाए जा सके हैं और विश्व स्तर पर चालाकी भरी एवं कपटपूर्ण जोड़तोड़ की 'बड़ी राजनीति' हो रही है।

एक ओर अत्याधिक सुदृढ़ उत्पादक शक्तियों तथा दूसरी ओर उत्पादन के अविकसित सम्बन्धों के मध्य व्याप्त तनाव इस समय चल रही सूचना प्रौद्योगिकीय क्रांति के प्रभावाधीन और मुखर हुआ है। यह तनाव बढ़ रही बेरोजगारी, दरिद्रता, कष्टों, इजारेदार पूंजी की बढ़ रही शक्ति तथा विकासशील देशों पर नये गैट करार जैसी असमान संधियों को थोपने के माध्यम से बढ़ रहे साम्राज्यवादी हमले, और इस बात के लिये हट करना कि विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों का हर प्रकार की बौद्धिक सम्पदा पर इजारेदारी अधिकार होना चाहिये, इत्यादि में प्रतिबिम्बित हो रहा है।

IV नये हमलों की प्रकृति

साम्राज्यवादी ब्लाक, तथा बहुराष्ट्रीय निगमों को अपनी तेजी से बढ़ रही उत्पादन क्षमताओं

के अनुरूप बाजार ढूँढने में कठिनाई हो रही है। इसके परिणामस्वरूप उन्हें अपने-अपने देशों में भयानक आर्थिक संकट तथा औद्योगिक मंदे से दो-चार होना पड़ रहा है। नये हमलों का उद्देश्य ही इस संकट को विकसित देशों के श्रमिकों तथा समूचे तौर पर तृतीय विश्व के देशों के कंधों पर डालना है।

युद्ध पूर्व वर्षों के विपरीत आज साम्राज्यवादी देशों वित्तीय तथा शेयर बाजारों में एक-दूसरे के साथ अत्यंत निकटता से जुड़े हुए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति से साम्राज्यवादी इजारेदारों की सरदारी के अन्तर्गत विश्व पूंजी बाजार को समन्वित करने में सहायता मिली है। गैट के द्वारा व्यापार एवं पूंजी निवेश के प्रवाह को नियमित किया जाता है और समझा जाता है कि साम्राज्यवादी देशों के मध्य मतभेदों को दूर करने के लिये नया गैट करार किया गया है। विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऐसे बड़े उपकरण हैं जिनके माध्यम से साम्राज्यवादी शिविर के आदेशानुसार दरिद्र राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को अनुशासित किया जाता है।

सोवियत संघ के विध्वंस तथा समाजवादी शिविर का विखण्डन होने के कारण संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था ने अपना लोकतांत्रिक स्वरूप लगभग खो ही दिया है। वह व्यावहारिक रूप से साम्राज्यवादी शिविर की बांदी बन गई है। यूनिडो तथा यूनेस्को जैसी अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के अन्तर्गत चल रही थीं, आज निरर्थक हो चुकी हैं और गतिशील नहीं रहीं। आइ ए इ ए तथा अन्य संस्थाओं का साम्राज्यवादियों ने अपहरण कर लिया है। इससे भी अमरीका तथा उसके सहयोगी राष्ट्रों को विश्व पुलिसमैन के रूप में अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाने में सहायता मिली है। आतिथेय देशों पर निरंतर रहने वाले ऋण के बोझ तथा स्थायी प्रकृति के नकारात्मक व्यापार संतुलन को साम्राज्यवादी देशों की सस्ते में वस्तुओं का निर्यात कराने के मामले में प्रत्यक्ष उपस्थिति से और भी पक्का बना दिया गया है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1993 के अंत तक तृतीय विश्व के देशों पर ऋण कर कुल बोझ 177 करोड़ डालर था जबकि 1992 के अंत में यह बोझ 166 करोड़ डालर रहा था।

बदले हुए विश्व परिदृश्य में जबकि सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति अभी जारी हैं, साम्राज्यवादियों को अपनी पूर्ण सरदारी स्थापित करने में प्रत्येक सहायता उपलब्ध हो रही है। साम्राज्यवाद नयी विश्व व्यवस्था के झंडे तले नये-नये हमले कर रहा है।

सार रूप में साम्राज्यवादी पूरे विश्व को सोवियत पूर्व युग में धकेल ले जाना चाहते हैं। पूरी मानवता पर उन्हीं की विचारधारा तथा दर्शन छाया हुआ था। तथापि इस बार एक अन्तर अवश्य है। दोनों पक्षों अब अपने-अपने संघर्षों के उद्देश्यों के सम्बन्ध में अधिक स्पष्ट हैं। बीसवीं शताब्दी के अंत तक वे किस प्रकार के इतिहास का निर्माण करेंगे, इस सम्बन्ध में भी उनके भिन्न दृष्टिकोण हैं। चीन, उत्तरी कोरिया, क्यूबा तथा अन्य अनेक देशों द्वारा साम्राज्यवादियों के नये हमलों का जिस ढंग से प्रतिकार किया जा रहा है, वह नयी बन रही स्थिति का एक प्रणाम है।

V पूंजीवाद का नया रूप

नयी सूचना प्रौद्योगिकी में लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिये भारी क्षमताएं विद्यमान हैं। किन्तु साम्राज्यवादी इसका उपयोग मजदूर वर्ग को अपने दासत्व में अधिक से अधिक जकड़ने के लिये करते हैं। वे जनता पर अपने मत का अरोपण करते हैं तथा अपनी ह्रासोन्मुखी संस्कृति

बेचते हैं। बुर्जुआजी की पतनशीलता इतनी भयावह है कि नर्क की व्याख्या भी उसके समक्ष फीकी पड़ जाती है। अमरीका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इस वर्ष के अपने भाषण में अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी कहा था, "हम इस राष्ट्र में नव जीवन का संचार नहीं कर सकते। एक दशक के भीतर आधे से अधिक बच्चे उन परिवारों में जन्म लेंगे जहां विवाह जैसी कोई रस्म नहीं होगी, वहां 13 वर्षीय लड़कों के हाथों में अध-स्वचालित शस्त्र होंगे; जिनकी सहायता से वे नौ वर्षीय लड़कियों से खेलेंगे, जब बच्चों के भी बच्चे होने लगेंगे, जब स्वयं पिता ही खेलते होंगे तो उनके बच्चे किसी गिनती में नहीं होंगे।" पूंजीवाद के स्वर्गलोक अमरीका में ऐसा ही जीवन आदर्श बनता जा रहा है।

साम्राज्यवादी देशों में चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वाले लोगों का अनुपात कम से कम होता चला जा रहा है। इस तथ्य से बुर्जुआ विचारकों के लोकतांत्रिक उवाचों की कलई खुल जाती है। जान कैनेथ गालब्रिथ ने इस वर्ष 26 जनवरी को अपने एक सार्वजनिक भाषण में कहा था, "दरिद्रजन सामान्य रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय नहीं हैं। सभी देशों में कुछ लोगों को इसलिये चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है क्योंकि उनके पास नागरिकता नहीं होती। अमरीका में अधिसंख्य जनता चुनावों में इसलिये भाग नहीं लेती क्योंकि अतीत में उन्हें दोनों दलों के मध्य पर्याप्त अन्तर दिखाई नहीं दिया था। स्वाभाविक रूप से इन दोनों दलों का प्रभाव उसी सौभाग्यशाली समुदाय पर होता है जिसके पास धन होता है, जिसकी सुनी जाती है और जो राजनीतिक कार्रवाईयां कर सकता है। सौभाग्यशाली देशों में हम लोकतंत्र की बातें बढ़-चढ़ कर करते हैं ....जबकि इसके विपरीत जनता का वह वर्ग चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेता जो अतिसंवेदनशील होता है या जो इसके लिये अत्यंत आवश्यक होता है, उसके पास न तो वोट होता है और न प्रभाव।

साम्राज्यवादी देशों में निर्वाचित तथा प्रतिनिधि सरकारों के अन्तर्गत शांति एवं कानून व्यवस्था का औपचारिक काम निजी क्षेत्र की जासूसी एजेंसियों को सौंप दिया जाता है। ये एजेंसियां नवीनतम कम्प्यूटरीकृत आंकड़ों से सुसज्जित होती हैं, उनका अपना नेटवर्क होता है, उनका अपराधी वर्ग के साथ सीधा सम्बन्ध होता है। समृद्ध वर्ग अपने संकीर्ण हितों की रक्षार्थ उनकी सेवाएं खरीदता है। इन औपचारिक एवं अनौपचारिक 'कानून बनाए रखने वाली' एजेंसियों द्वारा निर्दयतापूर्वक मजदूर वर्ग की निजी स्वतंत्रता का दमन किया जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति ने साम्राज्यवादी बुर्जुआजी को अपने ब्रांड तथा विश्व दृष्टिकोण का प्रचार करने तथा भारी संख्या में तथाकथित वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध कराने में सहायता दी है। वह जलवायु विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा जन सांख्यिकी विकास के गहन अध्ययन का उपयोग शोषित राष्ट्रों की जनता पर अपने मत का आरोपण करने तथा बौद्धिक दृष्टिकोण से उसे आतंकित करने के लिये करती है। वह अपने नकली-वैज्ञानिक तर्कों के बल पर धरती के संसाधनों में अपने समान एवं न्यायोचित भाग तथा मानवीय गौरव एवं विकास के अपने अधिकार के लिये संघर्ष कर रहे शोषित राष्ट्रों को धमकाने एवं अपने दासत्व में लाने का प्रयास करती है। ऐसा झूठा प्रचार इस तथ्य को छुपाता है कि साम्राज्यवाद ही विश्व पर्यावरण के विनाश के लिये उत्तरदायी है क्योंकि उसके द्वारा असंतुलित एवं असमान विकास किया जाता है और विनाशकारी कार्यों का सम्पादन किया जाता है। इसके लिये तृतीय विश्व के देशों को अकारण क्षतिपूर्ति देने को कहा जाता है।

ऐसे समय में जब मानवता अनेक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय विकास के द्वार पर खड़ी होती है, साम्राज्यवादी प्रौद्योगिकीय निराशावाद तथा विश्व के समाप्त होने जैसे सिद्धान्तों का प्रचार करते हैं। वे जनता के मन-मस्तिष्क में यह बात बिठाने का प्रयास करते हैं कि विश्व का पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी व्यवस्था जनसंख्या के भारी बोझ के कारण ही खराब है। यह केवल उनकी सरदारी एवं नियंत्रण में ही सुरक्षित रह सकता है। साम्राज्यवादियों तथा विशेष रूप से अमरीका जो विश्व पर्यावरण का एकमात्र ठेकेदार बना हुआ है, द्वारा किये जा रहे ऐसे प्रयासों से शोषित राष्ट्र यही प्रभाव ग्रहण करते हैं कि उनके दीर्घावधि के हितों तथा विकास को रोकने के लिये षडयंत्र किया जा रहा है।

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन विश्व भर में केवल 16% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है किन्तु वह विश्व में 45% कार्बन डायकसाइड, 50% नाइट्रोजन तथा सल्फर डायकसाइड, 60% औद्योगिक कचरा और 90% खतरनाक कचरा छोड़ रहा है। अमरीका, युरोपीय समुदाय तथा जापान विश्व भर में 86% कलोरोफ्लूरो कार्बन्स का उत्पादन करते हैं। विश्व जनसंख्या का यह 16% भाग शेष 84% की अपेक्षा चार गुणा अधिक विश्व पर 'ग्रीन हाउस प्रभाव' डालता है।

अमरीका जो नाभिकीय सुरक्षा का अभिरक्षक होने का दावा करता है कि पोल अब खुल चुकी है। उसके द्वारा निरंतर मानव मात्र, बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा कैदियों पर नाभिकीय विकिरण प्रशिक्षण किये जा रहे हैं। वह इसके लिये अद्‌भुत विधियां प्रयोग में लाता है। उन्हें अन्न मिश्रित रेडियोधर्मी दूध का आहार दिया जाता है; उसमें रेडियोधर्मी लोहे का मिश्रण भी होता है; लोग एक्स रे के उच्च विकिरण से उद्‌भासित हो गए हैं; अनेक लोगों को पेनटोनियम जैसे गाढ़े पदार्थ से भरी सूईयां लगाई जाती हैं। उसके ऐसे हथकंडे केवल नाजी अत्याचारों का स्मरण ही कराते हैं। वे अपने देशों के वातावरण में परमाणु बमों का विस्फोट भी करते हैं ताकि वे रेडियो धर्मिता के प्रभावों का परीक्षण कर सकें। यहीं पर उनकी कथनी तथा करनी का अन्तर स्पष्ट हो जाता है।

आज के साम्राज्यवादी देश या 'उत्तर' जैसा कि वे स्वयं को मानते हैं, पूंजीवादी पथ पर चलने वाले पहले राष्ट्र थे। उत्तर में समृद्ध अब आश्चर्यजनक ढंग से और समृद्ध हो गए हैं और मजदूर वर्ग यद्यपि उस पर गम्भीर प्रहार किये जा रहे हैं तथापि 'दक्षिण' अर्थात विकासशील देशों के मजदूर वर्ग की अपेक्षा अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। उत्तर और दक्षिण के मध्य खाई दिन प्रतिदिन गहरी होती चली जा रही है। तृतीय विश्व के देशों में रहने वाली अर्थात विश्व की तीन चौथाई जनता को विश्व की आय का केवल सातवां भाग प्राप्त होता है। इसके विपरीत अमरीका जहां विश्व जनसंख्या का केवल 5% भाग रहता है, धरती के 40% संसाधनों का उपयोग करता है। उत्तर दक्षिण को ऋण की गहरी से गहरी खाई में धकेलता चला जा रहा है।

उत्तर कभी भी दक्षिण के साथ समानता के आधार पर व्यवहार नहीं कर सकता क्योंकि इसका अर्थ है उस ऋणों के भारी बोझ से मुक्त करना और उत्तर द्वारा संचित विशाल धन सम्पदा दक्षिण को दे देना। पूंजीवाद का भारी विकास और अधिक सम्भव नहीं हो सकेगा और वह उत्तर-दक्षिण ध्रुवीकरण के कारण अवरुद्ध हो जाएगा। साम्राज्यवादी बुर्जुआजी इस समय अपनी सरदारी के अन्तर्गत विश्व उत्पादन तंत्र पर अपना नियंत्रण रख रही है। उसकी व्यवस्था कहीं धाराशायी न

हो जाए, इसके लिये वह और अधिक से अधिक शोषण कर रही है। शेयर धारकों के छोटे-छोटे समूह बड़े-बड़े विश्व स्तर के निगमों का स्वामित्व प्राप्त करते जा रहे हैं। इन में से कुछेक तो सामरिक गठबंधन बने हुए हैं। वे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम बाजार को हस्तगत कर सकें इसके लिये कार्पोरेट पूंजीवाद के विश्व प्रबंधकों की ओर से वृहत नीति को अत्यंत चतुराई से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

आज विश्व के उत्पादन तथा वित्तीय क्षेत्र में विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की व्यावसायिक योजनाओं एवं दृष्टिकोण का बोलबाला है। ये कम्पनियां विश्व की एक तिहाई निजी क्षेत्र की परिसम्पत्तियों की स्वामी हैं। उनकी वार्षिक बिक्री 55 खरब डालर है। ऐसे समय में जब विकसित पूंजीवादी विश्व भयानक मंदे की स्थिति को झेल रहा है तथा पहले से ही चल रही निर्मम प्रतिस्पर्धा और तीव्र हो गई है, इन कम्पनियों को अपने विश्वव्यापी या क्षेत्रीय हितों को बनाए रखने, अपने उत्पादों की अनेक रूपता, प्रतिस्पर्धियों के साथ सांगठनिक समायोजन या अपने व्यवसाय की विभिन्न गतिविधियों के स्थान इत्यादि के लिये बहुकोणीय रणनीति अपनाने पर विवश होना पड़ा है।

VI ट्रेड यूनियनों का उत्तरदायित्व

वैश्वीकरण तथा उदारीकरण की नयी नीतियां (या हमले) जिन्हें विश्व बैंक तथा गैट के दबाव में आकर कार्यरूप दिया जा रहा है, ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां तृतीय विश्व तथा अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर अपने बर्चस्व को सुनिश्चित बनाए रखना चाहती हैं। यद्यपि अधिकांश सत्ताधारी वर्गों ने समर्पणवादी रुख अपना रखा है और वे विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की घुसपैठ को स्वीकार कर रही हैं तथापि अनेक देशों में असंतोष की ज्वाला भड़क रही है। भारत में भी जो लोग पहले उदारीकरण की प्रशंसा में ज़मीन-आसमान एक कर रहे थे, धीरे-धीरे नयी नीतियों जिन्हें विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हम पर थोप देना चाहती हैं, के दुष्प्रभावों को अनुभव करने लगे हैं। विभिन्न साम्राज्यवादी देशों में भी अमरीका द्वारा उन पर आधिपत्य जमाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के विरोध में मतभेद बढ़ते जा रहे हैं।

विश्व भर में मजदूर वर्ग पर वेतनों में कमी करके, उसकी सुविधाओं में कटौती करके तथा रोजगार की सुरक्षा समाप्त करके भारी हमले किये जा रहे हैं। अब श्रमिकों में 'लचीलेपन' या श्रमिकों को रोजगार से हटाने के लिये 'कड़ेपन' को समाप्त करने जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। उच्च प्रौद्योगिकी लागू की जा रही है। उसके कारण रोजगार में निरंतर कमी लाई जा रही है। इसे "रोजगार विहीन विकास" भी कहा जाता है। हमारे मामले में भी ऐसा ही हो रहा है जिनका विवरण अन्य रिपोर्टों में दिया गया है। इसलिये आज ट्रेड यूनियन आंदोलन का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह साम्राज्यवादी हमलों के विभिन्न रूपों को समुचित ढंग से समझे तथा उनकी समीक्षा करे। इन हमलों की परिणिति हमारी स्वतंत्रता में कमी होने के रूप में होगी। साम्राज्यवाद की विश्व रणनीति में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। साम्राज्यवादी प्रत्येक ढंग से हमारे देश को पिछड़ा रखने तथा उस पर अपनी सरदारी थोपने पर तुले हुए हैं। अमरीकी साम्राज्यवाद आज मानवता का सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। वह न्यायपूर्ण एवं समतावादी समाज की स्थापना के मार्ग में बाधा बना हुआ है।

भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशों पर अपनाई गई नयी

आर्थिक नीतियों तथा संरचनात्मक समायोजन को साम्राज्यवाद के वर्तमान हमलों की पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है। हमारे देश के सत्ताधारी वर्ग इन कार्यक्रमों का समर्थन कर रहे हैं, वे हमारे देश की राष्ट्रीय सम्प्रभुता तथा आर्थिक स्वतंत्रता के प्रश्न पर समझौता कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप हमारी राष्ट्रीय एकता पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र जो हमारी आर्थिक स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय योजना का प्रमुख आधार स्तम्भ है, के विखण्डन से विनाशकारी परिणाम निकलेंगे। साम्राज्यवादी हमारे देश में साम्प्रदायिक, जातिवादी तथा जातीय विद्वेष उत्पन्न करने के लिये विभिन्न ढंगों से हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसके साथ ही वे पंजाब, कश्मीर तथा कई अन्य क्षेत्रों में विभाजक शक्तियों को उकसा रहे हैं।

इन हमलों का प्रतिरोध करने हेतु ट्रेड यूनियनों के मध्य विकसित हो रही एकता का और विकास किया जाना चाहिये। संयुक्त मंच जो सभी जन संगठनों को लामबंद कर रहा है, को इन नीतियों का अत्यंत दृढता के साथ से प्रतिरोध करने के लिये और भी सुदृढ़ बनाया जाना चाहिये। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों निजी तथा सार्वजनिक में गहराता संकट श्रमिकों को एकजुट होकर इन नीतियों का प्रतिकार करने पर विवश कर देगा। ऐसी ट्रेड यूनियनें जो जन प्रतिरोध की मुख्य धारा में शामिल होने से कतरा रही हैं, उन्हें भी संयुक्त संघर्षों में भाग लेने के लिये विवश होना पड़ेगा।

ट्रेड यूनियनों का कर्त्तव्य है कि वे जन साधारण तथा श्रमिकों को साम्राज्यवादियों के नये हमलों की प्रकृति समझाएं। इन साम्राज्यवादी हमलों के विरुद्ध हमारे संघर्ष में स्पष्ट निर्देश दिये जाने चाहियें तथा इसके विचाररधारक आधार को और सुदृढ़ बनाना होगा। जनता को प्रत्येक सम्भव ढंग से सुशिक्षित करना होगा। केवल तभी हमारा संघर्ष प्रभावशाली एवं सार्थक बन सकता है।

नयी आर्थिक नीतियां तथा हमारे कार्य

1. नरसिम्हा राव सरकार ने केन्द्र में सत्तारूढ़ होने के तुरंत पश्चात जुलाई 1991 में संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के नाम पर अपनी नयी आर्थिक नीतियों की घोषणा की थी। इसके नीतिगत ढांचे को देश के भीतर परस्पर बहस या विचार विमर्श करने के पश्चात नहीं बनाया गया था अपितु इसे भारत के भुगतान संतुलन के संकट पर काबू पाने के लिये विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से रखी गई शर्तों के परिणामस्वरूप देश पर लादा गया था।

2. देश में भुगतान संतुलन का गम्भीर संकट उत्पन्न किया गया और विदेशी मुद्रा का भण्डार अपने निचले स्तर पर पहुंच गया था। यह संकट आयात के तथाकथित उदारीकरण की निर्लज्ज नीति के कारण उत्पन्न किया गया था। इसी नीति के चलते उन 'वस्तुओं' का आयात किया जाने लगा जिन्हें अपने देश में ही तैयार किया जा सकता था। सौंदर्य प्रसाधनों जिनका उपयोग केवल समाज का छोटा-सा वर्ग ही करता है, का अस्सीवें दशक में आयात करने से स्थिति और गंभीर हो गई। भारत में अनेक स्थानों पर तेल उपलब्ध होने पर भी उसका उत्पादन बढ़ाने में भारत सरकार की विफलता के कारण भारत का आयात बिल बढ़ा है और उसके फलस्वरूप भुगतान संतुलन स्थिति में हमारा घाटा 10,000 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया। देश पर विदेशी ऋण का बोझ इस दशक में 22 करोड़ डालर से बढ़ कर 80 करोड़ डालर हो गया। नरसिम्हा राव ने सरकार स्थिति को सुधारने एवं देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करने की अपेक्षा भारत की आर्थिकता को ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समक्ष गिरवी रख दिया है।

3. प्रत्येक ऋण की स्वीकृति देने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से नयी-नयी शर्तें लादी जाती हैं। उन शर्तों को पूरा करने पर ही ऋण दिया जाता है। उसकी शर्तों या सुझावों को क्रियान्वित किया जा रहा है या नहीं, इस पर दृष्टि रखने के लिये उसने बड़ी चतुराई से अपना एक तंत्र विकसित कर लिया है। वह भारत सरकार के वार्षिक बजट का भी निरीक्षण करता है। भारत की आर्थिक नीति के प्रत्येक पक्ष की कोष एवं विश्व बैंक की ओर से जांच पड़ताल की जाती है। नीति सम्बन्धी निदेश देते समय यही संस्थाएं इसके लिये अंतिम स्वीकृति देती हैं। इस प्रक्रिया से राष्ट्रीय सम्प्रभुता जिसमें संसद की सम्प्रभुता भी शामिल है, को आघात पहुंचता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की इच्छाओं के अनुरूप भारतीय अर्थव्यवस्था को दासत्व की ओर धकेला जा रहा है।

4. वैश्वीकरण के नाम पर भारत की अर्थव्यवस्था को विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मकड़ जाल में जकड़ा जा रहा है। देश में आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय की जो भी थोड़ी बहुत अवधारणा थी उसे अलविदा कहा जा रहा है। प्रत्येक आर्थिक गतिविधि की एकमात्र कसौटी मुनाफा बना दिया गया है। विकास के प्रत्येक चरण में बाजार अर्थव्यवस्था शब्द का प्रचलन हो गया है।

5. नयी आर्थिक नीति को अपनाए जाने के पश्चात भारत सरकार ने कौन-कौन से बड़े कदम उठाए हैं ?

क) रुपये का चरणबद्ध ढंग से 22 प्रतिशत से अधिक अवमूल्यन किया गया। पहले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुसार खुले बाजार में इसके चलन की अनुमति देकर आंशिक रूप से परिवर्तनीय बनाया गया। बाद में इसे पूर्णतया परिवर्तनीय बना दिया गया। इसके परिणामस्वरूप निर्यातक अपना सामान सस्ते में विदेशों में बेच सकते है और खुले बाजार में अर्जित डालर बेच कर धन कमा सकते हैं। इसके विपरीत आयातकों को अपने आयात सम्बन्धी बिलों का भुगतान करने के लिये खुले बाजार में विदेशी मुद्रा का क्रय करना पड़ता है। इससे देश में जहां आयातित मध्यवर्ती वस्तुओं पर निर्भरता होती है वहीं उत्पादन लागत में भरपूर वृद्धि हो जाती है।

ख) विदेशी मुद्रा का अंतरिम अग्रिम लेने के लिये 65 टन से अधिक सोना विदेशी बैंकों में भेजा गया। भारत की अन्तर्राष्ट्रीय साख इतनी खराब थी कि कोई भी देश इसे धनराशि का उधार देने के लिये तैयार नहीं था।

ग) अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित किया गया और लायसेंस प्रणाली समाप्त कर दी गई। पूंजीपतियों को जहां भी वे चाहें अपने कारखाने खोलने की अनुमति दी गई है। इससे संतुलित आर्थिक विकास पर कुठाराघात हुआ है तथा अर्थव्यवस्था के असमान विकास में वृद्धि हुई है।

घ) अर्थव्यवस्था के मेरु क्षेत्रों को निजी क्षेत्र तथा विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिये खोल दिया गया।

ड) इजारेदार कम्पनियों का सुचारू विकास हो, इसके लिये व्यावहारिक रूप से इजारेदारों के लिये प्रतिबंधित व्यापार क्षेत्र सम्बन्धी समझौते को समाप्त कर दिया गया है। बड़े व्यावसायिक गृहों को लघु उद्योगों के क्षेत्र में एक्विटी शेयर रखने की अनुमति प्रदान की गई है ताकि वे अन्ततः उन्हें हड़प सकें।

च) फेरा को समाप्त किया गया। इससे विदेशी बैंकों को विशेष रूप से हमारे विदेशी मुद्रा स्रोत नष्ट करने में सहायता मिली है।

छ) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश पर लगाए गए सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिये गए हैं। इन्हें अब भारतीय औद्योगिक इकाईयों के साथ मिलकर या पूरी तरह उन पर नियंत्रण करने की खुली छूट दी गई है। उन्हें भारत से अपने मुनाफे का निर्यात करने के लिये उदारतापूर्वक छूटें दी गई हैं।

ज) आयकर, सम्पत्ति कर, सम्पदा शुल्क, उपहार कर इत्यादि के मामले में कार्पोरेट सेक्टर तथा अमीर वर्ग को करों में उदारतापूर्वक छूटें दी गई हैं।

झ) स्वर्ण नियंत्रण समाप्त कर दिया गया है और सोना तथा चांदी का आयात करने की उदार अनुमति प्रदान की गई है।

ट) लाभ पर चलने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में 49% शेयरों तक का पूंजी विनिवेश किया गया है। ऐसा करने से पूर्व उनकी परिसम्पत्तियों के वर्तमान मूल्यों की समुचित समीक्षा भी नहीं की गई। संसदीय समिति के अनुसार देश को अब तक 3400 करोड़ रुपये की क्षति हुई है।

ठ) सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाईयों के मामले बी आइ एफ आर को सौंपे जाने के लिये एस आइ सी ए में संशोधन किया गया। इसका अंतिम उद्देश्य उन्हें निजी क्षेत्र को सौंपना या बंद कर देना है।

ड) सार्वजनिक इकाईयों के लिये बजट सहायता बंद कर दी गई, उनकी कामकाजी व्यवस्था खराब करके उन्हें और बीमार बना दिया गया।

ढ) शेयर बाजार पर सरकारी नियंत्रण ढीला पड़ने से शेयर मूल्यों में भारी वृद्धि हो गई जिसके फलस्वरूप शेयर बाजार में काले धन का प्रवेश हुआ।

ण) सभी आर्थिक क्षेत्रों जिनमें वित्तीय संस्थान, बैंक, बीमा कम्पनियां इत्यादि शामिल हैं, में निजीकरण को एक नीति के रूप में अपनाया गया है।

त) बजट घाटा कम करने के नाम पर अनेक कल्याण कार्यक्रमों के लिये धन देना बंद कर दिया गया।

थ) आयात शुल्क में कमी की गई। इसके कारण भारत में विदेशी सामान की बाढ़ सी आ गई यह स्थिति भारतीय उद्योगों के लिये अलाभदायक है। भारतीय उत्पादों पर आबकारी शुल्क में वृद्धि होने से वे और भी सुमेद्य हो गए हैं।

द) निर्गम नीति के स्वीकृत होने से मालिकों को अपनी इच्छा पर औद्योगिक इकाईयां बंद करने की छूट मिल गई है। इस सम्बन्ध में सभी कानूनी प्रतिबन्ध हटा दिये गए हैं। राष्ट्रीय नवीकरण कोष जिसके लिये विश्व बैंक ने 50 करोड़ डालर दिये हैं, स्थापित किया गया है। इस कोष से उन श्रमिकों को "क्षतिपूर्ति" देने की व्यवस्था की गई है जिन्हें पैशाचिक स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना के अन्तर्गत काम से निकाल बाहर किया जा रहा है।

ध) खाद्य सामग्री तथा उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती की गई है जिसके कारण ये वस्तुएं उपभोक्ताओं को महंगे में मिलने लगी हैं। अंतिम लक्ष्य सभी सब्सिडियों को समाप्त करना ही है।

न) डंकल प्रस्ताव (गैट) स्वीकार किये जाने से भारतीय उद्योगों, कृषि तथा उपभोक्ताओं का अहित हुआ है।

प) ट्रेड यूनियनों तथा श्रमिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले। श्रमिकों के हड़ताल करने के अधिकार, संगठन बनाने और सामूहिक सौदेबाजी करने के अधिकार का दमन करने के लिये ताकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिये 'औद्योगिक शांति' सुनिश्चित बनाई जा सके, संसद में एक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

6. इन सभी प्रस्तावों के कारण भारत की धरती पर नव - उपनिवेशवाद स्थापित करने सम्बन्धी साम्राज्यवादियों के लिये कुत्सित इरादों को पूरा करना सम्भव हो सका है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे सबसे बड़े देश भारत की अर्थव्यवस्था को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बंधुआ बाजार के रूप में खोला जा रहा है। ये कम्पनियां एक-दूसरी के साथ होड़ ले सकेंगी तथा वे भारतीय बाजार में जितना चाहे उतने भाग को हड़प सकेंगी। यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की निश्चल कारगुजारी होने पर भी विदेशी प्रैस भारतीय अर्थव्यवस्था के नये पथ पर चलने पर उसका गुणगान करने में दिन रात एक कर रहा है।

आर्थिक नीतियों का प्रभाव

7. रुपये का अंवमूल्यन होने के कारण भारत के विदेशी ऋण में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है। यह वर्ष 1989-90 में 130.28 हजार करोड़ रुपये (75.90 करोड़ डालर) था किन्तु 1990-91 में बढ़ कर 163.31 हज़ार करोड़ रुपये (83.96 करोड़ डालर) हो गया। वर्ष 1991-92 में इसमें एक बार फिर तीव्र वृद्धि हुई। यह 253.03 हजार करोड़ रुपये (85.33 करोड़ डालर) हो गया। वर्ष 1992-93 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण का बोझ 280.98 हजार करोड़ रुपये (90.09 करोड़ डालर) था। प्रति वर्ष पुनर्भुगतान की देनदारी 8.17 करोड़ डालर है। यह हमारे निर्यात से होने वाली सकल आय का 30.8 प्रतिशत है। वर्ष 1992-93 में हमारा कुल विदेशी ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 39.8 प्रतिशत था। यह तथ्य भारी चिंता का विषय है। यदि इस रुझान को जारी रहने दिया गया तो हम शीघ्र ही ऋण के ऐसे मकड़ जाल में फंस जांएगे जिससे बाहर निकलना सम्भव नहीं होगा।

8. जहां एक ओर विश्व बैंक इस बात पर बल दे रहा है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी घुसपैठ के लिये खुला छोड़ देना चाहिये वहीं दूसरी ओर विकसित देश संरक्षणात्मक विधियां अपनाने में व्यस्त हैं। जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण (1993-94) में रेखांकित किया गया है : "विश्व अर्थव्यवस्था तथा व्यापार की प्रगति की गति मंद होने से निर्यात के अवसर कम हुए हैं तथा विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं जो हमारे निर्यात के लिये प्रमुख बाजार हैं, पर संरक्षणवाद हेतु दबाव बढ़ा है।" (पृष्ठ 89)

9. भारत सरकार पर आंतरिक ऋण का बोझ अब 2.09 हजार करोड़ रुपये हो चुका है। उसकी देनदारियों पर शुद्ध ब्याज के भुगतान का बोझ 23 हजार करोड़ रुपये के विशाल आंकड़ों तक पहुंच चुका है। अधिक से अधिक उधार लेने पर भारत सरकार की बढ़ती निर्भरता के कारण स्थिति और भी विकट होती जा रही है।

10. आर्थिक सर्वेक्षण में भुगतान संतुलन (डालर में) की बढ़ती चली जा रही खाई का विवरण दिया गया है। व्यापार संतुलन जो पहले 9679 डालर का था वर्ष 1991-92 में गिर कर 2135

डालर रह गया। वर्ष 1992-93 में यह पुनः बढ़ कर 4106 डालर हो गया। वर्ष 1993-94 की पहला छमाही में व्यापार संतुलन कम था। जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण में रेखांकित किया गया है, भुगतान संतुलन की यह कमी हमारी बेहतर कारगुजारी के कारण नहीं अपितु भारत में मंदे जैसी स्थिति में आयात कम होने के कारण रही थी।

11. औद्योगिक क्षेत्र के सम्बन्ध में आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की शोचनीय स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया गया है : "औद्योगिक क्षेत्र को अभी भी पूरी शक्ति के साथ उदारीकरण सम्बन्धी कदमों का प्रत्युत्तर देना होगा। विदेशों में पूंजीगत सामान की आसान आमद होने से पूंजीगत सामान सम्बन्धी उद्योग की स्थिति बहुत खराब हो गई है।

12. हाल ही में किये गए आर्थिक सर्वेक्षण के समय देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र के पूंजी निवेश में कमी आई है। औद्योगिक एवं कृषि दोनों क्षेत्रों में सरकार द्वारा अपनी विफलता को स्वीकार किया गया है। इसे आर्थिक सर्वेक्षण में स्पष्ट रूप से देखा गया है।

13. पिछले अढ़ाई वर्षों के उपलब्ध आंकड़ों से आर्थिकता में सर्वव्यापी निश्चलता की स्थिति स्पष्ट रूप से इंगित होती है। यह देश में जनसंख्या में वृद्धि की दर से भी नीचे है। इस पर भी सरकार उन्हीं नीतियों पर चल रही है जिनके कारण निश्चलता की यह स्थिति उत्पन्न हुई है। प्रधानमंत्री बड़े जोरों से कह रहें हैं कि इस प्रक्रिया को कदापि बदला नहीं जाएगा क्योंकि वह जानते हैं कि विश्व बैंक उन्हें आर्थिक नीतियों की दिशा को बदलने की अनुमति नहीं देगा।

14. यद्यपि अर्थव्यवस्था में निश्चलता की स्थिति होने के कारण अनेक आवश्यक वस्तुओं की प्रति व्यक्ति खपत में कमी आई है और सरकार इस तथ्य को देश में गरीबी कम हो जाने के रूप में उद्धृत कर रही है। यह हेराफेरी गरीबी की व्याख्या को बदल कर तथा गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या की गणना के ढंगों द्वारा की जा रही है। फिर भी उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 40 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं।

15. हाल ही के बजट प्रस्तावों से जिनमें अनेक वस्तुओं पर आयात शुल्क कम किया गया है तथा भारतीय उत्पादों पर आबकारी शुल्क बढ़ाया गया है, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारतीय बाजार में अपने सामान के ढेर लगा देने में सहायता मिली है। इसके विपरीत भारतीय उद्योगों के लिये देश के बाजार में ही अपना सामान बेचना कठिन हो रहा है। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजीविनिवेश करने के अपने संकल्प को पुनः दोहराया है। इस बात की ओर संसदीय समिति ने संकेत किया है। रेलवे के किरायों तथा भाड़ों में वृद्धि, चीनी, मिट्टी के तेल, एल पी जी तथा अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में बजट से पूर्व वृद्धि होने से जन साधारण के लिये और भी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। वित्तीय घाटे को दूर करने में भारत सरकार की विफलता से आर्थिकता में मुद्रा स्फीति तथा मूल्यों में भारी वृद्धि हो गई है। सरकार द्वारा स्वर्णिम युग के स्वप्न दिखाए जाने पर भी भारतीय अर्थव्यवस्था निश्चलता की गहरी खाई में धंसती चली जा रही है।

16. समूचे तौर पर नयी आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की उत्पादक गतिविधियों, सभी क्षेत्रों में भारी गिरावट का रुझान बना है और देश की आर्थिकता धीरे-धीरे विदेशी पूंजी तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के खेल का मैदान बनती चली जा रही है। प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री तथा नयी आर्थिक नीतियों के प्रचारक चाहे जो भी वादे करें तथ्य तो यह है कि नयी

नीतियों के फलस्वरूप अधिक से अधिक उद्योग खुलने की अपेक्षा बंद होते चले जा रहे हैं और जितने रोजगारों का सर्जन होता है उससे कहीं अधिक रोजगारों का संहार हो रहा है।

17. यह स्थिति पहले ही अत्यंत विकट हो रही है। इसका प्रकटीकरण देश में अनेक औद्योगिक इकाईयों की बढ़ रही बीमारी के रूप में हो रहा है। यद्यपि हमारे देश में नयी आर्थिक नीतियों के लागू होने के पश्चात औद्योगिक बीमारी कोई नयी संवृति नहीं है, यह दीर्घ रोग है। किन्तु विवाद का विषय तो यह है कि नयी आर्थिक नीतियों के द्वारा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी गई हैं जिनके कारण अनेक बहुत ही स्वस्थ्य इकाईयां बीमार हो गई हैं और वे जीवनक्षम नहीं रहीं। बीमार इकाईयों के पुनरुज्जीवन की सम्भावनाएं सरकार ने व्यावहारिक रूप से पूर्णतया समाप्त कर दी हैं। बीमार एवं बंद पड़ी औद्योगिक इकाईयों की संख्या पहले ही चार लाख से अधिक हो चुकी है। उनमें से अनेक बी आइ एफ आर की प्रक्रिया के अन्तर्गत अपना बिस्तर गोल होने के समय की प्रतीक्षा कर रही हैं। बीमार औद्योगिक इकाईयों के निजीकरण या उन्हें बंद करने की प्रक्रिया तेज करने हेतु और कदम उठाए जा रहे हैं। ओंकार गोस्वामी समिति की संस्तुतियों के प्रकाश में बीमार औद्योगिक कम्पनियों सम्बन्धी अधिनियम (एस आइ सी ए) में और संशोधन किया जा रहा है ताकि इन इकाईयों को पुनर्जीवित करने के लिये नहीं अपितु बंद करने के लिये एक "फास्ट ट्रेक" तंत्र उपलब्ध कराया जा सके।

18. यदि इस स्थिति को जारी रहने दिया गया तो गरीबी तथा अभावग्रस्तता की स्थिति और बिगड़ जाएगी। आने वाले दिनों में नयी आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप असमानता में वृद्धि होने से अधिक से अधिक लोगों के संघर्षों में खिंचे चले आने की प्रबल सम्भावनाएं हैं।

19. नयी आर्थिक नीतियों के विरोध में निरंतर संघर्ष चलाना बहुत बड़ा काम है। श्रमिकों के मध्य जागरूकता लाने हेतु देशव्यापी जन अभियान चलाए जाने पर भी आंदोलन के समय निम्नलिखित बातों को अनुभव किया गया है।

i) हम मजदूर वर्ग के विकासशील वर्गों तक पहुंचने में सक्षम हैं जो कुछ सीमा तक इन नीतियों के खतरनाक परिणामों को समझते हैं किन्तु बहुसंख्य पिछड़े वर्ग ऐसे हैं जिन तक हम अभी तक पहुंच नहीं सके हैं। क्या हमारे प्रचार को वे समझ रहे हैं या क्या हमें शिक्षा की और सरल विधियों को अपनाना चाहिये ताकि हमारा प्रचार उनकी समझ के स्तर तक पहुंच सके। हमें इन प्रश्नों पर विचार करना ही होगा।

ii) यद्यपि हाल ही के राज्य स्तरीय अभियानों तथा जनसभाओं ने हमारा संदेश फैलाया है तथापि देश में हमारी स्थानीय गतिविधियां अभी भी प्रभाव के कुछ विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। पूरे देश में इस आंदोलन को तेजी के साथ फैलाने के लिये, जहां-जहां भी हमारा संयुक्त संदेश नहीं पहुंचा है, हमें इसकी नयी-नयी विधियों पर विचार करना होगा।

iii) यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में जन कार्रवाइयों में पर्याप्त सुधार हुआ है तथापि इन की प्रकृति अभी भी ग्रामीण जनता के आंदोलन की नहीं बनी है। हमें

अखिल भारतीय किसान सभा तथा अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के नेताओं के साथ मिल बैठ कर ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का प्रसार करने के ढंगों का पता लगाना चाहिये। केन्द्रीय तथा राज्यों के स्तर पर ट्रेड यूनियनों को इस दिशा में पहलकदमी करनी होगी तथा किसान आंदोलन के साथ और तालमेल विकसित करना होगा। इस तालमेल से हमें एक शक्तिशाली मजदूर-किसान गठबंधन बनाने में सहायता मिलेगी जो हमारे आंदोलन को सफल बनाने के लिये अत्यंत आवश्यक है।

iv) आंदोलन को सभी दिशाओं में आगे बढ़ाने के लिये महिलाओं, छात्रों तथा युवाओं का संयुक्त आंदोलनों में अधिक से अधिक भाग लेना अनिवार्य है। इन वर्गों के जन संगठनों के साथ हमारी इकाईयों द्वारा निकटना से विचार विमर्श करने से हमें संयुक्त कार्यक्रमों का निर्धारण करने तथा संयुक्त आंदोलनों में उनकी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित बनाने में सहायता मिलेगी।

v) हम अभी तक पर्याप्त प्रचार सामग्री जिसे जन साधारण समझ सकें तथा जो उन्हें राष्ट्रीय जन अभियानों में भाग लेने की प्रेरणा दे, उपलब्ध नहीं करा सके हैं। सी आइ टी यू की पश्चिम बंगाल राज्य समिति ने आर्थिक नीतियों पर एक वीडिओ कैसेट तैयार किया था। वर्तमान परिस्थितियों में जनता के मध्य अपने विचारों को लोकप्रिय बनाने के लिये इलेक्ट्रानिक मीडिया का प्रयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अधिक से अधिक ऐसे कार्यक्रम बनाने चाहिये ताकि हम इस शक्तिशाली मीडिया का पूरा उपयोग कर सकें। ऐसे कार्यक्रम देश के कोने-कोने में दिखाए जा सकें इसके लिये समुचित प्रसार तंत्र का होना आवश्यक है।

vi) जन संगठनों का राष्ट्रीय मंच देश में लोकतांत्रिक एकता का प्रतीक है किन्तु सभी घटक मंच के निर्णयों को कार्यरूप देने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। इस कारण मंच के नेतृत्व में किया जाने वाला संघर्ष कमजोर होता है और आंदोलन के प्रभाव में कमी आती है। ऐसे संगठनों की दुर्बलता को कैसे दूर किया जाए ताकि सभी घटकों की ओर से मंच के कार्यक्रमों को प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके, यह हमारे समक्ष एक अत्यावश्यक कार्य है। दूसरे मंच की अपील का प्रभाव क्षेत्र उसके घटकों के कार्यक्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक है। घटकों के प्रभाव से बाहर की जनता तक कैसे पहुंचा जाए, यह हमारे आंदोलन के लिये विचारणीय एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ताकि मंच की कार्रवाई योजना को प्रभावशाली ढंग से कार्यरूप दिया जा सके।

20. भारत सरकार द्वारा ऐसा जबरदस्त प्रचार किया जा रहा है कि उसके समक्ष नयी आर्थिक नीतियों के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। हमें उसके इस मिथक को तोड़ना होगा और जनता को बताना होगा कि इस नयी नीति के प्रत्येक पक्ष का कौन-कौन सा विकल्प विद्यमान है।

इस लिये, हमारे प्रचार अभियान में इन मुद्दों को उभारा जाना चाहिये। हमें ऐसा साहित्य तैयार करना होगा जिसे जन साधारण समझ सकें। हमें ऐसी वैकल्पिक नीतियां सुझाई जानी चाहियें जिससे जनता को पता चल सके कि सत्ताधारी दल का दृष्टिकोण कितना गलत है। जब तक हम अपने प्रचार के इस पक्ष को आवश्यक महत्व नहीं देंगे तब तक हमारी बात जनता तक नहीं पहुंचेगी। इसलिये सी आइ टी यू केन्द्र को चाहिये कि वह यूनियनों को ऐसा साहित्य उपलब्ध कराए जिससे हमारे प्रचार के स्तर में गुणात्मक सुधार हो सके।

21. हमारी यूनियनों को प्रत्येक बीमार उद्योग के सम्बन्ध में जीवन क्षमता रिपोर्ट तैयार करने और उनके सुझावों के समर्थन में श्रमिकों को लामबंद करने के लिये पहलकदमी करनी होगी। हमें बताना होगा कि इकाईयों के बीमार होने का कारण क्या है और उस बीमारी को दूर कैसा किया जा सकता है। बीमारी के विरुद्ध संघर्ष में केवल प्रबंधन पर औपचारिक दोषारोपण नहीं किया जाना चाहिये अपितु यह बताया जाना चाहिये कि कैसे प्रबंधन की नीतियों के कारण उपक्रम बीमार हुआ है। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, उसकी कुछ इकाईयों में उत्पादन बहुत ही कम है। हमें श्रमिकों के लिये अनावश्यक कठिनाईयां उत्पन्न किये बिना उत्पादन बढ़ाने की विधियां तथा ढंग सुझाने चाहियें। हमें उपक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अन्य कुकृत्यों का भण्डा फोड़ना चाहिये। इससे हमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में सभी बीमारियों की जड़ श्रमिकों को करार देने सम्बन्धी प्रचार को झुठलाने में सहायता मिलेगी।

22. हमारी कुछ यूनियनों ने अपने-अपने उद्योगों के सम्बन्ध में अच्छी भण्डा फोड़ सामग्री उपलब्ध कराई है। इससे उन उद्योगों में आर्थिक नीतियों के विरुद्ध संघर्ष में हमें भारी सहायता मिलेगी। इन यूनियनों को वैसी सामग्री दूसरों को उपलब्ध करानी होगी ताकि इस प्रश्न पर सामान्य दृष्टिकोण बनाया जा सके। उन्हें श्रमिकों को शिक्षित करना चाहिये और बताना चाहिये कि दूसरे उद्योगों का अनुभव कैसे उनके अपने अनुभव जैसा ही है। यदि सी आइ टी यू केन्द्र को सूचना प्रेषित की जाएगी तो उससे सभी श्रमिकों के मध्य सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में सहायता मिलेगी। इन विषयों पर अनेक पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया जा सकता है। राज्य समितियां राज्यवार रिपोर्टें तैयार कर सकती हैं। रिपोर्टों में बताया जाए कि नयी आर्थिक नीतियों से उनके अपने राज्यों की आर्थिक स्थिति पर कैसा दुष्प्रभाव पड़ा है।

23. इन दिनों ट्रेड यूनियन आंदोलन के भीतर एक समझ पनप रही है कि भारत सरकार की आर्थिक नीतियां बदलने वाली नहीं हैं। उनका मानना है कि यद्यपि इन नीतियों का सामान्य विरोध जारी रखना चाहिये तथापि श्रमिकों को कम से कम क्षति पहुंचे इसके लिये ट्रेड यूनियनों को किसी समझौते के लिये प्रयास करना चाहिये। इसी तर्क के आधार पर वे चाहते हैं कि सम्पन्न कार्य के रूप में वर्तमान नीति को स्वीकार कर ही लेना चाहिये। वे श्रमिक वर्ग को भी इसी नीति के मूल ढांचे के भीतर अपनी समस्या का समाधान ढूंढने का परामर्श देते हैं। शब्दों में नीति का प्रतिरोध करने और व्यवहार में उसे स्वीकार कर लेने की इस समझ से हमारे संघर्षों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिये आंदोलन के भीतर इस नीति का प्रतिकार किये जाने की आवश्यकता है ताकि मजदूर वर्ग की जुझारू एकता को और मजबूत बनाया जा सके।

24. श्रमिकों में यह विश्वास उत्पन्न करने के लिये कि इस नीति को परास्त किया जा सकता है और इन नीतियों के मूल ढांचे के भीतर देश के हितों की रक्षा कदापि नहीं की जा सकती, इन

नीतिगत कदमों के विरोध में सुनियोजित अभियान चलाने की आवश्यकता है। बिसे पिटे ढंग से प्रचार करने की अपेक्षा हमें ठोस रूप में वर्तमान नीतियों की जटिलताओं का अनावरण करना चाहिये ताकि मजदूर वर्ग तथा जन साधारण इन नीतियों के खतरनाक दुष्प्रभावों को समझ सके।

25. ट्रेड यूनियनों में आर्थिक नीतियों के प्रति बढ़ रहे विरोध के दृष्टिगत भारत सरकार कभी-कभी कुछ ट्रेड यूनियनों को प्रसन्न करने तथा संयुक्त आंदोलन को विभाजित करने के दांवपेच चलती है। विशेष त्रिपक्षीय समिति में सरकार ने कुछ विशेष आश्वासन दिये थे किन्तु उन्हें कार्यरूप नहीं दिया गया। इस पर भी उन्होंने (सरकारी पक्ष) सरकारी नीतियों के प्रति ट्रेड यूनियनों के विरोध को रिकार्ड नहीं किया। जब सी आइ टी यू ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति की तथा बल दिया कि उसके विरोध को दर्ज किया जाना चाहिये तब हमें इस सम्बन्ध में अन्य ट्रेड यूनियनों से अपेक्षित समर्थन नहीं मिला।

26. अनेक अवसरों पर सी आइ टी यू के कड़े विरोध को देखते हुए भारत सरकार ने सी आइ टी यू को अन्य ट्रेड यूनियनों से अलग-थलग करने का प्रयास किया। इसके साथ ही कुछ छोटी समस्याओं पर उसने अपना नर्म रुख दिखाने का प्रयास भी किया। यदि ट्रेड यूनियनें इसे एक बड़ी छूट के रूप में लेंगी तथा अन्य मुद्दों पर समझौता कर लेंगी तो इन नीतियों के विरोध में संगठन करना कठिन हो जाएगा। हमें भारत सरकार के इन हथकण्डों के दृष्टिगत पहले से ही ट्रेड यूनियन आंदोलन में अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श कर लेना चाहिये ताकि 'इन नीतियों के विरुद्ध संघर्ष में ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकता बनाए रखी जाए।'

27. त्रिपक्षीय समिति में अपने काम को हमें संघर्ष का विकल्प नहीं मानना चाहिये। कुछ लोग समझते हैं कि मात्र विशेष त्रिपक्षीय समिति में संघर्ष करने से ही हम अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करना संघर्ष को कम करके देखना है। इसलिये ये त्रिपक्षीय समितियां जो सीमित भूमिका निभा रही हैं, उसकी जानकारी मजदूर वर्ग को होनी चाहिये ताकि संघर्ष की आवश्यकता पर समुचित बल दिया जा सके।

28. त्रिपक्षीय समिति के निर्णयों को पूर्णरूपेण कार्यरूप दिया जाए, इसके लिये हमें अपने संघर्ष को जारी रखना होगा। केन्द्रीय सरकार त्रिपक्षीय समिति की बैठकें नियमित रूप से बुलाए, इसके लिये भी हमें संघर्ष करना होगा। सरकार की ओर से तीन मास में एक बार त्रिपक्षीय समिति की बैठक बुलाने सम्बन्धी पिछली बैठक में आश्वासन दिया गया था। इस पर भी 4 मई, 1993 तक उसकी कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी। अतः इसे संघर्ष का मुद्दा बनाए जाने की आवश्यकता है।

29. हमें बीमार औद्योगिक इकाईयों की समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इस सम्बन्ध में एक रेखांकित करने योग्य घटना यह है कि सभी यूनियनें अपनी सम्बद्धताओं से ऊपर

उठ कर विशाल स्तर पर एकजुट हो रही हैं। हमें ट्रेड यूनियनों के मध्य बढ़ रही इस एकजुटता को और मजबूत करने, अधिकारियों के संगठनों को भी उनके साथ जोड़ने तथा औद्योगिक बीमारी के प्रश्न पर एक शक्तिशाली जन आंदोलन को नया रूप देने के लिये समुचित प्रभावकारी कदम उठाने चाहियें।

30. सी आइ टी यू ने पहले ही कार्रवाई की ठोस योजनाएं बनाने के लिये तथा विशेष रूप से औद्योगिक बीमारी पर अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय लिया था। हमें अधिक से अधिक लामबंदी के लिये जहां तक सम्भव हो सके इस मुद्दे पर विस्तृत स्तर पर अभियान को सुनिश्चित बनाने के लिये गम्भीरतापूर्वक प्रयास करने चाहियें। हमें यह भी सुनिश्चित बनाना होगा कि उन औद्योगिक इकाईयों के श्रमिक जो अभी भी पूर्णतया स्वस्थ हैं बीमार इकाईयों में कार्यरत अपने भाईयों के संघर्ष का पूर्ण समर्थन करें। बीमार औद्योगिक इकाईयों में ट्रेड यूनियन आंदोलन के उत्साह को बनाए रखने के लिये ऐसा करना अत्यंत आवश्यक है।

31. भारत सरकार सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों में बीमार इकाईयों का निजीकरण/कामबंदी/बिस्तर गोल करने की प्रक्रिया को और तेज कर रही है। अपने कुत्सित इरादों को पूरा करने के लिये वह त्रिपक्षीय समिति के मंच पर दुरुपयोग करने का प्रयास भी कर रही है ताकि वह इसमें ट्रेड यूनियनों को एक पक्ष बना सके या कम से कम इन ज्वलंत मुद्दों पर ट्रेड यूनियन एकता भंग कर सके। इसलिये सरकार ने इन सोचे समझे कदमों से मजदूर वर्ग को चौकस करने के लिये सी आइ टी यू को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

32. सर्वव्यापी औद्योगिक बीमारी की स्थिति में जब अधिक से अधिक उद्योगों को जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र भी शामिल है, धीरे-धीरे बीमारी की ओर धकेला जा रहा हो और भारत सरकार नग्न रूप में इजारेदार समर्थक, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की समर्थक नीतियों पर चल रही हो तो, हमें उस स्थिति में बीमारी के प्रश्न पर तथा बीमार औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों की रक्षार्थ जुझारू संयुक्त जन प्रतिरोध विकसित करने की समुचित विधियां तैयार करनी ही होंगी।

33. हमने स्थानीय, राज्य तथा केन्द्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन आयोजित किये हैं। अनेक प्रदर्शनों, धरनों, जनसभाओं इत्यादि का आयोजन किया है। श्रमिक अब पूछ रहे हैं, कि हमारी अगली कार्रवाई क्या होगी ? लगता है कि श्रमिक कुछ ऐसा संघर्ष करने की मुद्रा में है जो कार्रवाई का उच्च स्वरूप हो।

34. ऐसे संघर्षों का स्वरूप प्रत्येक राज्य, यहां तक कि प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न-भिन्न हो सकता है। यह मजदूरों के संगठन तथा उनकी जागरूकता पर निर्भर करता है। तथापि हमारी यूनियनों में कोई चमत्कार करने की भावना उत्पन्न न हो, इसके लिये हमें सजग रहना होगा। इससे

आंदोलन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और ऐसा करना दमन को आमंत्रण देने के समान होगा।

35. समय की सबसे बड़ी आवश्यकता निचले स्तर पर अपने आंदोलन को सुदृढ़ बनाने की है। इस सम्बन्ध में हमें आंदोलन की असमान स्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा। इसलिये हमें इस पक्ष की अत्यंत विस्तार में जाकर समीक्षा करती होगी ताकि हमारा आंदोलन शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में फैल सके और उस संयुक्त आंदोलन में गुणात्मक सुधार लाया जा सके। ऐसे शक्तिशाली आंदोलन के बिना सरकार की नीतियों को उलटने का हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता।

36. देश की परिस्थितियां आने वाले दिनों में और बड़े तथा अधिक शक्तिशाली आंदोलन विकसित करने के अनुकूल हैं। यदि हम इस अवसर का पूरी तरह सदुपयोग करेंगे तथा संघर्ष कर रहे लोगों के रुख को समझेंगे तो वर्तमान संघर्षों का स्तर और ऊंचा हो सकता है। हमारे वर्तमान संघर्षों से तथाकथित सुधारों की गति मंद हुई है। संघर्षों को तेज करके ही नयी आर्थिक नीतियों जो राष्ट्र विरोधी, मजदूर विरोधी तथा जन विरोधी हैं, को बदला जा सकेगा।

प्रौद्योगिकी सम्बन्धी आयोग

1.0 नयी प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा मजदूर वर्ग पर उसका प्रभाव एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरी बहस की जानी चाहिये । सी आइ टी यू के सातवें कलकत्ता महाधिवेशन तथा जनरल कौंसिल के नागपुर अधिवेशन में इस मुददे पर बहस की गई थी ।

1.1 हाल ही में सी आइ टी यू ने हल्दिया में कामन वेल्थ ट्रेड यूनियन कौंसिल के सहयोग से मजदूर वर्ग पर नयी प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर पहले चरण की कार्यशाला का आयोजन किया था । अगली कार्यशाला के कार्यक्रम का निर्धारण बाद में किया जाएगा । हमें नयी प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में अपनी नीति पर विस्तृत बहस करनी होगी ।

1.2 बेरोजगारी की सदा बढ़ रही दर के दृष्टिगत यह केवल अकादमिक बहस का विषम ही नहीं हैं । यह न केवल मजदूर वर्ग के लिये अपितु पूरे समाज के लिये एक गम्भीर समस्या है । इस सम्बन्ध में भावी कार्य योजनाओं का निर्णय लेने से पूर्व हमारे भीतर तर्कसंगत एवं यथार्थपुरक समझ का होना आवश्यक है । इसलिये इस मुद्दे के सभी पक्षों पर विचार करके ही हमें किसी निष्कर्ष पर पहुँचना होगा ।

प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक व्यवस्था

2.1 भिन्न-भिन्न सामाजिक व्यवस्थाएं होने पर भी प्रगति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय विकास एक सामाजिक संवृति है । उत्पादन क्षमता का विकास ही समाज की प्रगति का एक सच्चा सूचक-अंक होता है । विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय विकास तथा उसके पश्चात् उत्पादन के क्षेत्र में उसका प्रयोग होने से पूरा समाज लाभान्वित हो सकता है किन्तु उत्पादन सम्बन्ध समाज द्वारा विकसित उत्पादक शक्तियों के अनुरूप होने चाहिये । प्रौद्योगिकीय विकास निम्नलिखित सामाजिक उद्देश्यों को पूर्ण करके जीवन स्तर को सुधारने में सहायता देता है ।

i) वस्तुओं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने की सामाजिक लागत को कम करके....

ii) वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाकर ....

iii) नई प्रकार की वस्तुएं तथा सेवाएं शुरू करके ।

2.2 मजदूर वर्ग ही प्रौधोगिकीय विकास के लिये उत्प्रेरक एजेंट के रूप में काम करता है उसके अनुभवों तथा पुनर्निवेशन के आधार पर ही प्रौद्योगिकीय विकास होता है । अतः वह जहां प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है वहीं उसे विकासित करने वाला प्रधान स्रत भी वही है । उत्पादन के साधनों में निरंतर सुधार लाए बिना कोई भी सामाजिक व्यवस्था बनी नहीं रह सकती ।

2.3 यद्यपि प्रौद्योगिकीय विकास तथा उसका प्रयोग मजदूर वर्ग के कठोर परिश्रम का ही प्रतिफल है तथापि प्रौधेगिकी, उत्पादन के साधनों तथा तैयार सामान के स्वामित्व का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि वहां की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था कैसी है । ऐसी समाज

व्यवस्था में जहां स्वामित्व समाज तथा राज्य का होता है, मजदूर वर्ग के नेतृत्व में नयी प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने से सारी जनता के जीवन स्तर में व्यापक सुधार होता है। अतिरिक्त उत्पादन या असीमित लाभ जैसी समस्याओं से रहित इस समाज को रोजगार अवसरों की कमी या बेरोजगारी जैसी व्याधियों से जूझना नहीं पड़ता। इसके विपरीत नयी प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने से मजदूर वर्ग पर काम का बोझ कम होता है। किन्तु एक ऐसी समाज व्यवस्था में जहां प्रौद्योगिकी सहित उत्पादन के समस्त साधन निजी स्वामित्व में होते हैं वहां प्रोद्योगिकीय विकास का उपयोग उत्पादन के साधनों के स्वामियों के हित में होता है। यह लाभ ही है जो उन्हें नये कारखाने खोलने तथा श्रमिकों को काम पर रखने के लिये प्रेरित करता है। रोजगार अवसरों का सृजन या मानव संसाधनों का उपयोग कदापि उनकी चिन्ता के विषय नहीं होते। यही पर बस नहीं, जिन लोगों का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण या स्वामित्व है वे नयी प्रौद्योगिकी को मजदूर वर्ग और समूचे तौर पर समाज पर अपनी सरदारी पुनर्स्थापित करने के उपकरण के रूप में देख रहे हैं। यही कारण है कि जब पूंजीपति वर्ग नयी प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाता है तो उसके विकास एवं उपयोग को खतरे की घंटी के रूप में देखा जाता है। खतरे या संकट की अनुभूति होने का कारण आधुनिक प्रौद्योगिकी नहीं है अपितु इसके फलस्वरूप होने वाली रोजगार की क्षति है।

2.4 विश्व की वर्तमान परिस्थितियों मे प्रौद्योगिकी विशेष रूप से इलैट्रानिक्स कम्प्यूटर, सचांर इत्यादि जिसे प्रायः सूचना प्रौद्योगिकी (आइ टी) के रूप में जाना जाता है, की प्रगति ने उत्पादक शक्तियों तथा वैश्वीकरण की विकास की गति को तीव्रतर किया है। इसने उत्पादन प्रकिया को संघन बनाने, बहुत सीमा तक उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि करने, उत्पादन प्रणाली को आशातीत बना कर तथा अच्छे समन्वय के द्वारा श्रम लागत में कमी लाकर व्यावसायिक संगठनों की कार्य क्षमताओं में सुधार लाने में सहायता दी है। साम्राज्यवादी इजारेदारों की सरदारी के अन्तर्गत वैश्वीकृत उत्पादन प्रणाली अब एक निश्चित सम्भावना बन चुकी है। बाजार की निश्चलता को आज विश्व स्तर पर सक्रिय इजारेदारों के कार्पोरेट रणनीतिज्ञों द्वारा मात्र तीव्र विकास के दबाव के रूप में देखा जा रहा है। वे राष्ट्रीय अवरोधों को अपनी सरदारी में चलने वाली उत्पादन प्रणाली के वैश्वीकरण के मार्ग में बड़ी बाधाएं मानते हैं।

2.5 साम्राज्यवादी राष्ट्रों के मध्य आज जो व्यापारिक तनाव विकसित हो रहे हैं वे हमें इस शताब्दी के पहले वर्षों की याद दिलाते हैं। इसे उत्पादन क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि जो अब एक वास्तविकता बन चुकी है, की पृष्ठभूमि के रूप में देखा जाना चाहिये। इसका श्रेय सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई क्रांति को ही जाता है। पुराने गैट करार के प्रावधान नयी परिस्थितियों में बुरी तरह अपर्याप्त हो गए थे। जी-7 राष्ट्रों का प्रत्येक सदस्य देश एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में बाजार को अधिक से अधिक हस्तगत करने के लिये सौदेबाजी कर रहा है। वे गरीब राष्ट्रों से यह मांग करने में एकजुट हैं कि वे (गरीब राष्ट्र) अपने सभी व्यापार अवरोधो जो उन्होंने अपनी अर्थ व्यवस्था तथा राजनीतिक सम्प्रभुता की रक्षार्थ बनाए थे को मुक्त व्यापार के नाम पर बाजार की शक्तियों के नए हमलों के लिये समाप्त कर दें। प्रत्येक देश जिनमें साम्राज्यवादी देश भी शामिल हैं, का मजदूर वर्ग इजारेदार बुर्जुआजी की सरदारी के अन्तर्गत चलने वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया का प्रतिरोध कर रहा है।

2.6 सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चल रही क्रांति के प्रभाव स्वरूप एक ओर अत्याधिक सुदृढ़ तथा दूसरी ओर पुराने उत्पादन सम्बन्धों के मध्य अन्तर्विरोध वर्तमान में स्पष्ट दिखाई देने

लगे हैं ये अन्तर्विरोध बेरोजगारी, दरिद्रता एवं जन साधारण के कष्टों में हो रही अपार वृद्धि, इजारेदार पूंजी की बढ़ती शक्ति नये साम्राज्यवादी हमलों में बढ़ोतरी जो शोषित राष्ट्रों पर गैट जैसी असमान संधियां ठोसने और सभी प्रकार के बौद्धिक सम्पदाओं पर बहुराष्ट्रीय निगमों के इजारेदारी वाले अधिकार स्थापित करने का हठ करके किये जा रहे हैं, के रूप में प्रतिबिंबत होते हैं।

2.7 वर्गीय विभाजन वाले पूंजीवादी समाजों में पूंजीपति वर्ग नयी प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उत्पादन करने की अपेक्षा उत्पादकता को बढ़ाने के लिये अधिक उत्सुक रहता है। उसका उद्देश्य नयी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके न्यूनतम श्रम शक्ति के द्वारा अधिकतम उत्पादन करना तथा अधिक लाभ अर्जित करना। श्रम लागत में कमी लाना उसका निदेशक कारक होता है। इसके परिणाम स्वरूप पूंजीवादी व्यवस्था में प्रौद्योगिकीय विकास अपने साथ मजदूर वर्ग के लिये ले आफ, बेरोजगारी तथा ऐसी ही अनेक समस्याएं लाता है। इसके तात्कालिक एवं स्वाभाविक परिणाम स्वरूप मजदूर वर्ग नयी प्रौद्योगिकी लागू करने के किसी भी कदम का विरोध करने के लिये आगे आ जाता है।

3.0 प्रौद्योगिकी : मजदूर वर्ग तथा समाज पर उसका प्रभाव

3.1 यह विश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है कि इस प्रतिरोध से मजदूर वर्ग तथा समूचे तौर पर समाज के व्यापक हितों की किसी सीमा तक रक्षा की जा सकती है। इस प्रतिरोध के प्रभाव का भी विश्लेषण किया जाना चाहिये। जब नयी प्रौद्योगिकी के आधार पर नये संयंत्र तथा कारखाने स्थापित किये जाते है और वे वही उत्पाद या पुरानी प्रौद्योगिकी पर आधारित पुरानी इकाईयों से अच्छा विकल्प प्रस्तुत करते हैं तो उस स्थिति में पुराने उद्योगों के उत्पाद असमान प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप वे इकाईयां बीमार हो जाती हैं और अंततः उनमें कामबंदी हो जाती है। यद्यपि औद्योगिक बीमारी का एकमात्र कारण प्रौद्योगिकीय अंतर नहीं होता तथापि इस तथ्य को दृष्टिलोप नहीं किया जा सकता कि उस स्थिति में जब पुरानी प्रौद्योगिकीय तथा मशीनरी औद्योगिक बीमारी उत्पन्न करने वाला कारक बन जातती है तक पौद्योगिकी उन्नत करना अषरिहार्य हो जाता है। पुराने उपक्रमों के आधुनिकीकरण सम्बन्धी ट्रेड यूनियनों की मांग को दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिये।

3.2 नयी प्रौद्योगिकी को लागू करने का प्रश्न जन साधारण की अपेक्षाओं के साथ भी जुड़ा हुआ है। वे नयी प्रौद्योगिकी के फल प्राप्त करना चाहते हैं जिसका अर्थ है कम मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद प्राप्त करना। इसी प्रकार रेलवे, ऊर्जा, परिवहन, बैंकिंग इत्यादि सेवाओं में भी लोग नयी प्रौद्योगिकी के प्रयोग से तत्काल रूप से अच्छी सेवा प्राप्त करना चाहेंगे। जब तक पुरानी प्रौद्योगिकी तथा उसके उत्पादों को पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित नहीं किया जाता तक तक वे अपने तौर पर बाजार की प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सकेंगे। समाज की आवश्यकताओं पर समुचित विचार किये बिना हम अलग रूप से नयी प्रौद्योगिकी के प्रभाव का अध्ययन नहीं कर सकते।

3.3 वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था लाने के लिये भी प्रौद्योगिकीय विकास अत्यावश्यक है। प्रौद्योगिकीय विकास समाजवाद तथा साम्यवाद का निर्माण करने के लिये एक पूर्व शर्त है। पूंजीवादी व्यवस्था के विपरीत समाजवादी व्यवस्था में

प्रौद्योगिकीय विकास का उपभोग समूह जनता के जीवन की रमणीयता में और सुधार लाने के लिये किया जाएगा। इस सम्बन्ध में सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों द्वारा की गई प्रौद्योगिकीय प्रगति तथा उपलब्धियां उल्लेखनीय थीं। ये देश तीव्र प्रौद्योगिकीय प्रगति की सहायता से ही अपनी कृषि का आधुनिकीकरण कर सके थे। औद्योगिक आधार का निर्माण कर सके थे। तथा श्रमिक जनता को सुरक्षा एवं सुख-आराम प्रदान कर सके थे।

4.0 विचारनीय महत्वपूण मुद्दे:

4.1 भारत जैसे देशों में प्रौद्योगिकीय विकास तथा उद्योगीकरण की अपनी विशिष्ट समस्याएं हैं। मजदूर वर्ग के समक्ष प्रमुख प्रश्न यह होगा कि क्या हम अपने मानवीय तथा प्राकृतिक दोनों संसाधनों पर आधारित नयी प्रौद्योगिकी के मामले में आत्मनिर्भर हैं या हम दूसरों पर निर्भर करते हैं। यदि हम साम्राज्यवादी देशों से आयतित प्रौधेगिकी के आधार पर देश में उद्योग स्थापित करते हैं तो उसके लिये हमें अतिशय एवं शोषित होने की सीमा तक भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। अमातित प्रौद्योगिकी के साथ-साथ मशीनरी तथा हिस्से-पुर्जों का आयात भी करना होगा जिससे देश में उद्योगीकरण की प्रक्रिया में बाधाएं उत्पन्न होंगी। यह सामान देश में ही स्वदेशी प्रौद्योगिकी एवं उद्योगों का विकास करके उत्पादित किया जा सकता है। हमारे देश ने स्वतंत्रता प्रापति के पश्चात् योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया शुरू करके आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलने का प्रयास किया था, यद्यपि इसमें निरंतरता बनाई नहीं जा सकीं। निरंतरता न रहने के कारण ही देश में संकट उत्पन्न हुआ है और आर्थिक तथा औद्योगिक निश्चलता की स्थिति बनी है।

4.2 यदि हम आत्मनिर्भरता के पथ पर चले होते तो वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में भी देश कहीं में सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बुनियादी बड़े उद्योगों पर बल देकर तथा एक दूसरे के साथ सम्बन्धित शोध एवं विकास कार्यों की ओर समुचित ध्यान दिये जाने के फलस्वरूप पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर ही उल्लेखनीय औद्योगिक विकास तथा रोजगार सर्जन सम्भव हो सका था। देश में ही विकसित आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके साम्राज्यवादियों तथा नव साम्राज्यवादियों के नियंत्रण एवं प्रभाव के मुक्त आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्था बनाई जा सकी थी। वर्तमान सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में ही आत्मनिर्भरता के पथ पर चल कर हम उल्लेखनीय सीमा तक अपने उद्योगों को विकसित करके उनमें विशेषज्ञता प्राप्त कर सके हैं और नयी मेधा एवं रोजगार अवसरों का सृजन कर सके हैं। मेल, दूसरो टी ए ई, ओ एन जी सी, एच एम टी, सेल, सी आइ एल, बी ई एल तथा अन्य अनेक राष्ट्रीय उपक्रमों ने हमारे देश की पिछड़ी आर्थिकता को विकसित करने के काम में महत्वपूर्ण योगदान डाला है। वे इसकी उदाहरणें हैं। इन संस्थाओं ने प्रौद्योगिकी विकसित की है तथा अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी विशेषज्ञता प्राप्त की है।

4.3 भारत सरकार द्वारा वर्तमान में अपनाई गई विश्व बैंक - अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निदेशित नीति का लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् विकसित की गई इन क्षमताओं को समाप्त करना है। भारत सरकार की नयी आर्थिक नीति तथा भारतीय उद्योग पर उसके विनाशकारी प्रभाव की

पृष्ठभूमि में आत्मनिर्भरता की रक्षार्थ इन संस्थानों तथा शोध एवं विकास की स्वदेशी संरचना की रक्षा करना अत्यंत अनिवार्य हो गया है । सी आइ टी यू को सभी उद्योगों में स्वदेशी शोध एवं विकास गतिविधियों के लिये उसके लाभ के एक अंश को कानूनी रूप से व्यवस्था करने की मांग को लोकप्रिय बनाना चाहिये ।

4.4 उपरोक्त चर्चा से हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि हमें आयातित प्रौद्योगिकी के लिये अपने सभी द्वार बंद कर लेने चाहिये । किन्तु प्रौद्योगिकी का आयात हमारी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, हमारी अपनी स्वदेशी प्रौद्योगिकी तथा शोध एवं विकास कार्यों का कम आंकलन किये बिना और राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के विकास में सहायता पहुंचाने के लिये होना चाहिये । हमारे भीतर ऐसी प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की क्षमता का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः प्रौद्योगिकी के आयात हेतु प्रौद्योगिकी के अंतरण की शर्त रखी जानी चाहिये । सी आइ टी यू ने इसी लिये मांग की है कि नयी प्रौद्योगिकी को ट्रेड यूनियनों की सहमति मे ही लागू किया जाए ।

4.5 जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कुछ उद्योगों का उनके पुर्नजीवन हेतु आधुनिकीकरण किया जाना आवश्यक है । किन्तु इससे भी श्रमशक्ति में भारी कमी किये जाने का अवश्यंभावी प्रभाव पड़ेगा । उदाहणार्थ कुछ अपवादों को छोड़ कर भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकीय दृष्टि से उन्नतिशील बनाने के लिये निरंतर प्रयास नहीं किये गए हैं । यही कारण है कि मैन्युफेक्चरिंग तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र अप्रचलित प्रौद्योगिकी से उत्पन्न समस्याओं ओर उसके साथ-साथ कार्य कुशलता, उत्पादकता, गुणवत्ता, कम से कम लागत में उत्पादन करने में असमर्थता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । ऐसी स्थिति में आधुनिकीकरण के प्रयासों में सर्वप्रथम स्वदेशी प्रौद्योगिकी, मशीनरी, तथा अन्य साधनों (निवेशों) को प्रयोग में लाया जाना चाहिये ताकि ऐसे आधूनिकीकरण की सामाजिक लागत कम से कम आए ।

4.6 भारत में नयी प्रौद्योगिकी का प्रवेश सौदेबाजी की सामूहिक प्रक्रिया के साथ समन्वित नहीं होता । यही करण है कि ट्रेड यूनियनों को श्रमिक हितों के प्रभावी संरक्षण को सुनिश्चित बनाने के लिये समय रहते सौदेबाजी करने की अपेक्षा श्रमिक अधिकारों तथा उनकी सेवा स्थितियों पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव का पता लगाने के लिये भगीरथ प्रयास करने पड़ते हैं । अनेक स्थानों पर देखा गया है कि नयी प्रौद्योगिकी के प्रवेश से रोजगार का कर्मचारियों की यूनियनकृत श्रेणी से गैर यूनियनकृत उच्च श्रेणी में अंतरण हो जाता है । ऐसे मामलों में प्रारम्भिक प्रौद्योगिकीय सौदेबाजी के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाईयों को रोकना होगा ताकि नयी मेधा को आगे लाने और उस पर नियंत्रण रखने के काम पर प्रबंधकीय श्रम शक्ति का एकाधिकार न रहे ।

4.7 किसी उद्योग विशेष में प्रौद्योगिकी के विभिन्न स्तरों में अंतर करने की सम्भावनाएं विद्यमान होती हैं ताकि किसी उद्योग विशेष के लिये श्रमिकों को कम से कम विस्थापित करना

सुनिश्चित बनाया जा सके। इसके लिये सम्बन्धित प्रौद्योगिकीय क्षेत्र का विस्तृत एवं सघन अध्ययन करना अत्यावश्यक है। तभी उद्योग तथा दे श की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार प्रौद्योगिकी का विवेकपूर्ण प्रयोग हो सकेगा। ऐसा तभी संम्भव हो सकेगा जब ट्रेड यूनियनों को प्रौद्योगिकी के प्रवेश के प्रारम्भिक चरण से ही सौदेबाजी करने का अधिकार प्राप्त होगा।

4.8 उच्चतर प्रौद्योगिकी के सामान्य प्रवेश से श्रमिक शक्ति विशेष रूप से संगठित क्षेत्र में की संरचना में क्रमिक परिवर्तन होता है। अकुशल रोजगार की भूमिका न्यूनतम हो जाती है, उत्पादन प्रक्रिया के भीतर कुशल कारीगरी में भी परिवर्तन आ जाता है, उच्चतर कार्य-कौशल तथा उच्चतर शैक्षणिक स्तर की आवश्यकता धीरे-धीरे अत्याधिक बढ़ जाती है और इसके साथ ही संगठन की कार्यनीति तथा तकनीक को नवीकृत करना आवश्यक हो जाता है

4.9 उच्चतर प्रौद्योगिकी के प्रवेश से उद्योग के विशेष क्षेत्र में उच्चतर श्रेणी के कुशल श्रमिकों में अ-कुशलता आने लगती है। जहां आटोमोटिव मशीनों के माध्यम से किसी कार्य के पांच में से चार चरण एक ही प्रक्रिया में समन्वित हो जाते हैं वहां मध्यवर्ती चरणों के श्रमिकों के कार्य कौशल को उच्चतर कार्य-कौशल वाले रोजगार माना जाने लगता है। परिणामस्वरूप वे कर्मचारी अतिरिक्त हो जाते हैं। कुछ उद्योगों में ऐसे उच्च कार्य कौशल वाले श्रमिकों को अपेक्षाकृत कम-कुशल रोजगार में अंतरित कर दिया जाता है। इससे सम्बन्धित श्रमिकों में ऐसी पुनर्नियुक्ति या अंतरण के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न होता है। यूनियनों को ऐसी समस्याओं के समाधान हेतु उपाय ढूँढने होंगे। उत्पादन क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय प्रगति की प्रक्रिया के अन्तर्गत एक विशेष उत्पादन प्रकिया में विभिन्न प्रकार की मेधाओं एवं रोजगारों की विभाजक रेखा और गहरी होती चली जा रही है। उपरोक्त प्रक्रिया में बहु-कार्य कुशलता का दृष्टिकोण विकसित होगा। कभी - कभार बहु कार्य कुशलता या बहु-रोजगार प्रणाली से अ-कुशल होने की स्थिति में श्रमिकों की पुनर्नियुक्ति में सहायता मिल सकती है। किन्तु इसके साथ ही बहु रोजगार प्रणाली कार्य पद्धतियों की बहुविध प्रणालियों की ओर ले जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप श्रम-शक्ति में कटौती होने के साथ-साथ शोषण में वृद्धि होगी। अ-कुशलता की समस्या से कैसे निपटा जाए। इसके परिणामस्वरूप कार्य-संगठन में परिवर्तन होना भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। उच्चतर प्रौद्योगिकी के प्रवेश की स्थिति में ट्रेड यूनियनों को इस पर भी विचार करना होगा।

4.10 ट्रेड यूनियन आंदोलन को प्रत्येक विशिष्ट मामले में नयी प्रौद्योगिकी के प्रवेश को निम्नलिखित सम्भावनाओं की दृष्टि से देखना होगा:

क) किसी विशेष उद्योग में श्रमिकों के रोजगार तथा उनकी आय को तात्कालिक खतरा।

ख) उपलब्ध वातावरण में उद्योग का बने रहना

ग) देश तथा जनता के विशाल तथा दीर्घावधि के हित समस्याओं से निपटने की कार्यनीति का कोई एक सामान्य फार्मूला नहीं हो सकता। यह उद्योग दर उद्योग तथा इकाई दर इकाई अलग-अलग होगा। आवश्यकता इस बात की है कि ट्रेड यूनियन संगठन उद्योग एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रौद्योगिकी के विषय में अपनी व्यापक समझ बनाए ताकि वह व्यष्टि तथा समष्टि दोनों स्तरों पर स्थिति का विश्लेषण करके उससे निपट सके। ऐसा करते समय मजदूर वर्ग के विशिष्ट उत्तरदायित्व को ध्यान में रखा जाना चाहिये। निचले स्तर पर हमारी कार्यनीति ठोस वास्तविकताओं पर आधारित होनी चाहिये और मजदूर वर्ग पर भी इस सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व करने का दायित्व है।

4.12 नयी प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में सामान्यता हमें जिस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है उसका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है:

- ऐसी स्थिति जहां पहले ही उचचतर प्रौद्योगिकी का प्रवेश हो चुका है, में यूनियनें उसके प्रभावों का पता लगाने के लिये भागदौड़ करती हैं।
- ऐसी स्थिति, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में जहां अनेक स्थानों पर यूनियनों को किसी इकाई विशेष को जीवन क्षम बनाने या बनाए रखने के लिये उसके आधुनिकीकरण की मांग करती पड़ी है। ऐसे मामलों में भी आधुनिकीकरण तथा उच्चतर प्रौद्योगिकी से श्रमिकों के अतिरिक्त होने, पुनर्नियुक्त, यहां तक कि श्रम शक्ति की छंटनी, पुनप्रशिक्षण, कार्य पद्धति में परिवर्तन जिसके कारण कार्य बोझ में वृद्धि हो जाती है जैसी अनुवर्ती समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।
- ऐसी स्थति जहां यूनियन प्रारम्भिक चरण से ही नयी प्रौद्योगिकी के प्रवेश के मामलें में मालिक/प्रबंधन के साथ सौदेबाजी करने का अवसर प्राप्त करती है और इस सम्बन्धी वार्ता करने में सक्षम होती है।

4.12 ऐसी विभिन्न स्थितियों में जिनका वर्गीकरण ऊपर किया गया है, हमारी कार्यनीति या दृष्टिकोण कैसा होना चाहिये, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर स्पष्ट शब्दों में दिये जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से उन स्थानों में जहां हमारी यूनियनें प्रभावी सौदेबाजी करने में सक्षम होती हैं और यहां तक कि वे प्रौद्योगिकी के मामले में मालिक के किसी भी कदम विशेष पर अपनी 'हां' या 'न' कह सकती हैं, हमें सम्बनधित इकाई में प्रौद्योगिकी को विशेष स्तर तक विकसित करने के प्रश्न पर अपने रुख का निर्धरण करते समय किन कारकों एवं मुद्दों पर, संगठन की सर्वव्यापी अत्यंत असमान स्थिति की पृष्ठभूमि में विचार करना चाहिये। हमें ऐसी स्थितियों से किस प्रकार निपटना है, ये ऐसे मूल प्रश्न हैं जिनका सम्बन्ध नयी प्रौद्योगिकी पर ठोस रूप में अपनी नीति का निर्धारण करने से है।

5.0 ट्रेड यूनियनों का हस्तक्षेप

5.1 मूल प्रश्न प्रौद्योगिकी के मामले में प्रारम्भिक चरण से ही हस्तक्षेप करने के यूनियन के अधिकार का है। ऐसे हस्तक्षेप तथा\या सौदेबाजी निम्नलिखित पक्षों को दृष्टि में रख कर किये जाने\की जानी चाहिये:

i) रोजगार सर्जन तथा श्रम शक्ति विशेष रूप से अकुशल, अर्ध-कुशल तथा कामकाजी महिलाओं इत्यादि की संख्या में कटौती।

ii) प्रौद्योगिकी का प्रकार - आयातित या स्वदेशी।

iii) वेतन तथा काम के घंटे और उसके साथ-साथ उच्च लाभदायकता\सुधरी प्रौद्योगिकी के कारण होने वाली भारी आय।

iv) नयी प्रौद्योगिकी के प्रवेश से अतिरिक्त होने वाली श्रम शक्ति की उद्योग के भीतर पूनर्नियुक्ति एवं पुनप्रशिक्षण, उसकी विधि एवं प्रभाव।

v) अप्रत्यक्ष रोजगार सर्जन तथा सामाजिक लागत में कटौती ।

vi) स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा वातावरण पर प्रभाव।

vii) उद्योग\कम्पनी की प्रौद्योगिकीय योजना के सम्बन्ध में ट्रेड यूनियनों के साथ पूर्व एवं समुचित सूचनाओं का आदान-प्रदान करना।

6.0 कैसे कदम उठाने चाहिये !

6.1 व्यष्टि एवं समष्टि के स्तर पर नीति निर्धारण के समय प्रभावी हस्तक्षेप के लिये ट्रेड यूनियनों तथा मजदूर वर्ग को तैयार करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहियें।

i) श्रम-शक्ति के नियोजन तथा सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया में प्रभावी हस्तक्षेप करने के लिये ट्रेड यूनियनों की ओर से इकाई तथा उद्योग दोनों स्तरों पर वांछित कार्य कौशल की लेखा परीक्षा (सकिल आडिट) कराई जानी चाहिये।

ii) यूनियनों को अपनी राज्य समितियों\उद्योगवार फेडरेशनों के निदेशन में शैक्षणिक\प्रचार सामग्री तैयार करने के दृष्टिकोण से उद्योग में कार्यरत तकनीकी विशेषज्ञों तथा अभियंताओं (इंजीनियरों) का सहयोग प्राप्त करके प्रौद्योगिकी के उपयोग के क्रम विकास तथा उसकी आनुषंगिक समस्याओं का संयंत्र\उद्योगवार अध्ययन करना चाहिये।

iii) उपरोक्त सामग्री के आधार पर सामान्य समस्याओं का पता लगाने के लिये उद्योगवार कार्य शालाओं का आयोजन किया जाए।

iv) प्रौद्योगिकी की उद्योगवार समस्याओं का अध्ययन करने, प्रौद्योगिकी स्तर के मूल्य निर्धारण तथा केन्द्र तथा राज्यों दोनो में कार्य कौशल एवं प्रौद्योगिकीय सम्बन्धी

आंकड़ों को सम्भाल कर रखने के लिये एक प्रौद्योगिकीय प्रकोष्ठ बनाया जाए।

v) मध्यवर्ती परिवर्तनों के मूल्यांकन तथा सम्बन्धित मामले में अपनी समझ एवं सूचना का नवीकरण करने के उद्देश्य से समय-समय पर राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की जाए।

7.0 सी आइ टी यू को भारत सरकार द्वारा चालित तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों की आंतरिक संरचना को व्यापक बनाने एवं सुदृढ़ करने की मांग को लोकप्रिय बनाना चाहिये जिससे जनता को तकनीकी शिक्षा निशुल्क अथवा सब्सिडी वाली दरों पर प्रदान की जा सके और इस पर (तकनीकी शिक्षा) साधन सम्पन्न लोगों का एकाधिकार स्थापित न हो सके। इस प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम को निरंतर आधुनिक बनाते रहना चाहिये ताकि वह आर्थिकता की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रासंगिक बना रहे ।

8.0 इस विषय पर काम करते समय जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है ट्रेड यूनियनों को यह तथ्य कदापि नहीं भूलना चाहिये कि वर्ग विभाजित समाज में मालिक मजदूर वर्ग के कंधों पर अधिक बोझ डालने का प्रयास करता है। इसलिये प्रत्येक चरण पर उन्हें श्रमिकों के साथ बातचीत करनी चाहिये और किसी भी मामले पर अंतिम निर्णय लेने से पूर्व उन्हें विश्वास में लेना चाहिये

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर आयोग

असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं ?

1. सरकार की अपनी विशिष्टियों के अनुसार उद्योगों के असंगठित क्षेत्र में वे उद्योग शामिल हैं जहां उत्पादन की कोई संगठित कारखाना प्रणाली नहीं है। इन उद्योगों में फेक्टरी - एक्ट लागू नहीं किया जाता। योजना आयोग (1990) के अनुसार लघु औद्योगिक इकाई उसे माना जाता है जहां न्यूनतम 60 लाख रुपये की पूंजी का निवेश किया गया हो। लघु उद्योगों की अधिसंख्य इकाईयों को असंगठित क्षेत्र के उद्योग माना गया है। ऐसा उद्योग जहां बिजली की खपत नहीं होती, उसे भी उद्योग का असंगठित क्षेत्र माना गया है। राष्ट्रीय श्रम आयोग (1969) ने हथकरघा, बिजली करघा, बीड़ी, भवन एवं निर्माण, भट्ठा, पत्थर खदान, आतिशबाजी चर्म, लघु रासायनिक इकाईयों, वस्त्र, कालीन, काजू, चूड़ी बनाने वाली इकाईयां, हीरे तथा मोतियों को तराशने, वाली इकाईयां, इत्यादि उद्योगों को असंगठित क्षेत्र में सम्मलित किया था। श्रम आयोग के अनुसार इन उद्योंगों की सूची अनंत है। स्थायी श्रम समिति के 30वें सत्र में श्रम मंत्रालय की ओर से सितम्बर 1986 को जो प्रलेख (दस्तावेज) प्रस्तुत किये गए थे, उनके अनुसार भारत की लगभग 90 प्रतिशत श्रम शक्ति जो लगभग 24 करोड़ 50 लाख की कुल श्रम शक्ति में से 22 करोड़ बनती है, का सम्बन्ध उद्योगों के असंगठित क्षेत्र के साथ है।

इन उद्योगों के अतिरिक्त हम इन श्रमिकों जिनका विवरण नीचे दिया गया है, को भी असंगठित क्षेत्र के अन्तर्गत काम करने वाले श्रमिकों की श्रेणी में सम्मिलित कर सकते हैं। तथापि ये श्रमिक निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के असंगठित उद्योगों में काम करते हैं। विभिन्न सरकारी विभागों में भी इस प्रकार के श्रमिक कार्यरत हैं। ये श्रमिक हैं अस्थायी कर्मचारी, ठेके पर काम करने वाले मजदूर, दैनिक वेतन भोगी, वर्कचार्ज कर्मचारी, अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी (ई डी इ), पीस रेट पर काम करने वाले, सुरक्षा गार्ड इत्यादि।

3. स्वः रोजगार में लगे लोगों की भारी संख्या विभिन्न व्यापारों एवं व्यवसायों के साथ सम्बन्ध रखती है। इन्हें भी असंगठित क्षेत्र के अन्तर्गत माना जाना चाहिये। इनमें रिक्शा चालक, आटोरिक्शा चालक, रेलवे हाकर, स्ट्रीट हाकर, भवन निर्माण कार्यों में लगे श्रमिक, रेढ़ी वाले, माल चढ़ाने और उतारने वाले तथा सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक इत्यादि शामिल हैं।

4. श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग गृह आधारित उद्योगों में कार्यरत है। नयी आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों के संदर्भ में पुनर्गठन की प्रक्रिया के अन्तर्गत संगठित क्षेत्र के उद्योग विशेष रूप से अपना माल गृह आधारित उद्योगों में तैयार कराने लगे हैं। इन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों में लगभग 80% से 90% तक महिलाएं हैं। संगठित क्षेत्र में कमी लाए जाने के कारण असंगठित क्षेत्र में ऐसे श्रमिकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है।

4. श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग गृह आधारित उद्योगों में कार्यरत है। नयी आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों के संदर्भ में पुनर्गठन की प्रक्रिया के अन्तर्गत संगठित क्षेत्र के उद्योग विशेष रूप से अपना माल गृह आधारित उद्योगों में तैयार कराने लगे हैं। इन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों में लगभग 80% से 90% तक महिलाएं हैं। संगठित क्षेत्र में कमी लाए जाने के कारण असंगठित क्षेत्र में ऐसे श्रमिकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है।

5. उपरोक्त समीक्षा के अनुसार हम असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हैं। :

क) उद्योगों के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक।

ख) संगठित क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों के साथ सम्बन्धित श्रमिक तथा कर्मचारी। इन में अस्थायी तथा ठेके पर काम करने वाले श्रमिक शामिल हैं जैसा कि ऊपर पैरा-2 में उद्धृत किया गया है।

ग) स्वः रोजगार में लगे श्रमिक।

घ) गृह-आधारित उद्योगों में लगे श्रमिक।

6. उद्योगों/व्यापार/व्यवसायों के उपरोक्त वर्गों में कार्यरत श्रमिकों के अतिरिक्त कोई भी ऐसा उद्योग जहां श्रमिकों की संख्या 10 से कम हो, को भी उद्योगों के असंगठित क्षेत्र में ही माना जाएगा क्योंकि वहां काम करने वाले श्रमिक श्रम कानूनों के लाभों के पात्र नहीं हैं।

7. यदि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले अनेक वर्गों के श्रमिकों को उद्योगों के संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ ट्रेड यूनियन गतिविधियों में लाया जाए और संगठित किया जाए तो ट्रेड यूनियन आंदोलन का स्वरूप ही बदल जाएगा। श्रमिक वर्ग के पक्ष में वर्गीय शक्तियों के सह-सम्बन्धों को बदलने के लिये यह तथ्य भारी महत्व रखता है।

सरकारी घोषणाएँ

8. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने घोषणा की थी कि औद्योगिक विकास ऐसे विशेष मानदंडों में से एक है जिनका प्रभाव विकास पर पड़ता है। तत्कालीन योजना आयोग ने सुझाव दिया था कि संतुलित औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिये असंगठित क्षेत्र में चलने वाले लघु उद्योगों को विकसित किया जाए। बड़े तथा इजारेदार उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति में असंगठित क्षेत्र तथा लघु उद्योगों की सुरक्षार्थ एक नीति का निर्धारण किया गया जिसके अन्तर्गत उत्पादन की कुछ विशेष वस्तुओं को असंगठित क्षेत्र तथा लघु उद्योगों के लिये आरक्षित कर दिया गया था। तथापि औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया के साथ इस दिशा में सफलतापूर्वक प्रगति नहीं की जा सकी तथा पुरानी सामाजिक - आर्थिक संरचना अपरिवर्तित रही। सरकार की नीति में बदलाव आ गया, आरक्षण की नीति वापस ले ली गई तथा असंगठित क्षेत्र एवं लघु उद्योगों में इजारेदार उद्योगों की घुसपैठ बढ़ने लगी। इसके कारण उद्योग का यह क्षेत्र भारी संकटपूर्ण स्थिति में फंस कर रह गया।

सुरक्षा : व्यावसायिक खतरे

18. उद्योगों के असंगठित क्षेत्र में सुरक्षा प्रमुख समस्या है। इस सम्बन्ध में भवन एवं निर्माण उद्योग व्यावसायिक खतरों से सर्वाधिक प्रभावित है। मालिकों की ओर से सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जाता और भारत के भवन एवं निर्माण उद्योग में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या विश्व भर में सर्वाधिक है। असंगठित क्षेत्र के उद्योगों में व्यावसायिक खतरे एक समस्या का रूप ले चुके हैं। उद्योगवार अलग-अलग सुरक्षा कानूनों जिनमें स्वास्थ्य की सुरक्षा भी शामिल है,को लागू किया जाना चाहिये।

नयी आर्थिक नीति के प्रभाव :

19. ट्रेड यूनियनों को इस क्षेत्र के उद्योगों की सुरक्षार्थ अग्रणी भूमिका निभानी होगी ताकि निजी इजारेदार तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इन्हें निगल न सकें। ट्रेड यूनियनों को इन उद्योगों की सुरक्षा करने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों से ब्याज की सामान्य दरों पर पूंजी उपलब्ध कराने,बिजली, कच्चा माल समुचित मूल्यों पर सुलभ कराने,आरक्षण नीतियों को पुनःपरिभाषित करने,इन क्षेत्रों में इजारेदारों एवं बहुराष्ट्रीयों की घुसपैठ रोकने जैसी मांगें उठानी चाहियें।

आंदोलन तथा संगठन

20. असंगठित क्षेत्र के उद्योगों के श्रमिकों को लामबंद करने के उद्देश्य से सी आइ टी यू ने 1991 में, अपने कलकत्ता महाधिवेशन में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की अखिल भारतीय समन्वय समिति का गठन किया था। पिछले तीन वर्षों में न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर विभिन्न राज्यों में अनेक आंदोलन चलाए गए हैं। जनरल कौंसिल की कानपुर बैठक जो 1990 में हुई थी,में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये एक मांग पत्र तैयार किया गया था। इन श्रमिकों का अखिल भारतीय सम्मेलन पानीहाटी,कलकत्ता में 1-3 नवंबर 1992 को हुआ। उसमें 22 सूत्रीय मांग पत्र के क्रियान्वयन हेतु अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल करने का निर्णय लिया गया था। उसी निर्णय के अनुसार 14 जुलाई 1993 को हड़ताल की गई। पश्चिम बंगाल,कर्नाटक, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में तो हड़ताल अत्यंत सफल रही। पंजाब तथा बिहार,उत्तर प्रदेश,राजस्थान एवं हरियाणा के कुछ भागों में भी हड़ताल सफल रही। केरल में हड़ताल नहीं की गई थी।

21. इसके पश्चात् संघर्ष के अनेक कार्यक्रम चलाए गए। लगभग दो लाख हस्ताक्षरों से युक्त एक याचिका 1993 में लोक सभाध्यक्ष को भेंट की गई।

22. हमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की भारी संख्या को देखते हुए स्वीकार करना होगा कि हम अभी तक इन श्रमिकों के बहुत छोटे भाग तक ही पहुंच सके हैं। हमें सुनियोजित ढंग से इस विशाल क्षेत्र में फैल जाना होगा,उनके संगठन बनाने होंगे और उन संगठनों को सुदृढ भी बनाना होगा।

23. असंगठित उद्योगों तथा स्वः रोजगार में लगे श्रमिकों के विशिष्ट लक्षणों के दृष्टिगत हमें सी आइ टी यू के मार्ग दर्शन में इन श्रमिकों के बिखरे समूहों को संगठित करने के काम में नये कार्यकर्ताओं को लगाना होगा।

24. ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिये कार्यशालाओं तथा ट्रेड यूनियन कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिये। सी आइ टी यू केन्द्र ने असंगठित क्षेत्र में हिंदी भाषी ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के लिये अप्रैल में एक कार्यशाला का आयोजन किया था। यह कार्यशाला आइ एल ओ द्वारा प्रायोजित थी।

आंदोलन का दृष्टिकोण :

25. हमारे लिये आवश्यक है कि हम एक कार्रवाई योजना अपनाएं और असंगठित क्षेत्र में उद्योग की वैज्ञानिक समीक्षा करें। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक भाग कृषि के साथ सम्बन्ध रखता है। ग्रामीण क्षेत्र में सामंतवादी विचारधारा का प्रभाव अत्याधिक हैं। साम्प्रदायिक एवं विभाजक शक्तियों को प्रतिगामी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों तथा इस क्षेत्र में ट्रेड यूनियन जागरूकता के अभाव में उर्वर आधार मिला हुआ है। नयी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध तथा विशेष मांगों के लिये संघर्ष करते समय इन कारकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये।

संयुक्त संघर्ष के लिये प्रयास :

26. सी आइ टी यू ने इस अवधि में विभिन्न केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ सम्बन्ध रखने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संयुक्त संघर्ष को विकसित करने के लिये प्रयास किये हैं। दिल्ली में 23 सितम्बर 1989 को एटक, एच एम एस, यू टी यू सी तथा यू टी यू सी (एल एस) के साथ मिलकर एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन देश व्यापी हड़ताल करने के निर्णय को अंतिम रूप नहीं दे सका क्योंकि अन्य ट्रेड यूनियनें इसके लिये तैयार नहीं थीं। सी आइ टी यू ने 14 जुलाई की हड़ताल से पूर्व भी अन्य ट्रेड यूनियनों को लामबंद करने के प्रयास किये थे। यद्यपि केन्द्रीय स्तर पर इन प्रयासों को सफलता नहीं मिली तथापि कुछ राज्यों में अधिकांश ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल में भाग लिया।

27. हमें एक बात समझ लेनी चाहिये कि श्रमिक वर्ग की एकता ही हमारी शक्ति का प्रमुख स्रोत है। सार्थक प्रतिरोध तभी हो सकता है जब निचले स्तर पर सभी ट्रेड यूनियनों तथा श्रमिकों में अपनी-अपनी सम्बद्धता से ऊपर उठ पर एकता विकसित की जाएगी। हम अपनी यूनियनों को सुदृढ़ करके तथा संयुक्त संघर्षों को आगे बढ़ा कर इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एकता स्थापित करने तथा संयुक्त संघर्ष विकसित करने के लिये हमें गम्भीरतापूर्वक निरंतर प्रयास करते रहना होगा।

संघर्ष के भावी कार्यक्रम :

28. हाल ही में अखिल भारतीय समन्वय समिति की एक बैठक 3 फरवरी को चण्डीगढ़

में हुई। उस बैठक में सी आइ टी यू की ओर से इस क्षेत्र में किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई। उससे पता चलता है कि लगभग सभी राज्यों में हमारी सदस्य संख्या बढ़ी है। यह देखा गया कि केन्द्रीय सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में आयोजित तीन हड़तालों जिनमें 9 सितम्बर का भारत बंद भी शामिल हैं, में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की भागीदारी बढ़ी है।

29. बैठक में 22 सूत्रीय मांग पत्र के क्रियान्वयन हेतु संघर्ष के निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया था :

i) 5 अप्रैल के संसद की ओर मार्च कार्यक्रम के लिये श्रमिकों को लामबंद करना।

ii) अप्रैल तथा मई में संयुक्त रूप में राज्यों में सम्मेलनों तथा जन सभाओं का आयोजन करना।

iii) जून के अंत तक दिल्ली में अखिल भारतीय स्तर का संयुक्त सम्मेलन आयोजित करना।

iv) अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ विचार विमर्श करके इस क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल करने की सम्भावनाओं का पता लगाना।

30. मांग पत्र जिसे पानीहाटी सम्मेलन में तैयार किया गया था, इस प्रकार है:

1) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निदेशित आर्थिक एवं औद्योगिक नीति वापस लो।

2) उद्योगों के असंगठित तथा लघु इकाईयों के क्षेत्र में भारतीय तथा विदेशी इजारेदारों की घुसपैठ बंद करो।

3) न्यूनतम वेतन अधिनियम को भारतीय संविधान की 9 वीं अनुसूची में शामिल करो।

4) i) 15 वें भारतीय श्रम सम्मेलन के निर्णय के अनुसार आवश्यकता पर आधारित वेतन घोषित किये जाएं, तब तक मूल्य सूचक अंक के 800 बिंदुओं (आधार 1960) पर न्यूनतम मूल वेतन 1050.00 रुपये करने की घोषणा की जाए।

ii) महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु 2.00 रुपये प्रति बिंदु तटस्थीकरण की दर निश्चित की जाए।

5) सभी पीस रेट श्रमिकों जिनकी सेवाएं नियमित नहीं हुई हैं, के वेतनों में 30% वृद्धि की जाए।

6) सभी श्रमिकों के लिये नियुक्ति-पत्र जारी किये जाएं।

7) i) ऐसे श्रमिकों को समुचित आवासीय सुविधा सुलभ कराई जाए।

ii) एच आर ए को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।

8) इस क्षेत्र के श्रमिकों के लिये भविष्य निधि योजना, ई एस आई, गैच्युटी, छंटनी लाभ, प्रसूति लाभ तथा अन्य विधायी लाभ लागू किये जाएं।

9) चिकित्सा तथा शैक्षणिक सुविधाएं।

10) श्रम कल्याण के लिये समुचित उपाय किये जाएं।

11) विधायी प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले मालिकों को कठोर दण्ड दिये जाएं।

12) रोजगार और कामकाजी स्थितियों के मामले में कामकाजी महिलाओं तथा बाल श्रमिकों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए।

13) कामकाजी महिलाओं को पुरुष श्रमिकों के समान क्षतिपूर्ति दी जाए तथा उनके लिये कार्य स्थलों पर शिशु पालन गृहों की व्यवस्था की जाए।

14) सभी श्रमिक विवादों का निपटारा तीन मास के भीतर किया जाए। उनके लम्बित होने की स्थिति में उन्हें पूरा वेतन दिया जाए।

15) असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सभी श्रमिकों के लिये दिन में आठ घंटे तथा सप्ताह में 48 घंटे काम, कानूनी अवकाश, सवैतनिक अवकाश, तथा अतिरिक्त काम करने पर दोहरा ओवर टाइम देने की व्यवस्था की जाए।

16) स्थायी प्रकृति के कामों में ठेका मजदूरी की समाप्ति तथा ठेका मजदूरों को नियमित करना।

17) असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने के लिये सरकार प्रभावी रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम तथा ठोस कल्याण योजनाएं शुरू करे।

18) न्यूनतम वेतन अधिनियम को कार्यरूप देने की प्रक्रिया की निगरानी हेतु जिला स्तरीय त्रिपक्षीय समितियों का गठन किया जाए।

19) केन्द्रीय सरकार उचित मूल्य पर लघु उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करे।

20) असंगठित क्षेत्र के लिये कम समय में तथा ब्याज की निम्न दर पर बैंक ऋण दिये जाएं और रेलवे हाकरों, फेरी वालों, कुलियों इत्यादि को लाइसेंस दिये जाएं।

21) काम करने के अधिकार को संवैधानिक रूप दिया जाए।

22) सभी अस्थायी, दैनिक वेतन पर काम करने वाले, वर्क चार्ज तथा अनियमित कर्मचारियों को 240 दिन की सेवा के पश्चात् स्थायी किया जाए।

इसमें काम बंदी की वह अवधि भी शामिल की जानी चाहिये जो स्थायी प्रकृति के कामों में मालिक जबरदस्ती श्रमिकों पर लागू करते हैं।

'काम के अधिकार' सम्बन्धी आयोग में विचारार्थ दस्तावेज़

1. जनवादी आंदोलन द्वारा लम्बे समय से मौलिक अधिकार के रूप में 'काम के अधिकार' की मांग की जा रही है। जनता के सभी वर्गों में इस मांग के लोकप्रिय होने पर भी अभी इसने एक शक्तिशाली देशव्यापी आंदोलन का रूप लेना है। कामरेड बी टी रणदिवे के अनुसार'सभी जनवादी अधिकारों में से यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है। भाषण करने तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, जनता की अपनी इच्छा के अनुरूप सरकार बनाने की स्वतंत्रता जैसे अधिकार बहुमूल्य तो है किन्तु 'काम के अधिकार' के बिना ये मात्र औपचारिक अधिकार ही बन कर रह जाते हैं"

2. भारतीय इस्पात कर्मचारी फेडरेशन तथा दुर्गापुर स्टील टाउनशिप की अनेक फेडरेशनों एवं परिसंघों की पहलकदमी पर अप्रैल 1990 में 'काम के अधिकार' पर एक अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। यह एक अच्छा आरम्भ था। इस संगोष्ठी में देश भर के संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन के विशाल वर्गों के अतिरिक्त छात्रों, युवाओं, महिलाओं और अन्य व्यवसाओं के जुड़े विभिन्न संगठनों ने भाग लिया था। संगोष्ठी में न केवल ट्रेड यूनियनों अपितु युवाओं, छात्रों, महिलाओं और जनता के अन्य वर्गों के संगठनों पर आधारित मंच से एक शक्तिशाली जन आंदोलन के निदेशन हेतु एक प्राथमिक दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था। सी आई टी यू के अध्यक्ष कामरेड बी टी रणदिवे ने स्पष्ट रूप से रेखांकित किया था: "मजदूर वर्ग की संगठित शक्ति के रूप में ट्रेड यूनियनों को आगे बढ़ कर बेरोजगार मजदूरों, ग्रामीण जनता, युवाओं, छात्रों और महिलाओं इत्यादि के अभियान को संगठित करना चाहिये और इसके साथ ही उसे मजदूरों से लेकर मध्यम श्रेणी तक सभी वर्गों के बेरोजगारों के स्थायी संगठनों को सुनिश्चित बनाने के लिये कदम उठाने चाहियें जो उनके अधिकारों के लिये लड़ सके।"

3. सी आइ टी यू द्वारा दुर्गापुर संगोष्ठी के पश्चात् मुद्दों पर आधारित विशालतर संयुक्त आंदोलन को विकसित करने के लिये कदम उठाए गए। दुर्भाग्यवंश कुछ प्रकट कारणों से बाद के समय में उस पहलकदमी की निरंतरता को बनाए नहीं रखा जा सका।

4. बेरोजगारी के कारण या उनकी प्रासंगिकता कुछ भी क्यों न रही हो किन्तु 'काम के अधिकार' और इसके लिये शक्तिशाली आंदोलन चलाने की आवश्यकता को कभी भी पृष्ठभूमि में धकेला नहीं जा सका। भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की निदेशित आर्थिक एवं औद्योगिक नीति लागू किये जाने पर भी रोजगार हीनता और बेरोजगारी की समस्या का सर्व धारण के सभी वर्गों के नये सिरे से होने वाले प्रतिकार के रूप में स्वयंमेव प्रकटीकरण हुआ है। अब बेरोजगार लागों को रोजगार प्रदान करने तथा 'काम के अधिकार' जैसी लोकप्रिय मांगों का सामना ऐसी स्थिति से हो रहा है जहां सराकर की नयी नीतियों के परिणामस्वरूप

बेरोजगारी की दर में वृद्धि की गति और तेज हो गई है। लाखों को 'काम का अधिकार' देने की अपेक्षा मुठ्ठी भर मालिकों की श्रमिकों को भाड़े पर रखने और निकाल देने की मांग को कानूनी रूप दिया जा रहा है।

5. नयी आर्थिक नीतियों वाली सत्ता की दो वर्षीय अवधि में बेरोजगारी पहले ही 340 लाख से बढ़ कर 380 लाख हो गई है। योजना आयोग का अपना अनुमान है कि 1996-2002 के मध्य यह संख्या बढ़ कर 940 लाख तक पहुंच सकती है। पिछले कुछ वर्षों में बेरोजगारी की वृद्धि का रुझान दर्शाता है कि इसमें सामान्यतः 1.5% की वृद्धि प्रति वर्ष हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कार्यालय नहीं हैं तथापि ग्रामीण क्षेत्रों में 700 लाख से कम बेरोजगारी नहीं है। अतः इस देश के 1100 लाख लोग इस समय रोजगार विहीन हैं।

6. देश की कुछ 87 करोड़ जनसंख्या में 18-53 के मध्य की आयु के लोगों की संख्या एक मोटे अनुमान के अनुसार 40 करोड़ है। वर्तमान में लगभग 25% श्रमशक्ति के पास करने के लिये कोई काम नहीं है जबकि उसकी संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष उभर कर हमारे सामने आ रहा है। वह पक्ष है: युवाओं में बेरोजगारी की ऊंची दर। यह समाज के लिये चिन्ता का विषय है। विश्व श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में युवा बेरोजगारों की संख्या 80% है। इनमें शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। पढ़ी-लिखी युवा पीढ़ी के मामले में तो बेरोजगरी की समस्या और भी गम्भीर है। यह पीढ़ी भारत की कुछ श्रम शक्ति का 12% है।

7. श्रम बाजार में रोजगार पाने के लिये भटक रहे इन बेरोजगारों की संख्या में और वृद्धि हो रही है। उनमें वे हजारों लोग भी शामिल हैं, जिन्हें रोजगार क्षति झेलनी पड़ रही है और वे इस समय उद्योगों की बीमारी और औद्योगिक इकाईयों के बंद होने के कारण नौकरी से निकाले जाने की प्रक्रिया से त्रस्त हो रहे हैं।

8. नयी आर्थिक नीतियों पर आधारित सत्ता के अढ़ाई वर्षों में बीमार औद्योगिक इकाईयों की संख्या पहले ही 3 लाख से बढ़ कर 4 लाख हो चुकी है। इससे लाखों लोगों के रोजगार पर दुष्प्रभाव पड़ा है। सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक कम्पनियों को केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा नियुक्त प्रबंधन की ओर से जानबूझ कर बीमार बनाया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सार्वजनिक क्षेत्र की अठावन इकाईयों की पहचान कर ली गई है। उन पर सबसे पहले गाज़ गिरेगी और उन्हें बी आइ एफ आर के हवाले कर दिया जाएगा। सरकार की नीति ही कुछ ऐसी है कि जिन इकाईयों का मामला बी आइ एफ आर को सौंपा जाएगा, उन्हें बंद होना ही होगा। क्योंकि विश्व बैंक बी आई एफ आर में बांचों की संख्या बढ़ाने और उसे किसी भी इकाई को बंद करने का अधिकार प्रदान किये जाने के लिये सरकार पर दबाव डाल रहा है। अतः स्वाभाविक ही है कि गोस्वामी समिति 'फास्ट-ट्रक न्यायाधिकरण' स्थापित करने की संस्तुति कर रही है ताकि बीमार कम्पनियों का 'बिस्तर गोल करने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।' इन इकाईयों में कार्यरत सात लाख से अधिक लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। सार्वजनिक क्षेत्र की और 40 इकाईयां भी ऐसे ही परिणाम भुगतने के लिये अपनी बारी की प्रतीक्षा में हैं। यहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्र की उन इकाईयों को भी जिन्हें स्वस्थ्य माना जाता है और वे बीमार नहीं हैं, बीमारी की ऐसी की संवृति को झेलने के लिये विवश किया जा रहा है। बी एच इ एल एक

ऐसी ही उदाहरण है । वह अपनी कार्यक्षमता सिद्ध कर चुकी है ओर यहीं नहीं वह ऊर्जा क्षेत्र की अवश्यकताओं को प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पूर्ण करने में सक्षम रही है, इस पर भी उसे बीमारी की स्थिति की ओर धकेला जा रहा है और उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग ही नहीं किया जा रहा । उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्लज्जतापूर्ण ढंग से आयात किये जाने के कारण बड़ी कुंजीवत फर्मों के साथ जुड़ी आनुषंगिक (सहायक) इकाइयों की क्षमता की दर का बहुत कम उपयोग हो रहा है । इसलिये ये इकाईयां संकट में फंस गई हैं और बेरोजगारी में भी वृद्धि हो रही है ।

9. नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बी आइ एफ आर के समक्ष सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाईयों के कुल 16 मामलों में से केवल 12 मामलों का निपटारा किया गया है और उन 12 इकाईयों में से 10 इकाइयों का बी आइ एफ आर के आदेश पर बिस्तर गोल किया जा चुका है ।

10. राष्ट्रीय जन वित्तीय एवं नीति संस्थान (एन आइ पी एफ सी) द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार 1993-94 तक केवल संगठित क्षेत्र से ही 1.20 लाख लोग बेरोजगारों की सेना में शामिल हो जाएगें । यह बेरोजगारी औद्योगिक इकाइयों को मनमाने ढंग से बंद किये जाने के कारण उत्पन्न होगी । औद्योगिक बीमारी के प्रश्न पर अध्ययन में कहा गया है कि इसी अवधि के मध्य लगभग 29.60 लाख लोगों के रोजगार पर दुष्प्रभाव पड़ेगा । इनमें से लगभग 10 लाख लोग लघु या उससे भी छोटी औघोगिक इकाईयों से सम्बन्धित होंगे ।

11. समूचे तौर पर भारत सरकार नयी आर्थिक नीतियां अर्थतंत्र में रोजगार उत्पन्न करने की धारण के विपरीत काम करती हैं । ये नीतियां अर्थतंत्र की आत्मनिर्भरता का आंकलन कम करके करती हैं और देश की औद्योगिक संरचना को ही बर्बाद कर रही हैं । नयी नीति के अन्तर्गत अब तक जितने भी उपाय किये गये हैं या कदम उठाए गए हैं वे रोजगार उत्पन्न करने के स्थान पर रोजगार समाप्त करने वाले; नये उद्यमों को खोलने की संख्या से कहीं अधिक संख्या में औद्योगिक इकाईयों को बंद करने वाले नये उद्यमों को खोलने की संख्या से कहीं अधिक संख्या में औद्योगिक इकाईयों को बंद करने वाले; और प्रत्येक आर्थिक एवं औद्योगिक उद्यम में रोजगार सर्जन बहुत कम करने वाले हैं ।

12. भारत सरकार द्वारा श्रम-कानूनों में भारी परिवर्तन करने के लिये पहलकदमी करने का उद्देश्य एक ओर श्रमिकों को उनके हड़ताल करने के अधिकार से वंचित करना तथा दूसरी ओर मालिको यह अधिकार प्रदान करना है कि वे जब चाहे श्रमिकों को काम पर रखें और जब चाहें उन्हें निकाल बाहर करें ताकि नयी आर्थिक नीति के अन्तर्गत रोजगार की समाप्ति के मार्ग में कोई अवरोध न रहे । निर्गम नीति एवं तथाकथित राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिये की गई है । ओंकार गोस्वामी की संस्तुतियां और उसके साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्लज्जतापूर्वक औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (एन) तथा 25(ओ) को समाप्त ही इसलिये किया जा रहा है ताकि मालिकों का अपने यहां श्रमिकों को रखने और निकाल बाहर करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो सके । अतः 'काम के अधिकार' और बेरोजगारी जैसे मुद्दों की चर्चा उसी स्थिति के अनुरूप होनी चाहिये जहां श्रमिकों को रखने या निकाल बाहर करने के मालिकों को अधिकार को कानूनी रूप दिया जा रहा है ।

13. नयी आर्थिक नीतियों का लक्ष्य चाहे कुछ भी क्यों न हो, किन्तु वह ग्रामीण भारत में सामंती भूमि सम्बन्धों को समाप्त नहीं कर रहीं, वे विशाल ग्रामीण जनता की दरिद्रता मे मूल

कारणों को बनाए रखेंगी और औद्योगिक अर्थतंत्र पर भी दुष्प्रभाव डालेंगी। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगारों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है और इसके अतिरिक्त ग्रामीण बेरोजगारों अर्ध बेरोजगारों, या रोजगार के नाम पर कभी कभार काम पाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसके प्रत्युत्तर में वेतन पर जो पहले ही निम्न स्तर पर है, गम्भीर अधोगामी प्रभाव पड़ रहा है। शहरी औद्योगिक क्षेत्र की रोजगारहीनता में वृद्धि ने ग्रामीण बेरोजगारों के लिये शहरों में रोजगार ढूंढने के मार्ग अवरुद्ध कर दिये हैं। इससे वे अत्यंत दीनहीन अवस्था में पहूंच गए हैं।

14 समूचे तौर पर भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशों पर चलाया जा रहा सरंचनात्मक सुधार कार्यक्रम पहले ही रोजगार के मोर्चे पर कहर बरपा रहा हैं। ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में विशाल से विशालतर होती जा रही बेरोजगारों की संख्या संकटपूर्ण स्थिति में पहुंच चुकी है। यह मानना हास्यास्पद होगा कि विनियमीकरण और गैर लाइसेंसीकरण करने से जिसका खूब जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है, देश में उद्यमी गतिविधियों वाला भारतीय अर्थतंत्र खड़ा हो जाएगा, बेरोजगारी में वृद्धि की प्रकिया को बदलने में सक्षम होगा। इसके विपरीत नयी नीतियां कुछ और संकेत ही देती हैं। नयी नीतियों जिनका मूल उद्देश्य ही देश के स्वदेशी औद्योगिक आधार को बर्बाद करना एवं तथाकथित वैश्वीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत उसे बहुराष्ट्रीय पूंजी के हवाले करना है। ये नीतियां रोजगार सर्जन की उस क्षमता को अत्याधिक कम कर देंगी जो स्वतंत्रता के पश्चात् बनाई गई हैं। अध्ययन रिपोर्ट से पता चलता है कि उदारीकरण के युग में रोजगार सर्जन की विकास दर सार्वजनिक क्षेत्र मे बहुत कम रह गई है अर्थात 2.7 प्रतिशित प्रति वर्ष तक नीचे गिरी है जबकि निजी क्षेत्र में तो यह नकारात्मक ही हैं।

15. "समूचे मजदूर वर्ग रोजगार प्राप्त या रोजगारहीन असहाय ग्रामीण जनता दोनों के लिये अनिवार्य हो जाता है कि वे लाखों की संख्या में एकजुट हों और काम के अधिकार के लिये संघर्ष करें"। कामरेड बी टी रणदिवे ने 'काम का अधिकार' विषय पर आयोजित दुर्गापुर संगोष्ठी के लिये लिखे अपने लेख के अंतिम गंद्यांश में यही संदेश दिया था। उन्होंने इसी संदर्भ को और दोहराते हुए लिखा था, "ट्रेड यूनियन जो मजदूर वर्ग की संगठित शक्ति होती है, को अवश्यमेव बेरोजगार मजदूरों, ग्रामीण जनता, छात्रों तथा महिलाओं को संगठित करने के अभियान का नेतृत्व करना चाहिये।"

16. समाज तथा अर्थतंत्र में बेरोजगारी उन्मूलन का सम्बन्ध उसी कारक से है जिसके साथ सभी प्रकार के वर्गीय शोषण की समाप्ति का सम्बन्ध है। तीव्रगामी भूमि-सुधारों और दरिद्रता की चक्की में पिस रही ग्रामीण जनता की विशाल संख्या को ऊंचा उठाए बिना कोई भी व्यक्ति देश में बेरोजगारी के स्तर में सदाबहार वृद्धि में कमी करने की बात सोच ही नहीं सकता। इन सब का सम्बन्ध देश की आर्थिक संरचना में मूलभूत परिवर्तनों के साथ ही है।

17. किन्तु मूलभूत आर्थिक सरंचना में परिवर्तन की अत्यावश्यकता को समझना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक मजदूर वर्ग युगांतरकारी भूमिका का निर्वहन नहीं करता, हमारी समझ विकसित नहीं होती और उद्देश्यपूर्ण ढंग से हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ते तब तक इसका कोई लाभ नहीं होगा।

18. हमारे कार्यों की पहले ही व्याख्या की जा चुकी है। 'काम का अधिकार' का प्रचार करते समय समस्त मजदूर वर्ग को वर्तमान अर्थव्यवस्था या सम्पत्ति सम्बन्धों में पर्याप्त परिवर्तनों के अतिरिक्त भूमि सुधारों के माध्यम से कृषि सम्पत्ति सम्बन्धों को समूल बदलने की मांग करनी होगी। इसके बिना 'काम के अधिकार' की वांछित पवित्रता को बनाया नहीं जा सकेगा। इस सम्बन्ध में हम कामरेड बी टी रणदिवे के कथनों को ही दोहराना चाहेंगें। इसके साथ ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगारी की विभीषिका को झेल रही साधारण जनता के सभी वर्गों को लामबंद करके उनकी एकजुटता को विकसित करना होगा और इसके माध्यम से नौकरियों की संख्या बढ़ाने हेतु तुरंत कदम उठाने, श्रमिकों को मनमाने ढंग से नौकरी पर रखने या निकाल बाहर करने के मालिकों के अधिकार में कटौती करने, रोजगार-सर्जन के लिये उचित योजनाएं बनाने तथा उन लोगों को जो रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं बेरोजगारी भत्ता देने की मांग करनी होगी।

19. आर्थिक संरचना जैसे मामलों मे मूलभूत परिवर्तन करने हेतु दीर्घावधि के कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही तुरंत उठाए जाने वाले कदमों के रूप में आंदोलन को तेज करना होगा। मजदूर वर्ग को बेरोजगार लोगों को अपने साथ लेकर ऐसे आंदोलन को संगठित करना होगा और उसे नेतृत्व प्रदान करना होगा।

20. हमें स्वीकार करना ही होगा कि फैक्टरी स्तर पर बेरोजगारों के हितों के लिये संघर्ष करने के प्रति अभी ट्रेड यूनियनों में जागरूकता लाने के आवश्यकता है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो 'काम का अधिकार' के लिये तथा बेरोजगारी के विरोध में नारे मात्र हमारे आंदोलन की औपचारिकताएं बन कर ही रह जाएंगे।

21. ट्रेड यूनियन आंदोलन के बड़े भाग में अभी फैक्टरी स्तरीय जागरूकता छाई हुई है, हम इस तथ्य को झुठला नहीं सकते। इससे बीमार औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों जिनके सिर पर बेरोजगारी की तलवार लटक रही है, के रक्षार्थ एवं समर्थन में सुदृढ़, विशाल एवं प्रभावशाली आंदोलन चलाने के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है। इस समस्या को ट्रेड यूनियन आंदोलन में जागरूकता एवं चेतनता की उदाहरणों की सहयता से सुलझाना होगा। मजदूर वर्ग सर्व साधारण जनता के संघर्षों का नेतृत्व करे और उन्हें संगठित करने के लिये निर्णायक भूमिका निभाए इसके लिये उसकी जागरूकता के स्तर को ऊंचा उठाना अनिवार्य है।

22. विशेष रूप से इस नयी परिस्थिति में 'काम के अधिकार' हेतु और बेरोजगारी विरोधी संघर्ष ट्रेड यूनियनों के छंटनी एवं कामबंदी विरोधी संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ है। नयी नीतियों की पृष्ठभूमि में जनता के सभी वर्गों द्वारा नौकरी समाप्त करने की कार्रवाईयों के विरोध में और बेरोजगारों के लिये उत्पादक रोजगार उपलब्ध कराने की मांग के पक्ष में एक शक्तिशाली आंदोलन चालाए जाने से जहां फैक्टरियों, खदानों एवं कार्यालयों में नौकरी सुरक्षा हेतु चलने वाले श्रमिकों के संघर्ष के समर्थन में एक स्वाभाविक आधार बनेगा वहीं उन विनाशकारी नीतियों के विरोध में प्रतिकारक संघर्ष और सुदृढ़ होगा। इसमें संदेह नहीं है कि नयी नीतियां जो हजारों रोजगारों को समापत करने वाली हैं वहीं अर्थतंत्र को रोजगार सर्जन से रहित भी बनाती हैं।

23. दूसरी ओर, यदि मजदूर वर्ग बेरोजगारों के हितों के लिये संघर्ष करने में विफल रहता है और सरकारी नीतियों के विरुद्ध अपने संघर्ष में बेरोजगारों को शामिल नहीं कर पाता तो इससे

सत्ताधारी वर्ग को उनमें फूट डालने के अपने हथकण्डों में सहयता मिलेगी और इसका प्रयोग वे संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन के विरोध में कर सकते हैं। पहले ही सत्ताधारी वर्ग द्वारा ऐसा अभियान चलाया जा रहा है। वह खुले रूप से आरोप लगा रहा है कि संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिये अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है और उसे समाज के पिछड़े वर्गों का कोई ध्यान नहीं है। ऐसा प्रचार ट्रेड यूनियन आंदोलन को सर्व साधारण से अलग थलग करने के उद्देश्य से किया जा रहा हैं।

24. 'काम का अधिकार' एवं बेरोजगारी के मुद्दे शोषण विरोध संघर्ष के केन्द्र बिन्दू बन चुके हैं और इन मुद्दों पर संघर्ष विश्व बैंक\कोष द्वारा तैयार की गई भारतीय अर्थतंत्र को उपनिवेश बनाने की नीति के विरोध में केन्द्रित होगा। 'काम के अधिकार' के मुद्दे पर संघर्ष चलाए जाने से जनता के सभी वर्गों को जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब, शहरी मध्य वर्ग, छात्र युवा, महिलाएं और किसान इत्यादि शामिल हैं, एक संयुक्त मंच पर लाया जा सकेगा। अतः 'काम के अधिकार' के लिये शक्तिशाली आंदोलन नयी नीतियों के विरोध में चलने वाले संघर्षों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण बन जाएगा। यदि मजदूर वर्ग का आंदोलन समुचित ढंग से इसका पोषण करेगा तो वह निरंतर चलने वाले प्रतिकारक संघर्ष के स्तर पर विरोधी आंदोलन खड़ा करने की स्थितियां उत्पन्न कर सकता है और इस आंदोलन में सर्व साधारण जनता के सभी वर्ग शामिल होंगे

25. हमें अभी अपने रुख की व्याख्या करनी हैं। हमें आंदोलन का नेतृत्व करने एवं उसे संगठित करने के लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन को सक्षम बनाना होगा। पहले ही ट्रेड यूनियन आंदोलन ने छात्रों, युवाओं, महिलाओं, दूसरे व्यवसायी लोगों और किसानों इत्यादि के जनसंगठनों को एक विशाल मंच पर एकत्रित करने हेतु उल्लेखनीय प्रयास किये हैं और 20 सूत्रीय मांग पत्र जिनमें 'काम के अधिकार' की मांग भी शामिल है, के लिये 9 सितम्बर 1993 भारत बंद का आयोजन कर चुके हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि इस संयुक्त मंच को और सुदृढ़ बनाया जाए तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन एवं अन्य जन संगठनों में नीचे के स्तर पर एकता लाई जाए।

26. फैक्टरी स्तरीय ट्रेड यूनियनों को स्थानीय स्तर पर मुहल्लों या गलियों में जनता के सभी वर्गों के जन संगठनों को एकजुट करने के लिये पहलकदमी करनी होगी और 'काम के अधिकार' मुद्दे पर गहन अभियान चलाना होगा। समाज के अत्यंत गुंजायमान वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र एवं युवा संगठनों को संयुक्त संघर्षों में खींचने और सक्रिय करने के लिये विशेष प्रयास करने होंगे। ट्रेड यूनियनों को 'काम के अधिकार' के मुद्दे और भूमि सुधार के प्रश्न पर किसानों, खेत मजदूरों और निकटवर्ती गांवों में रहने वाले ग्रामीण बेरोजगारों को साथ लेकर संयुक्त संघर्ष छेड़ने के लिये पूरी गम्भीरता से प्रयास करने होंगे। बेरोजगारी और 'काम के अधिकार' के मुद्दे पर छात्रों, युवाओं और अन्य वर्गों के जन संगठनों के साथ मिल कर चलाई जाने वाली संयुक्त गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण तथा सक्रियता से भारी संख्या में श्रमिकों के साथ-साथ सर्व साधारण में सरकारी नीतियों के विरुद्ध चलाए जाने वाले संयुक्त संघर्षों के प्रति जागरूकता लाने में सहायता मिलेगी और इससे बड़ी सीमा तक सम्पूर्ण आंदोलन के स्वरूप को ही बदला जा सकेगा।

27. शीर्ष स्तर पर भी ट्रेड यूनियन आंदोलन को बेरोजगारी विरोधी देशव्यापी अभियान के अन्तर्गत चलाए जाने वाले संघर्षों को एक स्थायी मंच बनाने के भी गम्भीरतापूर्वक प्रयास करने होंगे। बेरोजगारी विरोधी संघर्ष में श्रमिक वर्ग के सभी बेरोजगारों के साथ-साथ श्रम बाजार में आने वाले नये बेरोजगारों को भी शामिल करना होगा। इस मंच का प्रयोग उन सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिये भी किया जा सकता है जिनके कारण देश की स्थिति और खराब होती चली जा रही है। नौकरियां समाप्त करने वाली नीतियों को बदलने और सभी को रोजगार सुनिश्चित कराने के लिये ठोस आर्थिक कदम उठाने की मांग एवं 'काम के अधिकार' के मुद्दे पर सभी बेरोजगारों जिनमें नौकरियां खोने वाले तथा नौकरियां पाने के लिये भटकने वाले दोनों प्रकार के लोग शामिल हैं, के जबरदस्त देशव्यापी आंदोलन के लिये प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रारम्भिक कदम के रूप में छात्रों, युवाओं और नौकरियां खोने वाले लोगों की जिला\राज्य स्तरीय जन सभाओं के कार्यक्रम किये जा सकते हैं जिनकी परिणिति बेरोजगारों की केन्द्रीय जन सभा के रूप में हों।

28. हम एक बार फिर अपनी बात दोहराते हैं। बेरोजगार देश की कुछ श्रम शक्ति का 25 प्रतिशत भाग हैं। उनका बहुसंख्य भाग अभी भी असंगठित है। यदि इसमें नौकरियां लेने वालों तथा नौकरियों के लिये भटकने वालों को संख्या को भी शामिल किया जाए तो यह समस्या बहु-आयामी बन जाती है। ट्रेड यूनियन आंदोलन को बेरोजगारों की इस विशाल असंगठित शक्ति तक पहुंचने और 'काम के अधिकार' के मुद्दे पर तथा बेरोजगारी पैदा करने वाली नीतियों के विरोध में चलने वाले संघर्षों के लिये संगठित करने हेतु साधन एवं मार्ग ढूँढने होंगे इसके फलस्वरूप शोषण तथा भारतीय अर्थतंत्र को भारी स्तर पर पुनः उपनिवेश बनाने की कार्रवाईयों के विरोध में चलने वाले संघर्ष में असाधारण शक्ति का संचार होगा। यदि मजदूर वर्ग बढ़ रही बेरोजगारी और 'काम के अधिकार' के मुद्दे पर एक प्रभावशाली और निरंतर चलने वाले आंदोलन को विकसित कर लेता है और उसमें जनता के दूसरे वर्गों को भी खींच लेता है तो वह समस्त जनता के जनवादी आंदोलन की नेतृत्वकारी शक्ति के रूप में अपनी विश्वसनीयता बना लेगा।

29. हम यह काम प्रभावशाली ढंग से कैसे कर सकते हैं, इसका निर्णय अभी हमने करना है। यह दस्तावेज 'काम के अधिकार' सम्बन्धी आयोग पर बहस शुरू करने के उद्देश्य से लाया गया है ताकि सी आइ टी यू का आठवां महाधिवेशन वर्तमान की इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यसूची पर विचार कर सके।

30. वर्तमान परिस्थितियों में ट्रेड यूनियनों और उनके साथ अन्य जन संगठनों की एक और राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करने पर विचार किया जा सकता है। यही नहीं राष्ट्रव्यापी अभियान और आंदोलन का कार्यक्रम भी बनाया जा सकता है।

31. विभिन्न स्तरों पर अभियान एवं आदोंलन चलाए जा सकते हैं। चरणबद्ध ढंग से जिलावार संगोष्ठियों, जनसभाओं एवं जिला प्रशासन के समक्ष धरनों का आयोजन किया जा सकता है। इसकी परिणिति राज्यों की राजधानियों में राज्य स्तरीय जन सभाओं एवं धरनों के रूप में हो सकती है।

32. 'काम के अधिकार' प्रश्न पर श्रमिकों और बेरोजगारों का संयुक्त आंदोलन चलाने के

लिये उद्योग नगरियों एव केन्द्रों का चुनाव किया जा सकता है। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां औद्योगिक बीमारी, कामबंदी और नयी नीतियों के कारण श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा खतरे में पड़ चुकी है, श्रमिकों और छात्रों, युवाओं तथा अन्य संगठनों द्वारा अभियान के लिये संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करने के प्रयास किये जाने चाहियें। इन कार्यक्रमों में सरकारी नीतियों के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी तथा औघोगिक बीमारी जैसी दोनों समस्याओं पर प्रकाश डाला जाना चाहिये। हमें विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों के आस पास नौकरियां खोने वाले और नौकरियों के लिये भागदौड़ करने वालों की संयुक्त संगोष्ठियां आयोजित करनी चाहियें और अभियान कार्यक्रम को विभिन्न आयाम देने होंगे।

33. जिला, राज्य तथा उद्योग स्तरीय चरणबद्ध कार्यक्रम आयोजित करने के पश्चात् सभी जन संगठनों द्वारा 'काम के अधिकार' के मुद्दे तथा बेरोजगारी की समस्या पर देश की राजधानी में केन्द्रीय जनसभा आयोजित करने की योजना भी बनाई जा सकती है।

34. उपरोक्त कार्यक्रम के सम्बन्ध में कुछ विशेष विचार दिये गए हैं। आयोग द्वारा इसे अंतिम रूप देने के लिये सम्मेलन में प्रस्तुत करने हेतु बहस द्वारा और ठोस बनाया जा सकता है।

35. यही नहीं, आयोग बेरोजगारों जिनमें नौकरियां खोने तथा नौकरियों के लिये भटकने वाले दोनों शामिल हैं, के मंच और/या संगठन को विकसित करने के विचार पर गम्भीर चिंतन कर सकेगा जैसा कि स्वयं कामरेड बी टी रणदिवे ने 'काम के अधिकर' के मुद्दे पर अपने अंतिम लेख में रेखाकिंत किया था। वर्तमान दौर के बेरोजगारी के मुद्दे पर समझ बनाने के लिये ऐसा करना आवश्यक है।

साम्प्रदायिकता सम्बन्धी आयोग का दस्तावेज

1. हम सब को स्मरण होगा कि सी आइ टी यू के सातवें महाधिवेशन ने पिछले महीनों में भड़की "अभूतपूर्व साम्प्रदायिक हिंसा जिसने देश को अपनी चपेट में ले लिया था, पर गहरी चिंता" व्यक्त की थी। महासम्मेलन ने एक प्रस्ताव में रेखांकित किया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पहले कभी भी देश में इतना साम्प्रदायिक उन्माद नहीं फैला था और न ही हिंसा भड़की थी। प्रस्ताव में विशेष रूप से रेखांकित किया गया था कि साम्प्रदायिक दंगों के कारण जो प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों में भड़के थे, श्रमिक वर्ग की एकता को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। प्रस्ताव में आगे चल कर कहा गया था कि इससे राष्ट्र की एकता एवं अखंडता तथा राज्य का धर्मनिर्पेक्ष चरित्र ही खतरे में पड़ गया है।

2. प्रस्ताव में फिर रेखांकित किया गया था कि यह अभूतपूर्व हिंसा संघ परिवार के रूप में कुख्यात गठबंधन द्वारा सत्ता प्राप्त करने के लिये बहुसंख्यक सम्प्रदाय के भीतर हिंदुत्व के अन्तर्गत साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काए जाने के फलस्वरूप भड़की थी। प्रस्ताव में इंगित किया गया था कि इन साम्प्रदायिक शक्तियों की गतिविधियों से साम्राज्यवादियों को देश में अस्थिरता लाने सम्बन्धी अपने इरादों को कार्यरूप देने के लिये उर्वर भूमि प्राप्त हो रही है।

3. महाधिवेशन में कांग्रेस (इ) की निंदा करते हुए कहा था कि वह साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ समझौता करने की अपने अवसरवादी खेल को जारी रख रही है।

4. अंततः प्रस्ताव में घोषित किया गया था कि साम्प्रदायिकता के विरुद्ध तथा देश की एकता, एवं अखंडता तथा उसके धर्मनिर्पेक्ष स्वरूप को बनाए रखने के सतत् संघर्ष में मजदूर वर्ग तथा ट्रेड यूनियनों की उसमें भागीदारी एक अनिवार्य शर्त है।

5. मजदूर वर्ग तथा ट्रेड यूनियनों को आह्वान किया गया था कि उन स्थानों पर जहां स्थिति की मांग हो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करें तथा साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखने में सहायता दें।

6. हमारे पिछले महाधिवेशन के पश्चात् तीन वर्षों की अवधि में देश के परिदृश्य में बहुत कम परिवर्तन हुआ है। संघ-भाजपा-विहिप गठबंधन अपने अभियान में राजीतिक लाभ प्राप्त करने में सफल रहा है। उसने संसद में अपनी सदस्य संख्या बढ़ा ली है तथा वह हिन्दी भाषी क्षेत्र के चार राज्यों में सत्ता में आ चुका है। अपनी उपलब्धियों से प्रोत्साहित होकर उन्होंने नया अभियान छेड़ दिया है, नये सिरे से हिंसा भड़काई है तथा बाबरी मस्जिद का नाजीवादी ढंग से विध्वंस करके इतिहास में अब तक का सबसे घिनौना साम्प्रदायिक अपराध किया है। इस घृणित घटना के पश्चात् देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक हिंसा की ज्वाला और भड़क उठी।

7. बाबरी मस्जिद का विध्वंस साम्प्रदायिक भावनाओं के अचानक भड़क उठने से नहीं हुआ अपितु यह तो हिन्दुत्व के अभियान की लम्बी प्रक्रिया की परिणिति थी और उसके लिये सभी कानूनों, लोकतांत्रिक आधार तथा देश के संविधान की धज्जियां उड़ा दी गईं। यह केन्द्र में सत्तारूढ़

कांग्रेस-इ सरकार द्वारा साम्प्रदायिक शक्तियों के तुष्टिकरण तथा उनके साथ समझौता करने की नीतियों का व्यवहारिक प्रदर्शन भी था।

8. यह स्वभाविक ही है कि मुस्लिम कट्टरपंथी शक्तियां जहां तक सम्भव होगा इस स्थिति से लाभ उठाने का प्रयास करेंगी और वे अपना काम पूर्वतः कर रही हैं।

9. हाल ही सम्पन्न राज्य विधान सभाओं के चुनावों में संघ परिवार को राजनीतिक क्षति झेलनी पड़ी है। तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि बहुसंख्यक साम्प्रदायिकता के मनोवैज्ञानिक आधार जिसे संघ-भाजपा-विहिप गठबंधन ने बनाया तथा एक बड़ी शक्ति के रूप में परिणित किया था, का वास्तव में ही भारी क्षरण हुआ है। जैसा कि महासचिव ने अपनी रिपोर्ट में कहा है "जनता के एक वर्ग के मन-मस्तिष्क में साम्प्रदायिक विचारधारा की जड़ें गहरी हो चुकी हैं। संघ अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है..."

ट्रेड यूनियनों की भूमिका (सामान्य)

10. महासचिव ने अपनी रिपोर्ट में ट्रेड यूनियनों तथा मजदूर वर्ग द्वारा पिछले तीन वर्षों में साम्प्रदायिकता की चुनौती का सामना करने में निभाई गई भूमिका को भी उद्धृत किया है। रिपोर्ट हमारा ध्यान एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर खींचती है: "हमारे लिये चिन्ता का विषय है कि मजदूर वर्ग का एक भाग उनके (संघ-भाजपा-विहिप) प्रचार में बह गया है। इसका हमारी वर्गीय एकता पर विषम प्रभाव पड़ा है"।

11. ट्रेड यूनियनों की गतिविधियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट में कहा गया है, "यद्यपि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन साम्प्रदायिक एवं विभाजक शक्तियों के विरुद्ध दृढ़तापूर्वक खड़ा रहा है तथापि अभी भी इस चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिये बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है।" उदाहरणार्थ उसमें राष्ट्रीय एकता अभियान समिति द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाने के लिये दिये गए अह्वान का उद्धरण दिया गया है जो साम्प्रदायिकता विरोधी अभियान में जनता के विशालतर वर्गों के साथ सम्पर्क स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। तथापि हम समुचित ढंग से उस कार्य को आगे नहीं बढ़ा सके हैं। और हमने अपनी सदस्य संख्या से भी कम लोगों के हस्ताक्षर कराए हैं। जब इंटक ने इस आह्वान का समर्थन किया था तो वह जनता के और बड़े वर्गों के साथ सम्पर्क स्थापित करने का एक शानदार अवसर था किन्तु हमने उसका पूर्णतया उपयोग नहीं किया। साम्प्रदायिक शक्तियों द्वारा खड़ी की गई समस्या की भयावहता के दृष्टिगत हमारी भूमिका प्रतीकात्मक ही रही।"

12. साम्प्रदायिक खतरे के विरुद्ध संघर्ष में ट्रेड यूनियन आंदोलन की कारगुजारी का रिपोर्ट में किया गया आत्म आलोचनात्मक विश्लेषण अत्यंत न्यायोचित है क्योंकि इस आयोग में हमारे कार्य का लक्ष्य साम्प्रदायिकता विरोधी सतत् संघर्ष में मजदूर वर्ग की अत्यंत प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित बनाने के साधनों एवं ढंगों का पता लागाना है।

13. इन टिप्पणियों के साथ-साथ एक और वक्तव्य भी दिया गया है जो हमारी बहस में बहुत ही प्रासंगिक है: "केवल मजदूर वर्ग और जनवादी आंदोलन ही अल्प संख्यक समुदायों में विश्वास की भावना उत्पन्न कर सकता है क्योंकि देश में वही वास्तविक धर्म निर्पेक्ष शक्तियां है।" साम्प्रदायिकता विरोधी संघर्ष में ट्रेड यूनियनों की भूमिका पर बहस के समय रेखांकित किये

जाने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु मजदूर वर्ग की विशेष वर्गीय स्थिति है जो सम्भवतः उसे अत्यंत धर्मनिर्पेक्ष प्रकृति प्रदान करती है।

कमियां क्यों है ?

14. क) ये कमियां अनेक कारणों से हो सकती हैं। सम्भवतः इसका महत्वपूर्ण कारण साम्प्रदायिकता की प्रकृति, उसकी उत्पत्ति की ग्रंथी एवं खतरों के सम्बन्ध में पर्याप्त अनुभूति का अभाव है। ये मात्र दो धर्मोन्मादी समूहों हिन्दुओं तथा मुसलमानों के मध्य साम्प्रदायिक दंगें ही नहीं हैं। इसकी उत्पत्ति की ग्रंथी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे संगठनों द्वारा लम्बे समय से योजनाबद्ध ढंग से चलाए गए हिन्दुत्व के अभियान में पाई जाती है। आगे चलकर इसे संघ परिवार द्वारा अल्पसंख्यक सम्प्रदाय विरोधी घृणा अभियान के अन्तर्गत आक्रमक ढंग से आगे बढ़ाया गया। इसका उद्देश्य धर्म निर्पेक्ष की धारणा को विकृत करना तथा जनता पर हिन्दु राष्ट्र के विचार को लादना था।

ख) इन विभाजक शक्तियों को भड़काने तथा उकसाने की साम्राज्यवाद की भूमिका को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है।

ग) मजदूर वर्ग की वर्गीय स्थिति के सम्बन्ध में पर्याप्त अनुभूति जो इसे एक सशक्त अग्रणी धर्मनिर्पेक्ष शक्ति बनाती है, का न होना भी इसका एक कारण है।

15. इन वक्तव्यों की पुष्टि किये जाने की आवश्यकता है। इन कमियों के होते हुए भी हमारे अनेक साथियों ने अलग-अलग ढंग से अत्यंत गम्भीरतापूर्वक साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष किया है। उनमें से कई साथी विभिन्न स्थानों पर संघर्ष करते समय शहीद भी हुए हैं। ये उदाहरणें साम्प्रदायिकता के विरोध में अन्यत्र चल रहे संघर्षों में हमारे साथियों को प्रेरणा एवं उत्साह प्रदान करती हैं। तथापि ये स्थानीय संघर्ष हैं। इन्हें साम्प्रदायिकता के विरुद्ध मजदूर वर्ग का भरपूर हमला नहीं कहा जा सकता।

16. अन्त में हम एक और कमी की चर्चा करना चाहेंगे। सी आइ टी यू की सीमित शक्ति के कारण इस संघर्ष में हमारी प्रभावशाली भूमिका पर भारी दबाव पड़ रहा है, इसमें संदेह नहीं।

हमारी स्थानीय भूमिका की विशिष्ट प्रकृति

17. स्थानीय स्तर पर साम्प्रदायिकता विरोधी गतिविधियों में हमारी भागीदारी प्रायः तीन विभिन्न स्थितियों में होती है।

i) जब पहले से ही तनाव उत्पन्न हो चुका हो और किसी भी समय हिंसा भड़क सकती हो।

ii) जब हिंसा पहले ही भड़क चुकी हो जैसा कि दंगों के समय होता है।

iii) दंगों पर नियंत्रण कर लिये जाने के पश्चात् प्रायः ऐसा प्रशासकीय कार्रवाई के फलस्वरूप होता है।

18. पहली स्थिति में दंगों के विरुद्ध तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिये विभिन्न ढंगों से अभियान चलाया जाता है जैसे शांति सभाएं करना तथा जुलूस निकालना जिनमें दोनों सम्प्रदायों से सम्बन्धित लोग शामिल हों, समूह बैठकों का आयोजन करना तथा प्रचार दल बनाना इत्यादि। कभी-कभार दिन-रात निगरानी रखने के लिये वलंटियरों की सेवाएं प्राप्त करता सम्भव हो जाता है ताकि शरारती तत्वों को दंगा भड़काने के लिये कोई अवसर न मिले। इस चरण पर हस्तक्षेप करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अनेक मामलों में देश भर में साम्प्रदायिक हिंसा को भड़कने तथा उसके फलस्वरूप प्राण हानि एवं सम्पत्ति की क्षति होने को टाला जा सकता है।

19. दंगों के समय अपेक्षाकृत बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता है। इसमें कुछ कठिनाईयां होती हैं जो कर्फ्यू जैसे प्रशासकीय कदमों के कारण उत्पन्न होती हैं।

20. दगों के पश्चात् स्थिति को नियंत्रित करने के लिये हस्तक्षेप करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस अवसर पर हमारी गतिविधियों से स्थिति सामान्य बनाने की प्रक्रिया तेज होती है और दंगों की पुनरावृति नहीं होती। इस चरण में काम का महत्वपूर्ण पक्ष राहत एवं पुनर्वास होता है।

अखिल भारतीय स्तर पर :

21. अखिल भारतीय स्तर पर अभियान केवल संगोष्ठियों इत्यादि के माध्यम से चलाए जा सकते हैं। सी आइ टी यू ने देश भर में संयुक्त अभियान चलाने के लिये सभी प्रमुख ट्रेड यूनियन केन्द्रों को एकजुट करने के लिये पहलकदमी की है। कुछ स्थानों पर निचले स्तर की संगोष्ठियों का आयोजन भी किया गया। किन्तु अभी तक इन गतिविधियों के संचालन हेतु कोई स्थायी ढांचा बनाया नहीं गया और न ही निरंतर अभियान चलाया गया है। प्रायः इन गतिविधियों का संचालन साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा उत्पन्न किये गए तनाव के प्रत्युत्तर में किया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों से भी स्थिति तथा जनता के विचारों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।

इन प्रश्नों के आधार बिंदु

22. यद्यपि साम्प्रदायिकता विरोधी गतिविधियों के ये रूप महत्वपूर्ण है तथापि इनसे भी देश में साम्प्रदायिक समस्या को नियंत्रित करने में उल्लेखनीय प्रगति नहीं होती इससे कुछ अधिक किये जाने की आवश्यकता है।

23. प्रारम्भ में रेखांकित करना होगा कि हमारा संघर्ष धर्म के विरुद्ध नहीं अपितु साम्प्रदायिकता के विरोध में है। साम्प्रदायिकता विरोधी संघर्ष में लोगों की समुचित धार्मिक भावनाएं आहत न हों इसके लिये सावधानी से काम लेना होगा। संघ परिवार तथा अन्य कठमुल्लावादी शक्तियां अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिये जनता की समुचित धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती हैं तथा उनका प्रयोग दूसरे सम्प्रदायों के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करने के लिये करती हैं। वे धर्म के नाम पर साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिये धर्म निर्पेक्षता की धारणा तथा इतिहास को विकृत करते हैं। वे साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिये शिवाजी जैसे लोकप्रिय जन नायकों की भूमिका को भी तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं।

नकली (सूडो) धर्म निर्पेक्षता तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ाने के लिये इतिहास और धर्म को

विकृत एवं अपवर्तन करती हैं। स्तही रूप से स्थिति भले ही सामान्य दिखाई देती हो किन्तु अखण्ड तथा योजनाबद्ध साम्प्रदायिक एवं नकली धर्म निर्पेक्षता के कुप्रचार जिसके अन्तर्गत भारतीय राष्ट्र को बहुसंख्यक हिन्दू राष्ट्र कहा जाता है,के कारण उसमें अन्तर्निहित साम्प्रदायिकता के बीज धरातल पर बिखर जाते हैं और वे साम्प्रदायिक विष वृक्ष बनने के लिये अनुकुल वातावरण की प्रतीक्ष करते हैं और अंततः साम्प्रदायिक दंगों के रूप में उनका प्रस्फुटन होता है।

24. साम्प्रदायिक हिंसा प्रस्फुटित होने से पूर्व या प्रस्फुटन के पश्चात् हस्तक्षेप करना महत्वपूर्ण होता है। किन्तु ऐसा करने मात्र से ही हम साम्प्रदायिक विषाणुओं को पूर्णतया समाप्त नहीं कर सकते। यद्यपि यह हमारा तात्कालिक कार्य होना चाहिये तथापि हमारी मूल रणनीति साम्प्रदायिकता के विषाणुओं को समाप्त करने के दीर्घावधि उद्देश्यों को सामने रख कर ही बनाई जानी चाहिये। इसके लिये हमें ट्रेड यूनियन शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा ऐसे ही प्रत्येक सम्भव ढंग से निरंतर राजनीतिक एवं विचारधारक प्रचार अभियान चलाना होगा।

25. इस मौलिक कार्य का सम्पादन सहज नहीं है। साम्प्रदायिक जागरूकता की जड़े मूल रूप से तात्कालिक सामाजिक स्थिति तथा इस प्रकार की विचारधारा में विद्यमान होती हैं। इसकी जड़े इतिहास तथा परम्पराओं में भी विद्यमान होती है भारत के संदर्भ में कहा जा सकता है कि सामंतवाद के अवशेष, पुरातनपंथी विचार तथा रूढ़ियों भारतीय जनता के बड़े भाग को प्रभावित करती हैं। इससे साम्प्रदायिकता रूपी विष वृक्ष को फलने-फूलने के लिये उर्वर भूमि प्राप्त होती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विचारधारक शिक्षा तथा प्रचार अभियान को यदि वर्ग संघर्ष की अवधारणा के साथ जोड़ा जाए तो उसका धीर-धीरे अधिक प्रभाव पड़ेगा। सामंती-भूमि सम्बन्धों के विरोध में भूमि सुधारों के लिये संघर्ष के आधार को व्यापक बना कर तथा इसके साथ-साथ शहरी मजदूर वर्ग का संघर्ष साम्प्रदायिक शक्तियों को दुर्बल करने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और साम्प्रदायिकता के विरुद्ध जागरूकता के स्तर को भी ऊंचा कर सकता है। सामाजिक स्थितियों के बदलने पर ही साम्प्रदायिकता का सर्वनाश सम्भव है। इस परिवर्तन के लिये सभी धर्म निर्पेक्ष तथा देशभक्त शक्तियों की वर्गीय एवं लोकतांत्रिक एकता का होना अत्यावश्यक है। अतः ट्रेड यूनियनों के उद्देश्य जहां तक सम्भव हो सके साम्प्रदायिकता पर अंकुश लगाना तथा वर्गीय एवं लोकतांत्रिक एकता को उच्च स्तर तक स्थापित करना ही होगा।

26. कुछ विकसित राज्यों में थोड़ी-बहुत विचारधारक गतिविधियों का संचालन भले ही होता हो किन्तु इसे केन्द्रीय स्तर पर संगठित करना होगा। आकर्षक एवं प्रभावी प्रकाशित साहित्य उपलब्ध कराना होगा, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिये प्रबंध करने होंगे, भारी स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना और उनसे लाभ उठाना होगा। केन्द्रीय तथा राज्य स्तरीय पत्र-पत्रिकाओं का अत्याधिक प्रयोग करना होगा। स्मरण रखना होगा कि साम्प्रदायिकता विरोधी कार्य सर्वकालिक कार्य है। यह ऐसा कार्य नहीं है जिसे साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न होने तथा दंगे फूट पड़ने की स्थिति में किया जाए।

श्रमिक वर्ग की विशिष्ट भूमिका

27. श्रमिक वर्ग की विशिष्ट भूमिका का प्रश्न वर्तमान बहस के संदर्भ में महत्वपूर्ण बन जाता है। कामरेड भाल चन्द्र त्रम्बक रणदिवे (बी टी आर) द्वारा इस विषय पर लिखे गए एक लेख के

अंश को यहां उद्धृत करना उपयोगी होगा, "मजदूर वर्ग तथा उसकी एकता पर देश की एकता को बनाए रखने का विशेष दायित्व है। इतिहास का अनुभव हमें बताता है कि केवल श्रमिक वर्ग ही एक वर्ग के रूप में अपनी जागरूकता एवं एकता के द्वारा नये-नये मुक्त (स्वतंत्र) हुए देश की एकता की रक्षा कर सकता है। क्योंकि सभी नव स्वाधीन तथा पिछड़े राष्ट्रों में विचारों एवं आचरण की एकता पूर्णतया स्थापित नहीं हुई है। इन देशों के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण पुराने संकीर्ण, साम्प्रदायिक एवं धार्मिक विश्वास तथा अलगाववादी भावनाएं पूर्वतः बनी हुई हैं। साम्राज्यवाद के बलात निष्कासन तथा विदेशी सत्ता की समाप्ति के पश्चात् ये छोटे-छोटे मतभेद राष्ट्रीय एकता की भावनाओं पर प्रायः हावी हो गए हैं। आधुनिक युग का श्रमिक वर्ग जो कारखानों में हजारों की संख्या में एकताबद्ध है, बड़ी सहजता से इस प्रकार की संकीर्ण धार्मिक एवं साम्प्रदायिक भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है और एक उदाहरण स्थापित कर सकता है। यही कारण है कि सभी नव-स्वाधीन राष्ट्रों में श्रमिक वर्ग ने अपनी भूमिका निभाई है या वे बर्बाद हो गए हैं ..... दूसरे शब्दों में वे एक बार फिर साम्राज्यवादी सत्ता के अधीन होने के लिये तैयार हो गए हैं। भारत में मजदूर वर्ग को इन धार्मिक एवं साम्प्रदायिक मतभेदों को दूर करने के लिये जनता की एकजुटता तथा राष्ट्रीय एकता की रक्षार्थ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। यदि श्रमिक वर्ग के कुछ भाग स्वयं ही साम्प्रदायिकता के विषाणुओं से ग्रसित हो जाएंगे तो श्रमिक वर्ग का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।

दुर्भाग्यवश, भारत में जब विभाजक शक्तियां हमला करती हैं तो श्रमिक वर्ग को मानो लकवा मार जाता है जबकि उस समय उन्हें सड़कों पर आकर इन हमलों का सामना करना चाहिये। उस समय श्रमिक वर्ग प्रायः स्वयं ही उनके दुष्प्रचार में आ जाता है या तटस्थ होकर रह जाता है। ऐसा प्रायः साम्प्रदायिक एवं भाषाई दंगों के समय होता है जब भाषाई एवं सम्प्रदाय विशेष की बहुसंख्य जनता उस समय मौन साधे रखती है और अपने भाईयों पर हमला करने वाले तत्वों के साथ संघर्ष नहीं करती। श्रमिक वर्ग तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन को इस स्थिति से अवश्य संघर्ष करना चाहिए एवं लकवाग्रस्त होने से बचना चाहिये और उसे अपनी एकता तथा जनता की एकजुटता की रक्षा करने वाली धर्म निर्पेक्ष वर्गीय सेना के रूप में स्वयं को प्रशिक्षित करना चाहिये। उसे समझना चाहिये कि यदि वह एक वर्गीय शक्ति के रूप में काम नहीं करेगा तथा जनता को प्रभावित नहीं करेगा तो उस स्थिति में लम्बे संघर्षों के फलस्वरूप उसके द्वारा बनाई एकता निरर्थक बन कर रह जाएगी।

अल्पसंख्यकों के हितों का पक्षधर

28. इस सम्बन्ध में ट्रेड यूनियनों को अपनी उन दुर्बलताओं को तत्काल दूर कना चाहिये जिससे वर्गीय एकता की प्रक्रिया अवरुद्ध होती हो। श्रमिक वर्ग तथा ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या में सभी जातियों एवं धर्मों के साथ सम्बन्ध रखने वाले श्रमिक सम्मिलित होते हैं। शोषित जातियों तथा अल्प संख्यक समुदाय के साथ सम्बन्ध रखने वाले श्रमिकों के कष्ट तथा कठिनाईयां उन कष्टों के अतिरिक्त होते हैं जिनकी पीड़ा सभी श्रमिकों को होती है। कभी-कभार ये कष्ट सामान्य ट्रेड यूनियन मांगों की अपेक्षा उनके दैनंदिन जीवन में अधिक पीड़ादायक ही नहीं अपितु अधिक महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। यदि ट्रेड यूनियनें उनकी विशिष्ट मांगों का समर्थन नहीं करेंगी तो उनमें सामान्य आंदोलन के प्रति उत्साह उत्पन्न नहीं होगा। इन वर्गों के लोगों का कम संख्या

में ट्रेड यूनियनों के सदस्य बनने का यही एक बड़ा कारण है। ट्रेड यूनियनों को अपनी यह दुर्बलता अवश्यमेव दूर करनी चाहिये और इन वर्गों के विशेष दुखः तकलीफों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

29. साम्प्रदायिकता विरोधी सघंर्ष के लिये श्रमिक वर्ग की एकजुटता को सुदृढ़ एवं विकसित करने हेतु हमारा यही प्रारम्भिक कदम होगा।

30. संक्षेप में, हमारी रणनीति के घटक इस प्रकार हैं:

क) प्रत्येक सम्भव ढंग से विचारधारक पक्ष पर विशेष बल देने के साथ-साथ राजनीतिक तथा विचारधारक शैक्षणिक अभियान पर स्वयं को केन्द्रित करना। इस काम के लिये केन्द्रीय स्तर पर पहलकदमी की जानी चाहिये किन्तु सभी स्तरों की समितियों को इसमें शामिल करना होगा। केन्द्र को आवश्यक सामग्री के प्रकाशन तथा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण इत्यादि कार्यों का विशेष दायित्व पूरा करना होगा।

ख) इस अभियान को वर्ग संघर्ष के साथ समुचित ढंग से सम्बद्ध करना होगा।

ग) इस अभियान की योजना ट्रेड यूनियनों की दैनंदिन गतिविधियों के एक भाग के रूप में बनानी होगी और इसे तब तक स्थगित नहीं करना होगा जब तक साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न न हो जाए या हिंसा भड़क न उठे। सांस्कृतिक अस्त्र का प्रयोग पूर्णरूपेण करना चाहिये।

घ) ऊपर बताई गई तीन प्रकार की स्थितियों या किसी और रूप में अधिक से अधिक हस्तक्षेप को सुनिश्चित बनाना होगा। दंगों के समय हस्तक्षेप करने के प्रश्न पर हमें स्थानीय स्थितियों के अनुरूप विचार करना होगा। किन्तु ऐसी स्थिति में जनता को लामबंद करना अत्यावश्यक है।

ड०) सी आइ टी यू इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिये पिछले कई वर्षों से अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ-साथ सभी वर्गों के संगठनों, लोकतांत्रिक, धर्म निर्पेक्ष एवं देशभक्त लोगों व व्यक्तियों को अखिल भारतीय तथा स्थानीय दोनों स्तरों पर विशाल अधार पर एकजुट करने का प्रयास कर रही है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर आयोग का दस्तावेज

1. विभिन्न देशों में ट्रेड यूनियनों द्वारा किये गए संघर्षों के परिणामस्वरूप वहां की पूंजीवादी सरकारों को सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित कुछ कदम उठाने पड़े थे और औद्योगिक विकास के विभिन्न चरणों पर विभिन्न श्रम कानूनों को लागू किया गया था। श्रमिकों को प्रत्येक चरण में ये कानूनी लाभ प्राप्त करने तथा इन्हें कार्यरूप देना सुनिश्चित बनाने के लिये संघर्ष करना पड़ा है।

विकसित पूंजीवादी देशों में श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को कुछ महत्व दिया गया था। किन्तु वर्तमान में, गहरे आर्थिक संकट के दृष्टिगत सत्ताधारी वर्गों ने सामाजिक सुरक्षा उपायों में कमी लाने हेतु हमले करने शुरू कर दिये हैं।

2. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना के पश्चात् सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर पहला सम्मेलन 1921 को हुआ। उसके पश्चात् अनेक सम्मेलन आयोजित किये गए तथा आइ एल ओ की ओर से विभिन्न उद्योगों एवं व्यवसायों के लिये अपनी संस्तुतियां (सिफारिशें) दी गईं। इनमें से उल्लेखनीय कन्वेंशन संख्या 69 है जिसे 1944 में आयोजित 26वें फिलेडेलफिया सम्मेलन में पारित किया गया था। इस सम्मेलन में बीमारी, प्रसूति लाभों, शारीरिक अपंगता, वृद्धावस्था, बेरोजगारी, श्रमिकों के परिवारों के लिये मृत्यु लाभों इत्यादि के सम्बन्ध में कुछ संस्तुतियां दी गईं थीं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 1950 में भारत का संविधान अपनाया गया। संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ की एक कल्याणकारी राज्य (अनुच्छेद 38) के रूप में उद्घोषणा की थी। इस सम्बन्ध में सविंधान में किये गए कुछ प्रावधान इस प्रकार थे:

क) रोजगार, वृद्धावस्था, बीमारी, अक्षमता तथा अनाधिकारी मांग के दूसरे मामलों में काम करने, शिक्षा प्राप्त करने तथा सार्वजनिक सहयोग लेने का अधिकार करना।

ख) समुचित कानूनों या आर्थिक संगठनों के माध्यम से या किसी और ढंग से सभी श्रमिकों औद्योगिक एवं खेत मजदूरों या अन्यों के लिये काम, जीवित रहने योग्य वेतन, कामकाजी स्थितियों को अच्छा बनाना और इस प्रकार उनके लिये शानदार जीवन स्तर, पूर्ण आनंद, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसरों को सुनिश्चित बनाना।(अनुच्छेद 43)

3. स्वतंत्रता प्राप्ति के 47 वर्षों के पश्चात् भी ये प्रावधान मृग तृष्णा ही बने हुए हैं। यद्यपि संगठित उद्योगों में श्रमिकों के एक वर्ग ने ट्रेड यूनियन आंदोलन के दबाव के कारण कुछ लाभ प्राप्त कर लिये हैं तथापि अभी भी असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की विशाल बहुसंख्या जिसकी

कोई निर्धारित आय नहीं है तथा जो गरीबी की रेखा के नीचे रहती हैं, के लिये भूख, दरिद्रता तथा बेरोजगारी के अतिरिक्त कोई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नहीं है। उन्हें प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं कराई जातीं।

4. यहाँ तक कि जहां संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा कानूनों को लागू किया गया है, उनकी सम्भावनाएं, प्रयोजनीयता तथा लाभ अत्यंत सीमित हैं।

5. समय-समय पर सामाजिक सुरक्षा के जिन कानूनों को लागू किया गया, उनका विवरण इस प्रकार है:

1. श्रमिकों के लिये क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923
2. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948
3. कर्मचारी भविष्य निधि तथा मिसलेनियस प्रावधानों सम्बन्धी अधिनियम 1952
4. प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961
5. पेमैंट आफ ग्रैच्युटी एक्ट (ग्रैच्युटी का भुगतान अधिनियम) 1972.

श्रमिकों के लिये क्षतिपूर्ति अधिनियम

6. समय-समय पर किये गए कुछ संशोधनों को छोड़ कर इस कानून की मूल संरचना ब्रिटिश शासन के समय से ही यथावत बनी हुई है। इस अधिनियम में श्रमिकों के लिये काम के समय दुर्घटना के कारण मृत्यु होने या घायल हो जाने की स्थिति में क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिये प्रावधान रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त पुराने रोगों के लिये भी क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु प्रावधान किये गये हैं। मृत्यु होने या स्थायी या अस्थायी रूप से काम करने के अक्षम होने की स्थिति में निर्धारित क्षतिपूर्ति की दरें इस अधिनियम के लागू होने के समय से ही वैसी की वैसी बनी हुई हैं। इसकी एक और बड़ी त्रुटि यह है कि अस्थायी कलैरिकल कर्मचारियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाले तुच्छ लाभ भी नहीं दिये जाते।

7. यद्यपि यह अधिनियम श्रमिकों की आय के आधार पर क्षतिपूर्ति की मात्रा का निर्धारण करता है तथापि वास्तविक क्षतिपूर्ति की गणना 1000/- रुपये की आय की सीमा के आधार पर की जाती है। श्रमिक की वास्तविक आय चाहे कुछ भी क्यों न हों।

8. यदि श्रमिक काम के समय घायल हो जाता है तो मालिक के लिये दुर्घटना हेतु उपचारार्थ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं होता। दूसरी ओर यदि मालिक उसकी अक्षमता की अवधि में मौद्रिक सहायता देता है तो क्षतिपूर्ति की दर का निर्धारण होने के पश्चात् वह श्रमिक को देय क्षतिपूर्ति में से उस राशि को काट लेता है।

प्रसूति लाभ अधिनियम

9. ब्रिटिश शासन के समय कुछ अंतरिम सरकारों ने प्रसूति लाभों के सम्बन्ध में कछ कानून बनाए थे। केन्द्रीय सरकार ने 1961 में ही प्रसूति लाभ अधिनियम को पारित कराया था जो पूरे

भारतवर्ष में लागू होता है। यह अधिनियम प्रत्येक उद्यम वह चाहे कारखाना हो, खदान या बागवानी हो या कोई सरकारी उद्यम सभी में लागू होता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रसूति लाभ की दरें बच्चे के जन्म के छह सप्ताह पूर्व उसके अवकाश पर चले जाने तथा जन्म के पश्चात् छह सप्ताह तक अवकाश पर रहने की अवधि के लिये दैनिक वेतन के अनुपात के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। यह बात रेखांकित की जानी चाहिये कि श्रमिकों के लिये क्षतिपूर्ति अधिनियम तथा प्रसूति लाभ अधिनियम उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होता जिन्हें ई एस आइ लाभ मिलते हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम

10. यह कानून 1948 में बनाया गया था, किन्तु यह केवल 1952 में ही लागू हो सका। सर्वप्रथम इसे प्रयोगात्मक आधार पर कानपुर तथा दिल्ली में लागू किया गया था। बाद में इसका विस्तार विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के 618 केन्द्रों में कर दिया गया।

11. 3000 रुपये तक मासिक वेतन लेने वाले सभी श्रमिकों तथा कर्मचारियों को इस अधिनियम की परिधि में लाया गया। सरकारी नियंत्रण वाले या उससे सम्बन्धित कारखानों तथा उद्यमों के कर्मचारी जो इस अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों के समान या उससे अधिक लाभ प्राप्त करते हैं, को इससे मुक्त रखा गया।

इस अधिनियम के अन्तर्गत तैयार की गई ई एस आई योजना कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है।

i) अस्थायी तथा स्थायी अक्षमता लाभ।

ii) दुर्घटना के कारण किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में आश्रित लाभ।

iii) पुनर्वास लाभ ।

iv) अन्त्येष्टि खर्च का लाभ।

v) प्रसूति लाभ।

vi) बीमारी लाभ।

इनके लिये डाक्टरी उपचार उपलब्ध कराया जाता है

क) बहिरंग एवं अंतरंग चिकित्सा

ख) विशेषज्ञ चिकित्सों से उपचार कराने की सुविधा

ग) प्रसूति

घ) दवाओं, एक्स- रे, ई सी जी तथा अन्य रोगात्मक नैदानिक परीक्षणों की सुविधा श्रमिकों तथा उनके परिवारों को निशुक्ल उपलब्ध कराना।

ड) आंबुलेंस सेवा

च) टीके तथा परिवार कल्याण।

12. ई एस आई योजना के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाले दुर्घटना लाभ उन लाभों की अपेक्षा कहीं अच्छे हैं जो श्रमिकों के लिये क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक सेवानिवृत श्रमिक तथा उसके आश्रित 120 रुपये वार्षिक का भुगतान करके चिकित्सा लाभ प्राप्त करने के पात्र बन जाते हैं।

इस योजना के संचालन हेतु श्रमिकों को अपनी आंय की 1.5% राशि तथा मालिकों को श्रमिकों की आय की 4% राशि का भुगतान करना होता है। राज्य सरकार इसके डाक्टरी खर्चों के 1/8 भाग का वहन करती है।

13. यद्यपि चिकित्सा योजना का संचालन प्रधानतया राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है तथापि ई एस आई निगम डाक्टरी खर्चों की सीमा का निर्धारण करता है। दिलचस्प बात तो यह है कि ई एस आई योजना के लिये श्रमिकों, मालिकों तथा राज्य सरकार की ओर से योगदान दिया जाता है किन्तु केन्द्रीय सरकार जो इस पूरी योजना को नियंत्रित करती है, द्वारा इसमें एक पैसे का भी योगदान नहीं दिया जाता। ई एस आई निगम के हाथों में पूरी शक्तियों का केन्द्रीयकरण होने तथा खर्चों पर उसका पूर्ण नियंत्रण होने के परिणामस्वरूप उसके पास 1651.56 करोड़ रुपये का आरक्षित कोष जमा हो गया है।

14. प्रकट रूप में इस योजना के कुछ अच्छे पक्ष हैं किन्तु जिस प्रकार इसका संचालन किया जा रहा है और विभिन्न अस्पतालों के चिकित्सा प्रबन्धों में व्याप्त अराजक स्थिति के कारण श्रमिकों को अनेक प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। उसके कारण श्रमिक इस योजना से बहुत निराश हो गए हैं।

15. प्रसंगवश इसे यहां उद्धृत किया जाता है कि फैक्ट्रीज़ एक्ट (अधिनियम) के अन्तर्गत श्रमिक को सवैतनिक वार्षिक अवकाश प्रदान किया जाता है। यह अवकाश उसे कैंलंडर वर्ष में 240 दिन काम करने पर अर्थात प्रति 20 दिन एक अवकाश प्रदान किया जाता है। यदि श्रमिक रोजगार के समय घायल या बीमार होने के कारण अनुपस्थित रहता है तो वह अपनी अनुपस्थिति की अवधि के लिये कोई अवकाश लेने का पात्र नहीं रहता।

कर्मचारी भविष्य निधि कोष तथा फुटकल व्यवस्थाओं सम्बन्धी अधिनियम

16. यह अधिनियम (क) किसी विशिष्ट उद्योग में लगे प्रत्येक कारखाने जहाँ 20 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं तथा (ख) किसी अन्य उपक्रम जहाँ 30 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हों या उपक्रमों की श्रेणी जिसकी अधिसूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की जा सकती है, में लागू होगा।

3500 रुपये तक वेतन प्राप्त करने वाले श्रमिकों तथा कर्मचारियों को इस अधिनियम की परिधि में लाया गया। जहां ई एस आई अधिनियम विशिष्ट क्षेत्रों में लागू होता है वहीं यह अधिनियम विशिष्ट उद्योगों के लिये प्रयोज्य है।

17. सर्वप्रथम जब यह अधिनियम लागू किया गया तब भविष्य निधि कोष के लिये मालिक तथा श्रमिक के योगदान की दर 6.1/4% थी। प्रारम्भिक चरण में इसे 6 उद्योगों के लिये लागू किया गया था किन्तु अब इसे 174 उद्योगों तथा उपक्रमों की श्रेणी के लिये विस्तारित किया गया है। योगदान की दर को भी 6.1\4% से बढ़ा कर 8.33% कर दिया गया है और अब इसे 98

उद्योगों जहाँ 50 या उससे अधिक श्रमिक काम करते है में 10% तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही 10% की बढ़ी दर उन कारखानों तथा उपक्रमों के लिये व्यवहार्य नहीं होगी जिन्हें बीमार औद्योगिक कम्पनियों सम्बन्धी अधिनियम (एस आइ सी ए) के अन्तर्गत बीमार घोषित किया गया है।

18. यह भी रेखांकित किया जाता है कि भारत सरकार ने योगदान की बढ़ी दर को लागू करने से पटसन एवं कपड़ा उद्योग को मुक्त कर दिया था। इस अधिनियम के अन्तर्गत चलने वाले कुछ अन्य कार्यक्रम इस प्रकार है:

1. परिवार पेनशन योजना
2. जीवन बीमा लाभ
3. सेवा निवृति तथा प्रत्याहार (विदड्राल) लाभ
4. जमा राशि से सम्बद्ध बीमा
5. मृत्यु राहत कोष

19. परिवार पेन्शन कोष की स्थापना भविष्य निधि कोष में मालिक तथा कर्मचारी दोनों के योगदान की 1.1/6% तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा देय 1.1/6% राशि के साथ की गई। श्रमिकों को ई एस आई कोष निधि में योगदान डालने से मुक्त रखा गया जबकि मालिकों को श्रमिकों के वेतन की 0.5% राशि तथा केन्दीय सरकार को मालिकों के भाग की आधी राशि का योगदान करने के लिये कहा गया है। परिवार पेनशन कोष का गठन 1971 में किया गया। उस समय सी आइ टी यू ने इस आधार पर कि श्रमिक अपनी सेनानिवृति या मृत्यु के पश्चात् परिवार पेनशन कोष जिसे उसके भविष्य निधि योगदान में से काटा गया है, में अपने द्वारा दिये गए योगदान की अपेक्षा कहीं कम राशि प्राप्त करेगा, इसका विरोध किया था। उचित रूप में ही जो लोग 1971 में शुरू हुई इस योजना के लागू किये जाने से पूर्व भविष्य निधि कोष के सदस्य थे, उनके लिये एक विकल्प खुला छोड़ा गया। किन्तु जो लोग 1971 के पश्चात् इसके सदस्य बने थे उनके लिये यह योजना अनिवार्य बना दी गई। अब यह निःसन्देह सिद्ध हो चुका है कि उस समय सी आइ टी यू द्वारा इस योजना का विरोध करना कितना उचित था। वर्ष 1992 तक इस कोष के लिये 5051.80 करोड़ रुपये के धन का संचय किया गया और ऐसा श्रमिकों को उनकी अपनी बकाया राशि से वंचित रखे जाने के कारण ही सम्भव हो सका।

20. हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने वृद्धावस्था पेनशन तथा परिवार पेनशन का बढ़ी हुई दरों पर भुगतान करने का तर्क देकर मालिकों द्वारा देय पूर्ण योगदान को पेनशन कोष में अंतरित करने का सुझाव दिया है। दुसरी ओर भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से परिवार पेनशन कोष में उनके योगदान के प्रावधान को वापस ले लिया है। सी आइ टी यू ने इस प्रस्तावित योजना का विरोध किया था और सामान्य रूप में श्रमिकों ने भी इस योजना के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया था। इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार को पीछे हटने पर विवश होना पड़ा तथापि उसने अपना प्रस्ताव वापस नहीं लिया। कोयला उद्योग के श्रमिकों तथा नाविकों के लिये एक पृथक भविष्य निधि कोष बनाया गया। उसमें कोयला श्रमिकों के योगदान की दर 10% तथा नाविकों के योगदान की दर 10.5% रखी गयी।

21. इस सम्बन्ध में रेखांकित किया जाना होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में ट्रेड यूनियन आंदोलन के दबाव के परिणामस्वरूप ही सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक इकाईयों में सेवानिवृत्ति के तृतीय लाभ के रूप में पेनशन के प्रश्न पर समझौते/सहमति हो सकी थी । कोयला, इस्पात तथा कुछ अन्य उद्योगों में सम्पन्न पिछले वेतन समझौते में पेनशन कोष के आधार पर पेनशन योजना बनाने पर सहमति हुई थी । पेनशन कोष श्रमिक के वेतन के 2% योगदान तथा मालिकों के ओर से भी इतने ही योगदान से स्थापित किया जाना था । ऐसे अनेक उद्योगों में 2% राशि की कटौती पहले ही प्रभावी हो गई थी । किन्तु केन्द्रीय सरकार के नकारात्मक रुख के चलते सार्वजनिक क्षेत्र की सम्बन्धित इकाईयों ने पेनशन कोष के लिये योगदान नहीं दिया है । इस प्रकार पेनशन योजना को न अंतिम रूप और न कार्यरूप दिया जा सका ।

अंतिम लाभ

22. हमारे देश में श्रमिक बेरोजगारी लाभ (भत्ता) प्राप्त करने की कल्पना स्वप्न में भी नहीं कर सकते थे । श्रमिकों के संयुक्त आंदोलन के दबाव में भारत सरकार को औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करके छंटनी, ले-आफ तथा कामबंदी से सम्बन्धित कुछ मांगें स्वीकार करनी पड़ीं थीं । इसके अन्तर्गत श्रमिकों को सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये 15 दिन का वेतन ले-आफ क्षतिपूर्ति के रूप में मिलता है । इसके साथ ही उन्हें एक महीने का नोटिस वेतन दिया जाता है ।

पेमैंट आफ ग्रैच्युटी एक्ट

23. पेमैंट आफ ग्रैच्युटी एक्ट के अन्तर्गत एक श्रमिक को यदि न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् उसकी छंटनी की जाती है, वह सेवानिवृत होता है या त्यागपत्र दे देता है तो वह प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये ग्रैच्युटी के रूप में 15 दिन का वेतन प्राप्त करने का पात्र हो जाता है । इस राशि की सीमा एक लाख रुपये निर्धारित की गई है ।

यह एक्ट (अधिनियम) (क) प्रत्येक कारखानें, खदान, तेल क्षेत्र, बागवानी, गोदी तथा रेलवे उपक्रम और (ख) प्रत्येक उपक्रम एवं दुकान जहाँ 10 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हों पर लागू होता है । 3500 रुपये मासिक वेतन प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी इस अधिनियम की परिधि में आते हैं ।

वर्तमान श्रम कानूनों विशेष रूप से भविष्य निधि अधिनियम तथा ग्रैच्युटी अधिनियम में वृद्धावस्था पेनशन के लिये कोई प्रावधान नहीं है । उनमें बेरोजगारी बीमा या वेतन गारंटी के लिये भी किसी योजना का उल्लेख नहीं किया गया है ।

2.4 भारत सरकार द्वारा 1993 में प्रकाशित श्रमिक आंकड़ों के अनुसार 1990 में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त श्रमिकों की संख्या इस प्रकार थी:

कारखाने	81.71	लाख
खदानें	7.18	लाख
बागवानी	10.99	लाख
दुकानें तथा उपक्रम	41.53	लाख
कुल	**141.41**	**लाख**

25. उन्हीं सूत्रों से हमें पता चलता है कि वर्ष 1992 में भविष्य निधि अंशदाताओं की संख्या 166.15 लाख थी तथा उसी वर्ष ई एस आई योजना के अन्तर्गत बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या 61.09 लाख थी। इन लाभों को प्राप्त करने वालों अर्थात् परिवार के सदस्यों की कुल संख्या दो करोड़ थी। कारखानों में प्रसूति लाभ अधिनियम के अन्तर्गत कुल 1321 दावे किये गये जिनमें से 1087 दावों का निपटारा कर दिया गया। बागवानी में कुल 23,503 दावे किये गए, किन्तु उनमें से केवल 19,478 व्यक्तियों (श्रमिकों) को उनके लाभ मिले हैं।

26. उपरोक्त आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत कितने श्रमिक या कर्मचारी लाभान्वित होते हैं।

यह सत्य है कि कुछ श्रमिक तथा उनके परिवार के सदस्य ई एस आई योजना के अन्तर्गत कुछ लाभ प्राप्त करते हैं किन्तु कोयला खदानों तथा बागवानी में श्रमिकों को चिकित्सा कराने के लिये शायद ही कोई लाभ मिलता हो।

27. बागवानी श्रमिक अधिनियम (पलाटेशन लेबर एक्ट) के अन्तर्गत श्रमिकों तथा उनके परिवारों के सदस्यों के लिए डाक्टरी चिकित्सा का दायित्व मालिकों की इच्छा पर ही छोड़ दिया गया है। कानून में डाक्टरी इलाज के लिये कुछ मानदंड या स्तर निर्धारित किये गए हैं किन्तु मालिकों द्वारा उनका पालन नहीं किया जाता। आधुनिक डाक्टरी चिकित्सा की तो बात ही छोड़िये। क्योंकि इन्हें मालिकों की इच्छा या अनिच्छा पर छोड़ दिया गया है और मालिक इसे अनुत्पादक व्यय मानते हैं, इसलिए वे इस पर धन का व्यय करने को तैयार नहीं होते। अतः इसकी आंतरिक संरचना के कारण कुछ हानियाँ भी होती हैं।

कार्यरूप देने की समस्याएं

28. इस अधिनियम के अन्तर्गत जो भी तुच्छ लाभ श्रमिकों को देने की व्यवस्था की गई है, वे श्रमिकों तथा कर्मचारियों को समुचित समय पर मिलें, इसे सुनिश्चित बनाया जाना चाहिये। किन्तु ये लाभ प्राप्त करने के मार्ग में विभिन्न प्रस्ताव, प्रतिबंध तथा अवरोध व्याप्त हैं। इनके साथ-साथ नौकरशाही की लालाफीता शाही भी एक बड़े अवरोध के रूप में सामने आती है। विशेष रूप से ई एस आई तथा भविष्य निधि के मामलों में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के एक वर्ग में भ्रष्टाचार का दुष्चक्र बन चुका है जिसके कारण श्रमिकों के लिये इसके लाभ प्राप्त करना कठिन हो रहा है। यही नहीं, उन्हें इस प्रकिया में भारी कठिनाईयां तथा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। मालिकों का एक वर्ग जो श्रमिकों के वेतनों में से अंशदान काटता है किन्तु उसे ई एस आई तथा भविष्य निधि अधिकारियों के पास उनके भाग के रूप में जमा नहीं कराता। उस वर्ग की भ्रष्ट कार्रवाईयां भी श्रमिकों एवं कर्मचारियों की कठिनाईयों के वृद्धि करती है। वर्ष 1992 तक

मालिकों की ओर ई एस आई योगदान में 161.14 करोड़ रुपये तथा भविष्य निधि योगदान के लिये 109.14 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। इसके परिणामस्वरूप हजारों को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा। कानून के वर्तमान प्रावधान इतने कठोर नहीं है कि जिनके कारण भ्रष्ट मालिकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके।

29. ग्रैच्युटी अधिनियम के अन्तर्गत भी श्रमिकों को मालिकों की इच्छा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अनेक मामलों में मालिक ग्रैच्युटी का भुगतान करने के इच्छुक नहीं होते। सेवा निवृत्ति के पश्चात् ये लाभ प्राप्त करने के लिये श्रमिकों को लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यद्यपि यह अधिनियम ग्रैच्युटी बीमा कोष की व्यवस्था करता है तथापि अभी तक इसे प्रभावी नहीं बनाया गया है।

30. यह भी देखा गया है कि मालिक श्रमिकों को ग्रैच्युटी तथा छंटनी सम्बन्धी क्षतिपूर्ति से वंचित रखने के लिये वर्षों तक तालाबंदी के अन्तर्गत अपने कारखाने बंद रखता है। यह भी एक तथ्य है कि अनेक श्रमिक तथा अनके परिवार इस बात से पूर्णतया अनभिज्ञ होते हैं कि कानून के अन्तर्गत वे कैसे लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। वे नहीं जानते कि अपना दावा कैसे किया जाए। संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन को इन कानूनों को समुचित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होगा।

31. हमें एक और तथ्य पर भी विचार करना चाहिये। वर्तमान में ई एस आई तथा भविष्य निधि योजनाएं अत्यंत केन्द्रीकृत हैं और इनका विकेन्द्रीयकरण किया जाना चाहिये। क्योंकि श्रम एक समवर्ती विषय है, इसलिये राज्य सरकारों को इसे कार्यरूप देने में अपनी प्रमुख भूमिका अवश्य निभानी चाहिये। तथापि कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि यदि इसे राज्य सरकारों के प्रशासन के अन्तर्गत लाया जाए तो स्थिति में पर्याप्त सुधार होगा। यह बात सम्बन्धित राज्य सरकार के वर्गीय दृष्टीकोण पर ही निर्भर करती है। अत: अधिक आवश्यकता इस बात की है कि इन योजनाओं के प्रशासन के साथ ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों को सम्बद्ध किया जाए और उन्हें इसके लिये पर्याप्त शक्तियां प्रदान की जाएं।

32. धमकी भरी निर्गम नीति भी हमारी दृष्टि से ओझल नहीं होनी चाहिये। नीति निर्धारकों द्वारा इस तथ्य को छिपाया नहीं जा रहा है कि नयी औद्योगिक नीति तथा नयी आर्थिक नीति को कार्यरूप दिये जाने के फलस्वरूप अधिक से अधिक कारखानें बंद हो जाएंगे तथा कुछ लाख श्रमिक रोजगार विहीन हो जाएंगे। इसके पीड़ितों को तथाकथित 'सामाजिक सुरक्षा कवच' उपलब्ध काने के लिये विश्व बैंक ने भारत सरकार को 50 करोड़ डालर दिये है ताकि उससे एन आर एफ की स्थापना की जा सके। जहां हमें इन नीतियों के विरोध में सशक्त एवं प्रभावी प्रतिरोध विकसित करना होगा वहीं हमारे लिये सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में सुधार लाने हेतु अभियान चलाना भी अनिवार्य हो जाता है। यह अभियान निम्नलिखित मांगों के लिये चलाया जाना चाहिए :

i) श्रमिक जनता के सभी वर्गों को सामाजिक सुरक्षा की परिधि में लाने के लिये वर्तमान अधिनियमों में संशोधन किया जाए और लाभों की वर्तमान दरों को बिना किसी रुकावट के ऊपर की ओर संशोधित किया जाए।

ii) वृद्धावस्था पेनशन योजनाएं लागू की जाएं।

iii) बेरोजगारी लाभ (भत्ता) योजना लागू की जाए।

iv) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की एक योजना शुरू की जाए। उसके लिये श्रमिकों की ओर से कोई अंशदान न लिया जाए।

v) बागवानी, कोयला तथा खदान श्रमिकों को निभिन्न चिकित्सा लाभ योजनाओं के अन्तर्गत लाया जाए। उसके लिये श्रमिकों की ओर से कोई अंशदान न लिया जाए।

vi) ई एस आई तथा भविष्य निधि योजना में मालिक द्वारा अंशदान जमा न कराए जाने की स्थिति में किसी भी श्रमिक को उनके लाभों से वंचित न रखा जाए।

vii) भारत सरकार द्वारा भी ई एस आई योजना के लिये धन दिया जाना चाहिये और श्रमिकों से उसके लिये अंशदान नहीं लेना चाहिये।

viii) भारतीय दंड सहिता तथा ई एस आई एवं भविष्य निधि अधिनियमों में इस प्रकार संशोधन किया जाए जिससे अंशदान का भुगतान न करने वाले मालिकों के विरुद्ध 406 तथा 409 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जा सके।

ix) नियमों एवं विनियमों में परिवर्तन लाकर लाभ प्राप्त करने की वर्तमान प्रक्रिया को सरल बनाया जाए तथा इस पर कानूनी नियंत्रण रखने वाली नौकरशाही एवं लालफीताशाही को समाप्त किया जाए।

x) सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्रशासन के साथ श्रमिकों के प्रतिनिधियों को अधिक शक्तियां प्रदान करके सम्बद्ध किया जाए।

कामकाजी महिलाओं सम्बन्धी आयोग का दस्तावेज

1. कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति (सी आइ टी यू) का गठन 9-10 अप्रैल, 1979 को मद्रास में आयोजित कामकाजी महिलाओं के अखिल भारतीय सम्मेलन में किया गया था। कामरेड बी टी रणदिवे ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इसके गठन के उद्देश्य को स्पष्ट करते समय कहा था, "सी आइ टी यू को यह विशेष सम्मेलन बुलाने का निर्णय इसलिये लेना पड़ा क्योंकि यह पाया जा रहा था कि कामकाजी महिलाओं के कष्टों एवं कठिनाईयों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा; सरकार उनके प्रति उदासीन थी, मालिकों का व्यवहार शत्रुतापूर्ण था और यहां तक कि ट्रेड यूनियनें भी उनकी मांगों के प्रति विशेष उत्साह नहीं दिखाती थीं।" दूसरे, यह भी देखा गया कि उन उद्योगों तथा व्यवसायों में जहां महिलाएं भारी संख्या में काम करती हैं, कामकाजी महिलाओं की यूनियनों को नेतृत्वकारी समितियों में शायद ही प्रतिनिधित्व दिया जाता था। कामकाजी महिलाओं जो सकल श्रमिक वर्ग का एक भाग हैं, के प्रति अन्याय एवं पक्षपातपूर्ण व्यवहार के विरोध में ट्रेड यूनियनों को संघर्ष करना पड़ेगा।

2. भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन जिसमें सी आइ सी यू सी शामिल है वर्तमान बुर्जुआ-सामंती समाज व्यवस्था के दुष्प्रभावों को झेल रहा है। ट्रेड यूनियनों को कामकाजी महिलाओं सहित पूरे श्रमिक वर्ग की मुक्ति के लिये संघर्ष करना होगा। भारत सहित सभी पूंजीवादी देशों में कामकाजी महिलाओं तथा सामान्य महिलाओं का नृशंस शोषण तथा सामाजिक उत्पीड़न होता है। उन्हें पक्षपात, असमानता, असमान वेतन इत्यादि अत्याचारों को भी झेलना पड़ता है। केन्द्र में कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की स्थापना होने के पश्चात राज्य स्तर पर समन्वय समितियों तथा अनेक राज्यों में यूनियन स्तर पर उप समितियों का गठन किया गया। यूनियनों तथा फेडरेशनों में भी उपसमितियां बनाई गई। यूनियनों द्वारा कामकाजी महिलाओं की विशिष्ट समस्याओं को उठाया जाने लगा है और स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।

3. किन्तु स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए हम पिछले वर्षों में प्राप्त किये गए परिणामों से संतुष्ट नहीं हो सकते। संगठनात्मक रिपोर्ट के पृष्ठ 33-34 में लिखा गया है, "सी आइ टी यू सम्मेलनों तथा अखिल भारतीय स्तर की बैठकों में बार-बार आलोचना करने पर भी कामकाजी

महिलाओं का मोर्चा हमारे नेताओं, यूनियनों तथा उप समितियों की उदासीनता एवं लापरवाही को ही दर्शाता है। वर्ष 1979 के पश्चात जब हमने कामकाजी महिलाओं के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया था अपनी उदासीनता की आलोचना करना प्रायः एक रस्म ही बन गई है। कामरेड कामकाजी महिलाओं के प्रति अपने रुख में गम्भीर परिवर्तन लाए बिना आलोचनात्मक दृष्टि से अपने विचार प्रस्तुत करते हैं।" रिपोर्ट में बताया गया है कि समितियों का गठन किया गया है किन्तु उनकी अभी तक बैठक नहीं हुई है। समितियों ने कामकाजी महिलाओं के मध्य काम करने के कार्यक्रम को अपनी कार्यसूची में शामिल नहीं किया है। इसका प्रमुख कारण कामकाजी महिलाओं में काम को आगे बढ़ाने के प्रति हमारी यूनियनों में गम्भीरता का नितांत अभाव है।

4. रिपोर्ट में कामरेड बी टी रणदिवे द्वारा बम्बई सम्मेलन में कहे गये शब्दों का उल्लेख किया गया है, "सी आइ टी यू समितियों के प्रमुख भागों ने या तो इन समस्याओं को दृष्टिलोप कर दिया है या उनके द्वारा अपने कामकाज में स्तही परिवर्तन ही लाया गया है .... कामकाजी महिलाओं की समस्याएं, पूंजीवादी समाज के विरुद्ध श्रमिक वर्ग के संघर्ष का ही भाग है, यह एक ऐसा प्रश्न नहीं है जो केवल महिलाओं की चिंता का विषय हो। इस गलत रुख का आधार क्या है ? यह महिलाओं तथा उनके काम को कम करके आंकने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है. ....." रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कामरेड रणदिवे द्वारा की गई आलोचना वर्तमान स्थिति में भी लागू होती है तथा साथियों को अपने रुख में सुधार लाना चाहिये।

5. कामकाजी महिलाओं को कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ? उनके लिये अनेक कानून बनाए गए हैं जैसे समान वेतन कानून, प्रसूति लाभ कानून, कारखाना अधिनियम, बागवानी श्रमिक कानून, बीड़ी एवं सिगार अधिनियम इत्यादि। इनके अन्तर्गत शिशु पलना गृह की व्यवस्था की गई है। किन्तु इन कानूनों में अनेक कमियां भी हैं और इनके प्रावधानों को कार्यरूप नहीं दिया गया। अनेक उद्योगों विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में और संगठित क्षेत्र में भी समान वेतन नहीं दिया जाता। दूसरे, उन्हें रोजगार की सुरक्षा भी प्राप्त नहीं है। अधिकांश कारखानों में जहां महिलाएं रोजगार पर लगी हुई हैं उनकी सर्वप्रथम छंटनी की जाती है। नयी आर्थिक नीति का कार्यालयों तथा उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश की कुल श्रम शक्ति 31 करोड़ 49 लाख थी। इसका एक तिहाई भाग अर्थात 9 करोड़ 14 लाख महिलाओं का था। यह श्रम शक्ति जिसमें से अधिकांश को असंगठित क्षेत्र में धकेल दिया गया है, भी श्रमिक वर्ग का ही एक भाग है। इस श्रम शक्ति (कामकाजी महिलाएं) के संघर्षों में भाग लिये बिना तथा उसका यूनियनकरण नहीं होने की स्थिति में ट्रेड यूनियन आंदोलन दुर्बल बना रहेगा तथा श्रमिक वर्ग की एकता अपूर्ण रहेगी।

6. जब तक सी आइ टी यू इस तथ्य को रेखांकित नहीं करता तब तक उसकी प्रगति सम्भव नहीं है। पक्षपात, लैंगिक उत्पीड़न, असमानता, पदोन्नति, अंतरण इत्यादि अनेक मुद्दे ऐसे हैं जिनके साथ सी आइ टी यू तथा कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति को निपटना चाहिये और समय-समय पर इन्हें सम्बन्धित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाना चाहिये। किन्तु इन मुद्दों की अवहेलना कर दी जाती है। जब तक कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को यूनियनों के प्राथमिक मुद्दों के रूप में उठाया नहीं जाता तब तक कामकाजी महिआएं अलग-थलग रहेंगी और यूनियनें पुरुष प्रधान संगठन बनी रहेंगी। यही स्थिति असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामकाजी महिलाओं पर भी समान रूप से लागू होती है।

7. सामान्य रूप से ट्रेड यूनियनें ऊपर उल्लिखित मुद्दों को "महिलाओं की समस्याएं" मानती हैं और समझती हैं कि इन मुद्दों से केवल महिलाओं को ही निपटना चाहिये। यही गलत समझ कामकाजी महिलाओं को ट्रेड यूनियन आंदोलन तथा वर्ग संघर्ष के प्रति उदासीन बना देती है जिससे नारीवादी आंदोलन लाभ उठाता है। यही कारण है कि ट्रेड यूनियनों की सदस्य संख्या में वृद्धि नहीं हो रही, ट्रेड यूनियन जागरूकता का स्तर अत्यंत निम्न बना हुआ है, वर्गीय जागरूकता अभी तक नहीं पनपी और इसके परिणामस्वरूप ट्रेड यूनियन आंदोलन को क्षति झेलनी पड़ती है।

8. एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष जिसे सी आइ टी यू ने बम्बई सम्मेलन में तथा उसके पश्चात हाथ में लिया था, कामकाजी महिलाओं को नेतृत्वकारी पदों, यूनियनों की कार्य समितियों तथा पदाधिकारियों के रूप में पदोन्नति देना है। जैसा कि कामरेड बी रणदिवे ने मद्रास के पहले सम्मेलन में रेखांकित किया था कि महिलाओं को उन स्थानों पर भी जहां श्रमशक्ति में उनकी बहुसंख्या होती है उन्हें सामान्यतया पदाधिकारी तथा प्रबंध समितियों की सदस्य के रूप में नहीं चुना जाता। बागवानी तथा बीड़ी उद्योगों में कार्यरत महिलाओं की संख्या कुछ श्रमशक्ति की 70-80% है, किन्तु इस पर भी कोई महिला उच्चतर समिति में दिखाई नहीं देती। यही स्थिति अभी कुछ समय पूर्व तक मध्य वर्गीय कर्मचारियों से सम्बन्धित संघों तथा फेडरेशनों में कामकाजी महिलाओं की दिखाई देती थी। केन्द्र की ओर से इस मामले को यूनियन स्तर पर उठाए जाने के पश्चात अब स्थिति में सुधार हो रहा है।

9. कार्यकर्ताओं के प्रश्न पर संगठनात्मक रिपोर्ट में विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। कामकाजी महिलाओं के मध्य कार्यकर्ताओं (काडर) के प्रश्न पर विचार करते समय कामकाजी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिये कुछ विशेष प्रयास किये जाने चाहियें। ट्रेड यूनियनों को महिलाओं द्वारा श्रमिक एवं गृहणी के रूप में निभाए जा रहे दोहरे दायित्व पर भी विचार करना चाहिये। वे बैठकों में भाग लेने के लिये आएं तथा बहस करें, इसके लिये यूनियनों को सचेत

रूप में प्रयास करना होगा अन्यथा वे व्यापक रूप से स्वयंमेव आगे नहीं आएंगी। चाहे देरी से ही सही यह देखा जा रहा है कि केरल, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों में मध्यवर्गीय महिलाएं कर्मचारी यूनियनों की नेताओं के रूप में आगे आ रही हैं।

10. सी आइ टी यू में कामकाजी महिलाओं की सदस्य संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। वर्ष 1985 में महिलाओं की सदस्य संख्या 1.70 लाख थी जबकि उस समय कुल सदस्य संख्या 15,50,000 थी। इसी प्रकार 1987 में कुल सदस्य संख्या 16,69,684 में से 2,06,482 महिलाएं थीं। वर्ष 1988 में 19,16,095 में से 2,64,195 जबकि 1989 में 20,07,357 में से 2,39,704 महिलाएं थीं। वर्ष 1991-92 में महिलाएं कुल सदस्य संख्या का 12% थीं। रिपार्टों के अनुसार कर्नाटक, केरल तथा पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सदस्यता की स्थिति अच्छी थी। किन्तु सी आइ टी यू में महिलाओं की सदस्यता का यह कोई सुखद पक्ष नहीं है। अनेक यूनियनों में वास्तविक श्रम शक्ति की अपेक्षा महिलाऐं बहुत कम संख्या में सदस्य हैं। कामकाजी महिलाओं को भी महिलाओं को यूनियन की सदस्य बनाने के काम में नेतृत्वकारी भूमिका निभानी होगी। यह काम यूनियन कार्यकर्ता पुरुषों तथा महिलाओं दोनों का ही है और इसे केवल पुरुषों का काम ही नहीं समझा जाना चाहिये।

कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति तथा जनवादी महिला समिति

11. यह देखा जा रहा है कि कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्व्य समिति तथा जनवादी महिला समिति की भूमिकाओं के सम्बन्ध में अभी भी कुछ भ्रांतियां पाई जा रही हैं। यह रेखांकित किया जाना चाहिये कि कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति अपने में कोई संगठन नहीं है, यह सी आइ टी यू की शाखा है जो विभिन्न उद्योगों तथा संस्थानों में कामकाजी महिलाओं की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने, पुरुषों के साथ-साथ उन्हें भी उद्योगों, इकाईयों या प्रतिष्ठानों में सामान्य ट्रेड यूनियन आंदोलन में लाने तथा उद्योगों में उनकी विशिष्ट समस्याओं से निपटने का कार्य करती है। जनवादी महिला समिति एक संगठन है। वह समाज के उत्पीड़ित वर्ग के रूप में पूर्ण रूप से महिलाओं की समस्याओं से निपटती है और उन्हें देश के विशाल जनवादी आंदोलन में लामबंद करती है। तथापि जैसा कि कामरेड बी टी रणदिवे ने इंगित किया था कि महिलाओं के तीन पक्ष हैं! वह एक महिला है, उस रूप में उसे अर्ध-सामंती एवं अर्ध-बुर्जुआ समाज व्यवस्था में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरे, वह एक नागरिक है, इसलिये उसे अपने जनवादी अधिकारों के लिये संघर्ष करना पड़ता है। तीसरे, एक श्रमिक के रूप में उसे अपने कार्य स्थल पर कुछ समस्याओं को झेलना पड़ता है। इन परिस्थितियों में कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति तथा जनवादी महिला समिति की भूमिकाएं एक-दूसरे की पूरक हैं।

12. संगठनात्मक रिपोर्ट में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित करने के कार्य पर पर्याप्त बल दिया गया है। यह एक विशाल कार्य है। सी आइ टी यू असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की एक समिति का गठन करके उनकी मांगों को उठा रही है। इस वर्ग का एक बड़ा भाग महिलाओं का है। इन में से अधिकांश वर्गों के लिये कोई कानून नहीं है, उनके लिये सामाजिक सुरक्षा के कदम भी उठाए नहीं जाते तथा उन्हें अत्यंत दयनीय स्थितियों में काम करना पड़ता है।

13. कामकाजी महिलाओं का एक बड़ा भाग घरेलू उद्योगों में लगा हुआ है। नयी आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों के अन्तर्गत पुनर्गठन प्रक्रिया में संगठित उद्योग अपने उत्पाद घरेलू उद्योगों की इकाईयों में तैयार कराते हैं। कामकाजी महिलाओं जो इस उद्योग में काम करने वाली श्रम शक्ति का लगभग 90 प्रतिशत हैं, का निर्मम शोषण किया जाता है। यहां एकाधिकार प्राप्त उद्योग उनके द्वारा निर्मित उत्पादों से भारी लाभ अर्जित करते हैं। सी आइ टी यू तथा कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति को उन्हें (महिलाएं) ट्रेड यूनियन आंदोलन में लाने तथा लामबंद करने के लिये सुनियोजित ढंग से कार्रवाईयां करनी चाहियें।

14. समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत काम करने वाली महिलाओं की एक और श्रेणी है जिन्हें आंगनवाड़ी महिलाएं कहा जाता है। यह वर्ग अत्यंत जुझारू हैं जो हमारे झंडे अर्थात आंगनवाड़ी फेडरेशन के अन्तर्गत अपनी मांगों के लिये संघर्ष करने हेतु आगे आया है। प्रत्येक राज्य में आंगनवाड़ी महिलाएं संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ी हैं। इनमें 9 सितम्बर 1993 की हड़ताल भी शामिल है जिसमें आंगनवाड़ी महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया था। हमारे प्रयासों तथा ट्रेड यूनियनों की संयुक्त समिति के गठन से उनके मानदेय में कुछ वृद्धि हुई है। सी आइ टी यू ने इस काम को गम्भीरता से लिया है तथा उनके मध्य संगठन खड़ा किया है।

15. सी आइ टी यू तथा हमें अपने प्रभावाधीन कामकाजी महिलाओं को शिक्षित करना होगा ताकि वे ट्रेड यूनियनों तथा अन्य जन संगठनों के काम को सम्भाल सकें। महिलाएं भी सामंतवादी दृष्टिकोण तथा पिछड़ेपन का शिकार हैं। वे उत्तरदायित्व लेने से कतराती हैं। अपने दोहरे दायित्वों, गृहणी के रूप में अपने कर्तव्यों के कारण वे नेता के रूप में आगे आने या कोई काम अपने हाथ में लेने से इन्कार कर देती हैं। यहां सी आइ टी यू की भूमिका उन्हें भारी काम होने पर भी आगे आने के लिये प्रेरित एवं उत्साहित करने की होनी चाहिये। आंदोलन का अनुभव बताता है कि जहां कहीं भी उन्होंने कोई संघर्ष छेड़ा है, उसमें उन्होंने पूरी तरह भाग लिया है।

कामकाजी महिलाओं के लिये शिक्षा व्यवस्था :

16. हमारे नेतृत्व की ओर से ट्रेड यूनियन तथा राजनीतिक कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। उन कक्षाओं में प्रधान रूप से पुरुष ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता ही भाग लेते हैं। ट्रेड यूनियन कक्षा विशेष रूप से जुलाई 1993 को हैदराबाद में कामकाजी महिलाओं के लिये आयोजित कक्षा का अनुभव दर्शाता है कि महिलाएं आगे आना तथा उन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करती हैं। उन्होंने जिस गम्भीरता के साथ कक्षाओं में व्याखान सुने, नोट लिये तथा अपने राज्यों में जाकर स्थानीय भाषाओं में अपने कार्यकर्ताओं को शिक्षित किया है, उससे ऐसी कक्षाओं में भाग लेने के प्रति उनका उत्साह ही प्रकट होता है। विशेष रूप से हिन्दी भाषी राज्यों में ऐसी कक्षाओं का आयोजन करने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसे क्षेत्रों में अपना काम विकसित करना चाहते हैं तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है तथा सी आइ टी यू ने हिन्दी भाषी क्षेत्र में एक कक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया है। कामकाजी महिलाओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार करना होगा।

17. कामरेड बी टी रणदिवे ने कामकाजी महिलाओं के प्रथम सम्मेलन में भाषण करते समय कहा था, "इसमें विस्मय नहीं होना चाहिये कि भारत जिसका एक पांव पूंजीवादी युग में है तथा दूसरा पांव पूर्ववर्ती युग में रखा हुआ है, प्रत्येक मोड़ पर महिलाओं के साथ समान व्यवहार करने से इन्कार कर दे। ट्रेड यूनियन आंदोलन को श्रमिक वर्ग के संघर्ष के भाग के रूप में ही इस प्रकृति के विरोध में संघर्ष करना चाहिये। हमारे नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को देखना चाहिये कि यूनियन का नेतृत्व केवल पुरुषों का ही सुरक्षित स्थल बन कर न रह जाए। महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाए तथा तेजी के साथ उन्हें नेतृत्वकारी पद के लिये पदोन्नत किया जाए। जब तक महिला साथी ट्रेड यूनियनों का गठन करने, तथा उसे नेतृत्व प्रदान करने के लिये अपनी भूमिका नहीं निभातीं तब तक ट्रेड यूनियन आंदोलन अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकेगा। हजारों महिलाएं हड़तालों-संघर्षों में भाग लेती हैं, वे अपने पुरुष सहयोगियों के साथ जेल जाती हैं तथा दमन झेलती हैं। किन्तु यूनियनों में अपनी नेतृत्वकारी स्थिति प्राप्त करने से वे कोसों दूर रहती हैं। वे कामकाजी महिलाओं की मांगों के लिये संघर्ष करती हैं, वे कारखानों के श्रमिकों, अध्यापकों, कर्मचारियों इत्यादि की मांगों के लिये संघर्ष करती हैं। सभी महिला संगठनों को ट्रेड यूनियन आंदोलन का समर्थन करना तथा उसके संघर्षों में सक्रिय सहयोग देना चाहिये।"

18. कामकाजी महिलाओं सम्बन्धी आयोग के समक्ष विचारार्थ मुद्दें :

i) कामकाजी महिलाओं की विशिष्ट समस्याओं को उठाने के लिये सी आइ टी यू या फेडरेशनों के अन्तर्गत उप समितियों तथा शाखाओं का गठन करना।

ii) पुरुषों तथा कामकाजी महिलाओं दोनों को समान उत्तरदायित्व देकर यूनियनों के सदस्य बनाने का काम करना।

iii) ट्रेड यूनियन आंदोलन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित बनाना।

iv) महिलाओं को वक्ता एवं संगठनकर्ता के रूप में आगे आने को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष प्रयास करना।

v) महिलाओं को समितियों में तथा पदाधिकारियों के रूप में पदोन्नत करना।

vi) कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को सी आइ टी यू समितियों की कार्यसूची में शामिल करके सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष करना।

संगठन सम्बन्धी आयोग का दस्तावेज़

1. सी आइ टी यू के आठवें महाधिवेशन के पूर्ण सत्र द्वारा स्थापित संगठन सम्बन्धी आयोग ने सी आइ टी यू कार्य समिति रिपोर्ट की संगठन सम्बन्धी हमारे तात्कालिक कार्यों के लिये मार्ग दर्शक के रूप में प्रशंसा की थी। रिपोर्ट में कहा गया है, "हमारे कामकाज में अनेक कमियां है जिनके कारण हमारी प्रगति के मार्ग में अवरोध खड़े हो गये हैं। इस दुर्बलता के कारण अनेक कार्यों में त्रुटियां रह जाती हैं तथा हम श्रमिकों के हित में उनसे निपटने में असमर्थ रहे हैं।" रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "हमने अपनी शक्ति का पठार पा लिया है तथा हमारे सांगठनिक विकास में निश्चलता व्याप्त है।"

2. अनेक वर्षों से हमारी संगठनात्मक शक्ति उसके बढ़ते प्रभाव तथा नयी चुनौतियों की अपेक्षा पिछड़ती चली जा रही है। पिछले कुछ समय से निश्चलता के लक्षण हमें दिखाई देने लगे थे। हमारी संगठनात्मक दुर्बलता उस समय और उभर कर सामने आई है जब उसे साम्प्रदायिक तथा सभी विभाजक शक्तियों के विरोध में जनता को एकजुट करने के लिये उसकी भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। अतः यह अनुभव किया जा रहा है कि यदि हमें नयी आर्थिक नीतियों के लागू होने से उत्पन्न स्थिति के साथ प्रभावी ढंग से निपटना है तो हमें अपनी सांगठनिक दुर्बलताओं को दूर करना होगा।

3. संगठनात्मक रिपोर्ट जहां हमारे भावी कार्यों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करती है वहीं श्रमिक वर्ग को एकजुट करने तथा उसकी जागरूकता बढ़ाने के प्रति प्रभावी ढंग से अपने दायित्व पूर्ण करने के लिये पहली शर्त के रूप में सभी स्तरों पर सांगठनिक तथा विचारधारक क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल देती है।

4. क्योंकि संगठनात्मक रिपोर्ट एक वर्ष पूर्व पारित की गई थी, इसलिये इसमें कोई संदेह नहीं है कि सी आइ टी यू केन्द्र तथा राज्य समितियों के कार्यों में कुछ प्रगति हुई है। सर्वाधिक उत्साहवर्धक तथ्य यह है कि सभी स्तरों पर संगठन को और विकसित करने के सम्बन्ध में नयी जागरूकता आई है। किन्तु यही एक कारण स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए फलप्रद नहीं होगा जैसा कि सांगठनिक रिपोर्ट में कहा गया है। इसके लिये हमें अपने रुख तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा। हमें अपने काम करने के ढंगों को बदलना होगा।

5. हमें सामूहिक रूप से कार्य करने की पद्धति लागू करके अपनी गतिविधियों का शुभारम्भ करना होगा, एक दूसरे के लिये सूचनाओं का आदान-प्रदान करना होगा और कार्यों का निरीक्षण करना होगा। इसके साथ ही हमें आत्म आलोचना तथा मुक्त बहस का वातावरण बनाना होगा ताकि ट्रेड यूनियन समितियां सच्चे अर्थों में ट्रेड यूनियन जनवाद को आगे बढ़ा सकें जैसी कि रिपोर्ट में कल्पना की गई है। संगठन के प्रति हमारे रुख में यह परिवर्तन तभी आ सकता है जब हम व्यक्तिवाद तथा नौकरशाही के गलत रुझानों जो अत्यंत विनाशकारी भूमिका निभाते हैं, के विरोध में सतत् एवं निर्बाध संघर्ष करेंगे। यह संघर्ष कड़ाई के साथ सी आइ टी यू के

संविधान तथा इस रिपोर्ट में उल्लिखित संगठनात्मक सिद्धान्तों के निदेशों के अन्तर्गत चलाया जाना चाहिये।

6. संगठनात्मक बहस से एक अत्यावश्यक मुद्दा उभर कर सामने आया है। सी आइ टी यू को विशिष्ट उद्योगों के वर्ग में अपने कार्यकर्ताओं को गतिशील बनाने में सक्षम होना चाहिये। उनकी कार्रवाईयों का शेष श्रमिक वर्ग तथा जनता की विभिन्न श्रेणियों पर प्रभाव पड़ेगा। इन श्रमिकों पर पुनर्गठन सम्बन्धी तथाकथित कार्यक्रमों की जबरदस्त मार पड़ रही है। इनका विरोध करने के लिये इन सभी वर्गों को विभिन्न प्रकार के संयुक्त आंदोलनों में लाया जा रहा है। इसका प्रभावी ढंग से विकास हो तथा संगठन की शक्ति बढ़े इस ओर सी आइ टी यू को भारी ध्यान देना होगा।

7. इसे प्रभावी ढंग से कार्यरूप देने के लिये ट्रेड यूनियनों को दो काम करने होंगे। एक सम्बन्धित उद्योग का उसकी प्रौद्योगिकीय तथा वाणिज्यक व्यवहार्यता सहित समुचित अध्ययन करना। अच्छी विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिये उद्योग का स्वतंत्र अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है तथा उसके पश्चात् ठोस सुझाव तैयार किये जाने चाहियें जिन्हें श्रमिकों के समक्ष रखा जा सकता है ताकि उन्हें उनके लिये लामबंद किया जा सके। इन सुझावों के लिए जन समर्थन भी प्राप्त किया जा सकता है।

8. दूसरे, हमें पूरी निपुणता तथा सुनियोजित ढंग से श्रम शक्ति को उस पर हो रहे हमलों की गम्भीर प्रकृति तथा उसके परिणामों के बारे में समझाना होगा। इसके साथ ही हमें पूंजीवादी संकट की वास्तविक प्रकृति भी श्रमिकों को बतानी होगी। वर्तमान में विकसित पूंजीवादी देश विश्व व्यापी स्तर पर गम्भीर मंदे की स्थिति को झेल रहे हैं तथा साम्राज्यवादी शक्तियां अपने संकट का बोझ तृतीय विश्व के देशों की जनता पर डालने के लिये उन पर हमला कर रही हैं। उन श्रमिकों के मध्य इस धारणा को ले जाने के लिये हमें अत्यंत सावधानीपूर्वक सुनियोजित ढंग से यह काम करना तथा तथ्यों को क्रमबद्ध करना चाहिये। इसके परिणामस्वरूप वे विचारधारक दृष्टि से भारी स्तर पर शिक्षित होंगे। संक्षेप में, आज ट्रेड यूनियन कार्य उस समय तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक उद्योग की जटिलताओं को समुचित ढंग से समझा नहीं जाता तथा इसके साथ ही अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अपने ज्ञान को विशाल नहीं बनाया जाता। यह ट्रेड यूनियन शिक्षा का ही एक भाग होना चाहिये।

9. ट्रेड यूनियनों की जनवादी कार्य पद्धति का महत्व न केवल कार्यकर्ताओं को विकसित करने की दृष्टि से है अपितु भारी संख्या में श्रमिकों को दैनंदिन गतिविधियों में खींच लाने के दृष्टिकोण से भी है। हमारे लिये जनवादी कार्य पद्धति के विशाल अर्थ तथा उद्देश्य हैं। ट्रेड यूनियनों को श्रमिकों के शिक्षण केन्द्रों के रूप में माना जाता है जहाँ नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के मध्य परस्पर विचार विमर्श के द्वारा दैनंदिन आधार पर उद्योग तथा अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित प्रत्येक बात पर विचार किया जाता है। यह तभी प्रभावी हो सकता है यदि ट्रेड यूनियन नेता कार्यकारिणी की बैठकों तथा श्रमिकों की जनरल बाडी बैठकों में भाग लेने के साथ-साथ श्रमिकों की विभिन्न समितियों में बैठने के लिये समय निकालें और द्वार (गेट) सभाओं, पाली बैठकों एवं विभिन्न विभागीय समितियों की बैठकों में जाकर विचार विमर्श करें। अतः हमारे लिये जनवाद यूनियनों की केवल निर्वाचित निकायों की औपचारिक कार्य पद्धति नहीं है अपितु इससे भी

अधिक महत्वपूर्ण है। वार्षिक सम्मेलनों का आयोजन समय पर न करने, यदि वे समय पर आयोजित किये जाते हैं तो थोड़े समय के लिये करने, सदस्यों को विचार अभिव्यक्ति के लिये पर्याप्त समय दिये बिना तटफट नये पदाधिकारियों का चुनाव करा लेने, श्रमिक कार्यकर्ताओं तथा महिलाओं को प्रोन्नत करने के लिये प्रयास ही नहीं करने जैसी गलत कार्रवाईयां तुरंत बंद करनी होंगी।

10. हमारी ट्रेड यूनियनों के लिये आवश्यक है कि वे श्रमिक मुद्दों से निपटते समय सभी श्रमिकों को सम्बोधन करें। श्रमिक अस्थायी रूप से विभाजित एवं अनेक यूनियनों में संगठित हो सकते हैं। तथापि उनके मध्य पिछड़ेपन को दूर करके उन्हें एक यूनियन में लाने के लिये भरसक प्रयास करना चाहिये। यदि हम उपरोक्त पैरे में दिये गये विवरण के अनुसार अपनी कार्य पद्धति में सम्पूर्ण परिवर्तन लाएंगे तो निश्चित रूप से श्रमिकों में हमारा प्रभाव बढ़ेगा और हम उन्हें अपनी यूनियनों में एकजुट कर सकेंगे ! मालिकों तथा सरकार की ओर से श्रमिकों के विरुद्ध किये जा रहे वर्तमान हमलों से वे विभिन्न प्रकार के आंदोलनों की ओर अग्रसर हुए हैं। हमें यूनियनों के मध्य शत्रुता को कम करके इस स्थिति का समुचित उपयोग करना चाहिए। हमें सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग के हित में जनवादी कार्य पद्धति के आधार पर एक उद्योग में एक यूनियन बनाने के विचार का प्रतिपादन करके अपने आधार को और विस्तृत तथा यूनियनों को और शक्तिशाली बनाने का प्रयास करना चाहिये। हमें सी आइ टी यू निकायों, राज्य समितियों तथा जिला समितियों के बढ़ रहे प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिये और अपना काम अत्यंत सावधानीपूर्वक तथा पूर्ण तनमयता के साथ करना चाहिये। उपयुक्त निकाय में समुचित विचार विमर्श किये बिना कोई सुझाव नहीं देना चाहिये।

11. प्रायः देखा गया है कि अनेक यूनियनें आंशिक, अस्थायी तथा ठेका मजदूरों को संगठन की पंक्तियों में लाने के काम की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देतीं। कुछ अन्य विशिष्ट यूनियनों में भी स्थायी कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त करने के काम के प्रति उदासीनतापूर्ण रुख अपनाया जाता है। ये दोनों रुझान हानिकारक हैं। अधिकांशतया युवा कार्यकर्ताओं को यदि लामबंद किया जाता है तो भी उन्हें अस्थायी एवं आंशिक कार्यकर्ताओं के रूप में अपने साथ रखा जाता है। वे यूनियन के सदस्यों में जुझान वर्ग हो सकते हैं। यहीं नहीं, स्थायी श्रमिकों के समर्थन के बिना यूनियनों की सौदेबाजी करने की क्षमता को भी सुदृढ़ नहीं किया जा सकता। इसलिये हमें अपनी ट्रेड यूनियन गतिविधियों में इन श्रमिकों को संबोधन करते समय सावधानी से काम लेना चाहिये।

12. दस्तावेज में इस दुर्बलता का मूल कारण श्रम शक्ति के यूनियनकरण का निम्न स्तर होना बताया गया है। वर्तमान में संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में 10 करोड़ श्रमिक काम कर रहे हैं। जबकि उसमें से केवल दो करोड़ श्रमिक ही यूनियनों में संगठित हैं। उनमें से सी आइ टी यू केवल 25 लाख श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करती है। अ-यूनियनकृत श्रम शक्ति की इतनी विशाल संख्या को उस समय तक प्रभावी ढंग से गतिशील नहीं बनाया जा सकता जब तक हम ट्रेड यूनियन आंदोलन में अपनी स्थापित शक्ति सहित सभी संसाधनों को जुटा कर इस काम में झोंक नहीं देते।

13. संगठनात्मक रिपोर्ट में ट्रेड यूनियनों के लिये असंगठित क्षेत्र जहां भारतीय श्रम शक्ति का सबसे बड़ा भाग कार्यरत है, में काम का विस्तार करने के महत्व पर बल दिया गया है। वे

सर्वधिक शोषित वर्ग हैं और उनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है। वे अनेक प्रकार की सामंती तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़ेपन की प्रतीक परम्पराओं तथा रूढ़ियों के प्रभावों से भी ग्रसित हैं। उन्हें ट्रेड यूनियनों से दूर रखने के लिये मालिक इनसे लाभ उठाते हैं। उनके वेतन अत्यंत अल्प होते हैं। उन्हें संगठन की पंक्तियों में लाए बिना ट्रेड यूनियन आंदोलन कभी भी एक सामाजिक शक्ति नहीं बन सकता। जब तक हमारे कार्यकर्ता इसे मिशनरी भावना से नहीं लेते तब तक इस कार्य का सम्पादन सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। सी आइ टी यू की राज्य समितियां इस काम को प्राथमिकता दें तथा इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक कदम उठाएं। इन वर्गों में यूनियन की गतिविधियों के संचालन हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जाना चाहिये। इन प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिये भेजा जाना चाहिए। इस काम के लिये आवश्यक धन भी यूनियनों को जुटाना चाहिये। इस काम को गम्भीरतापूर्वक लिया जाए। इससे थोड़े समय में ही यूनियनों की निश्चित प्रगति को सुनिश्चित बनाया जा सकेगा।

14. यह देखा गया है कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा बंगलौर एवं हैदराबाद जैसे औद्योगिक क्षेत्रों जहाँ औद्योगिकीकरण के मामले में ठोस प्रगति हुई है, में सतत् प्रयासों के अभाव में सी आइ टी यू अपनी पैठ नहीं जमा सकी। इसके परिणामस्वरूप प्रतिगामी शक्तियों को लाभ उठाने का अवसर मिला है। इसके लिये एक सुविचारित समयबद्ध कार्रवाई योजना बनानी चाहिये। इन क्षेत्रों में सक्रिय प्रमुख ट्रेड यूनियनों को ऐसी योजना बनाने तथा उसे कार्यरूप देने के लिये निर्णायक भूमिका निभानी चाहिये। क्योंकि श्रमिक मालिकों तथा सरकार के हमलों का प्रतिकार करने के लिये संघर्ष के पथ पर अग्रसर हैं तथा सी आइ टी यू भी ऐसी ही भूमिका निभा रही है इसलिये यदि हम सी आइ टी यू राज्य समितियों के निदेशों के अनुसार ठोस प्रयास करें तो इस दिशा में ठोस प्रगति कर सकते हैं।

15. संगठनात्मक रिपोर्ट में विशाल हिन्दी भाषी क्षेत्रों में विकास की मंद गति की समस्या को भी उठाया गया है। इस सम्बन्ध में वर्तमान में किये जा रहे प्रयास अपर्याप्त पाए गए हैं। इस काम में और देरी नहीं की जानी चाहिये तथा अत्यावश्यकता के आधार पर कदम उठाये जाने चाहियें। संम्बन्धित राज्य समितियों को प्रत्येक उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्र की वास्तविक स्थिति की समीक्षा करके पता लगाना चाहिये कि आखिर ऐसे कौन से अवरोध हैं जिनके रहते सी आइ टी यू की ओर श्रमिक आकर्षित नहीं हो रहे। स्थिति का मात्र साधारणीकरण करने या आधे-अधूरे विचारों से कोई लाभ नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक मामले का विशेष रूप से अध्ययन किया जाए तथा आवश्यक हो तो स्थिति का तथ्यात्मक विश्लेषण करने तथा उससे उबरने के लिये उपाय सुझाने के उद्देश्य से एक उपसमिति का गठन भी किया जा सकता है। तथापि राज्य समितियों को श्रमिक वर्ग में अपनी पैठ जमाने के ढंगों एवं साधनों का पता लगाने के लिये पहलकदमी करनी होगी और उन्हें इसी बिंदु पर बल देना होगा। सी आइ टी यू केन्द्र को जैसा कि संगठनात्मक रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है, इन क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान देना होगा। कार्यकर्ताओं एवं उद्योग की विशेष शाखाओं की लिये पाठशालाएं आयोजित करने के कामों को तुरंत हाथ में लेना चाहिये। स्वतंत्र फैडरेशनों तथा यूनियनों जिनका इन पिछड़े क्षेत्रों में आधार है, को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ट्रेड यूनियनों में लाने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। सी आइ टी यू केन्द्र को इन क्षेत्रों में श्रमिकों की पिछड़ी श्रेणियों को संगठित करने के

प्रयासों में सहायता देने के लिये वांछित विशेष साहित्य उपलब्ध कराना होगा।

16. वर्तमान में, साम्प्रदायिक तथा जातिवादी शक्तियां विभिन्न ढंगों से पिछड़े क्षेत्रों में सक्रिय होकर श्रमिकों की वर्गीय एकता को छिन्न-भिन्न करने के लिये घरसक प्रयास कर रही हैं। ट्रेड यूनियनों में भी विभाजन किया जा रहा है तथा उनका गठन जातिगत आधार पर किया जा रहा है। इस प्रकार सामान्य ट्रेड यूनियनों में जातिगत आधार पर फूट डाली जा रही है। यह एक गम्भीर खतरा है। कुछ विशेष क्षेत्रों में गुण्डों के गिराहों को उन ट्रेड यूनियनों के विरुद्ध आगे लाया जा रहा है जो स्वतंत्र रूप से श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षार्थ काम कर रही हैं। ट्रेड यूनियनों को इस प्रकार के खतरों से निपटने के लिये भारी स्तर पर शिक्षा अभियान चलाने के अतिरिक्त समुचित कदम उठाने चाहियें।

17. महिलाओं को संगठन की पंक्तियों में लाने तथा उन्हें नेतृत्वकारी पदों पर पदोन्नत करने जिस पर हम लम्बे समय से बल दे रहे हैं, की ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। तथापि इस मामले में कुछ प्रगति अवश्य हुई है, किन्तु वह पर्याप्त नहीं है। हमारी पहलकदमी पर कामकाजी महिलाओं के लिये समन्वय समिति का गठन करना इस दिशा में उठाया गया एक सही कदम था ताकि कामकाजी महिलाओं जो न केवल निजी मालिकों अपितु सरकार की ओर से भी समान व्यवहार पाने से वंचित रहती हैं, से सम्बन्धित मुद्दों पर समुचित ध्यान दिया जा सके। इस सम्बन्ध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सेविकाओं की स्थिति का उल्लेख किया जा सकता है। सरकार महिलाओं के मध्य व्याप्त बेरोजगारी का अनुचित लाभ उठाकर उन्हें नाम मात्र के वेतन पर काम करने को सहमत होने पर विवश कर रही है। जनवादी संरचना में ऐसी गलत प्रवृतियों को जारी नहीं रहने देना चाहिये तथा ट्रेड यूनियनों को कामकाजी महिलाओं के लिये समान वेतन तथा समान अधिकार जैसे अधिकारों की रक्षार्थ एवं माताओं के रूप में उन्हें विशेष संरक्षण प्रदान करने के संघर्ष का नेतृत्व करना चाहिये।

18. हमारी अनेक ट्रेड यूनियनें स्वयं को अर्थवाद पर ही केन्द्रित रख रही हैं। इस प्रवृति की समुचित आलोचना की जानी चाहिये। वे सामान्य जनता के मुद्दों तथा विशेष रूप से किसानों एवं खेत मजदूरों की समस्याओं को छूती ही नहीं। किसानों तथा खेत मजदूरों के संगठन अनेक क्षेत्रों में फैल रहे हैं। ट्रेड यूनियनों को जहां तक सम्भव हो सके, उनकी सहायता करनी चाहिये। अनेक क्षेत्रों में पुलिस द्वारा उनका नृशंस दमन किया जाता है तथा उन पर गुण्डा हमले कराए जाते हैं। इस मोर्चे पर काम करने वाले अधिकांश कार्यकर्ताओं को भारी आर्थिक कठिनाईयां झेलनी पड़ रही हैं। श्रमिकों को आगे बढ़ कर किसान आंदोलन को विकसित करने के काम में सहायता देनी चाहिये। तमिलनाडु सी आइ टी यू द्वारा किसान संगठनों को वित्तीय सहायता देना, एक अभिनंदनीय कार्रवाई है।

19. "द वर्किंग क्लास" ने एक संगठक के रूप में अपनी क्षमता को प्रमाणित कर दिया है। इसी प्रकार 'सीटू मजदूर, वायस आफ वर्किंग विमन', तथा 'कामकाजी महिला' ने भी सी आइ टी यू का संगठन खड़ा करने के काम में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। कई राज्य समितियों की ओर से भी अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है। इन प्रकाशनों के स्तर में ठोस सुधार लाया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिये हमें आंतरिक संरचना को अपेक्षित स्तर तक सुदृढ़ बनाना होगा। किन्तु इसे स्वीकार किया जाना चाहिये कि जब तक हम इन प्रकाशनों की प्रसार संख्या में

वृद्धि नहीं करते, नियमित रूप से इसकी बिक्री की राशि जमा कराने की गारंटी नहीं देते तब तक हम न केवल वांछित उत्साहवर्धक परिणाम निकालने में विफल रहेंगे अपितु हमारे लिये उनका प्रकाशन जारी रखना भी कठिन हो जाएगा।

20. सरकार द्वारा नयी आर्थिक नीतियों के पक्ष में प्रचार अभियान चलाया जा रहा है और प्रेस, आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा अन्य हजारों ढंगों से श्रमिक वर्ग पर हमले किये जा रहे हैं। हम वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं, आंदोलन की प्रचार सामग्री तथा अभियानों के बल पर इन हमलों का प्रतिरोध नहीं कर सकते। यही कारण है कि सी आइ टी यू लम्बे समय से विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री उपलब्ध कराने के महत्व पर अत्याधिक बल देती रही है। सी आइ टी यू धीरे-धीरे इन नये हमलों के विरुद्ध चल रहे संघर्षों में नेतृत्वकारी भूमिका ग्रहण करती चली जा रही है। इसलिये हमें इस काम को गम्भीरतापूर्वक करना होगा। बुद्धिजीवी वर्ग तथा शिक्षित कर्मचारियों में हमारे बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत यदि हम समुचित कार्यपद्धति बना लें तो और भी अच्छे ढंग से यह काम किया जा सकता है। सी आइ टी यू को इस कार्य के तंत्र का विकास करने के लिये अवश्यमेव समुचित कदम उठाने चाहियें। हमे विशेष विषयों पर कार्यशालाओं तथा विचार गोष्ठियों का आयोजन करना होगा और वीडियो - आडियो कैसेट भी तैयार करने होंगे।

21. पूर्व सोवियत संघ तथा पूर्वी युरोपीय देशों में समाजवाद को लगे धक्कों के दृष्टिगत यह और भी आवश्यक हो गया है। पूंजीवादी नेताओं द्वारा एक ऐसी पूंजीवादी व्यवस्था का निर्माण करने के लम्बे-चौड़े दावे किये जा रहे हैं। उनका दावा है कि यह व्यवस्था दीर्घकालिक होगी और इस नयी विश्व व्यवस्था में समाजवाद का कोई भविष्य नहीं है। ये सभी दावे 1991 के पश्चात् तीन वर्षों की अल्पावधि में ही खण्डित हो कर रह गए हैं। विकसित पूंजीवादी समाज आज निरंतर जारी रहने वाले मंदे की चपेट में आ चुके हैं तथा वहां बेरोजगारी में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। औद्योगिक उपक्रमों में तालाबंदी तथा कामबंदी का होना नित्य प्रतिदिन की सामान्य बात बन चुकी है। वेतन कटौती तथा श्रमिक कल्याण कार्यक्रमों की कमी श्रमिकों पर ठोसी जा रही है। यही नहीं, संकट को दूर करने के लिये नयी प्रौद्योगिकी लागू किये जाने से रोजगार सर्जन में और कमी आ गई है। इसलिये यूरोप, जापान, अमरीका इत्यादि रोजगार क्षति तथा बेरोजगारी की समस्याएं झेल रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप जनता के कष्टों में अपार वृद्धि हो रही है। युरोप का युवा वर्ग रोजगार अवसरों में कमी की संवृति के कारण निराश हो चुका है। नाजीवादी गिरोह सिर उठा रहे हैं तथा वे अपने सांगठनिक ढांचे को भी विकसित कर रहे हैं। अमरीकी साम्राज्यवादी बढ़ रहे व्यापार युद्धों, जातीय दंगों तथा स्थानीय मुद्दों का लाभ उठा कर दूसरे देशों में घुसपैठ करने और अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास कर रहे हैं। धार्मिक कठमुल्लावाद तथा संकीर्णतावाद सर्वत्र अपना घृणित सिर उठा है। अमरीकी साम्राज्यवादी सारे विश्व विशेष रूप से तृतीय विश्व पर अपनी धौंस जमाने के लिये उन्मत्त प्रयास कर रहे हैं। प्रभावशाली ढंग से इसकी पोल खोले बिना साम्राज्यवाद के विरुद्ध चौकसी एवं जागरूकता को विकसित नहीं किया जा सकता।

22. सी आइ टी यू नयी आर्थिक नीतियों तथा उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों पर इनके कुप्रभावों के विरुद्ध संघर्ष में सभी ट्रेड यूनियनों को लामबंद करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय अभियान समिति को व्यापक बना कर ट्रेड यूनियनों की प्रायोजन (स्पांसरिंग) समिति बनाई गई। सभी अखिल भारतीय कार्रवाईयों के अतिरिक्त श्रमिकों के विभिन्न वर्गों की ओर से

सफलतापूर्वक अनेक संयुक्त संघर्ष किये गए। इससे अनेक क्षेत्रों में लाभ भी हुआ है। इसी प्रक्रिया में पूर्व की अपेक्षा कहीं भारी स्तर पर श्रमिकों की एकता को विकसित किया गया है। उर्वरक, बीमा, बैंकिंग, इस्पात, कोयला, कपड़ा तथा कई अन्य उद्योगों में हमारा अपना अनुभव इस तथ्य की पुष्टि करता है। भारतीय लौह एवं इस्पात कम्पनी (इस्को) के निजीकरण विरोध में 7 सितम्बर, 1993 को इस्पात श्रमिकों द्वारा अखिल भारतीय हड़ताल की गई जो एक महत्वपूर्ण मील पत्थर था। एक और शानदार अनुभव कोयला श्रमिकों की 31 जनवरी 1994 की हड़ताल का था। पिछला अनुभव दर्शाता है कि यदि हम ठीक ढंग से पहलकदमी करें तो श्रमिकों की एकता को और सुदृढ़ बनाया जा सकता है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र और वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों जहां हम अनेक यूनियनों की अपेक्षा अच्छी स्थिति में हैं, का निजीकरण करने की नीति को कार्यरूप दे रही है। यह भी स्मरण रखना होगा कि साम्राज्यवादी शक्तियों का उद्देश्य इन्हीं महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना बर्चस्व स्थापित करना है ताकि उनके लिये हमारी स्वतंत्र चुनौती को समाप्त किया जा सके। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये नीतियां हमारे राष्ट्रीय हितों के विपरीत हैं। औद्योगिक बीमारी अनेक इकाईयों में फैल रही है तथा यह चौंका देने वाली सीमा तक पहुंच चुकी है। इसलिये इन नीतियों के विरुद्ध हमारा संघर्ष महत्व प्राप्त करता जा रहा है। और ट्रेड यूनियनों का संगठनात्मक सम्मेलन तात्कालिक कार्य बन गया है। इन प्रयासों को सफल बनानें के लिये हमारी स्वतंत्र शक्ति में और वृद्धि का होना अनिवार्य है।

23. यह देखा गया है कि अनेक यूनियनें सी आइ टी यू का बोर्ड लगा कर काम करती हैं, किन्तु वे सी आइ टी यू के साथ सम्बद्ध नहीं हुई, वे आवश्यक औपचारिकताओं को भी पूर्ण नहीं करती और न ही सभी शुल्कों (लेवीज़) का भुगतान करती हैं। कुछ यूनियनें तर्क देती हैं कि उनकी सदस्यता 5% या उससे कुछ अधिक है। इस लिये वे सम्बद्धता की शर्त पूरी नहीं करती। यह तर्क गलत है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुसंख्या की बात सुनी जाती है। ट्रेड यूनियनों में भी ऐसा ही होता है। किन्तु इसे अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिये। इन मामलों में हमने श्रमिकों की एकता को अधिकाधिक महत्व दिया है। अल्पसंख्या को बहुसंख्या के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने की सीमा तक जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि श्रमिकों के सामने मुद्दों को रखा जाए और उन पर विचार करके निर्णय लिया जाए। यह बात सम्बद्ध यूनियनों पर भी लागू होती है। वे अपने खाते की लेखा-जाचं कराएं और संविधान के अनुसार सम्बद्धता शुल्क भेजें। अनेक यूनियनें इस मामले में उदासीन रहती हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

24. सी आइ टी यू अपने अस्तित्व में आने के समय से ही ट्रेड यूनियन एकता तथा संयुक्त कार्रवाईयों पर बल देती रही है। पिछले तीन वर्षों का अनुभव बहुत समृद्ध है। इस अवधि में श्रमिकों ने अपने संगठनात्मक तथा राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठ कर अनेक उद्योग स्तरीय, कारखानावार तथा राष्ट्रव्यापी संयुक्त कार्रवाईयां की हैं। इसके फलस्वरूप अधिकारी कहीं कम या कहीं अधिक अस्थायी रूप से पीछे हटने तथा श्रमिकों की कुछ मांगों को मानने पर विवश हुए हैं। इंटक तथा बी एम एस द्वारा भिन्न रुख अपनाए जाने के कारण अखिल भारतीय स्तर पर ऐसी एकता स्थापित नहीं की जा सकी। किन्तु आधिकारिक रूप से असहयोग होने पर भी इन संगठनों के अनेक कार्यकर्ताओं ने इन कार्रवाईयों में भाग लिया है। इससे ज्ञात होता है कि एकता की इच्छा भारी स्तर पर उत्पन्न हो रही है। इसलिये सी आइ टी यू का कर्त्तव्य बन जाता है कि

वह ट्रेड यूनियन एकता के लिये अधिक से अधिक पहलकदमियां करे ।

25. ट्रेड यूनियनों के परिसंघ का विचार भी एक ऐसा ही विचार है । इससे ट्रेड यूनियनें सहमति वाले नियमों एवं उद्देश्यों के आधार पर परिसंद्य में मिल कर काम करते हुए भी अपनी पृथक पहचान बनाए रख सकेंगी । निश्चित प्रक्रिया में प्राप्त अनुभवों के आधार पर परस्पर सहमति से अगले कदम उठाए जा सकते हैं । उद्योगवार फेडरेशनों की एकता तथा एकीकरण के प्रश्न पर और विलम्ब किये बिना मामला दर मामला विचार किया जा सकता है । एक उद्योग एक यूनियन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये यूनियनों के आपसी मतभेदों को भी सुलझाया जा सकता है । इसका महत्वपूर्ण तत्व यह है कि विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं को मानने वाले ट्रेड यूनियन नेताओं को श्रमिक वर्ग की एकता के प्रश्न पर सोचना शुरू कर देना चाहिये । यह एकता उनके लिये अत्यंत लाभप्रद होगी । नये समृद्ध भारत का निर्माण करने की यही प्रस्तावना है । ट्रेड यूनियन नेताओं को गम्भीरतापूर्वक इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए ।